



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन



जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ



त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों तथा स्व-सहायता समूह सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यशाला



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विभागीय संरचना

मंत्री	- श्री कमलेश्वर पटेल
अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त	- श्रीमती गौरी सिंह
सचिव	- श्री उमाकांत उमराव
उप सचिव	- श्रीमती नेहा मारव्या
उप सचिव	- श्रीमती संस्कृति जैन
उप सचिव	- श्री एस.आर. चौधरी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	- श्री उमाकांत उमराव
आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय	- श्रीमती उर्मिला शुक्ला
संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन	- श्रीमती जी.व्ही. रश्मि
संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान	- श्रीमती उर्मिला शुक्ला
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्	- श्रीमती जी.व्ही. रश्मि
परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना	- श्री अजय कुमार शर्मा
राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन	- श्री असित गोपाल
राज्य समन्वयक, मध्यप्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद्	- श्री जसबीर सिंह चौहान
संचालक, ग्रामीण रोजगार	- श्री जसबीर सिंह चौहान
प्रबंध संचालक, भोपाल हाट	- श्री जसबीर सिंह चौहान
प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	- श्री डी.के. पचौरी

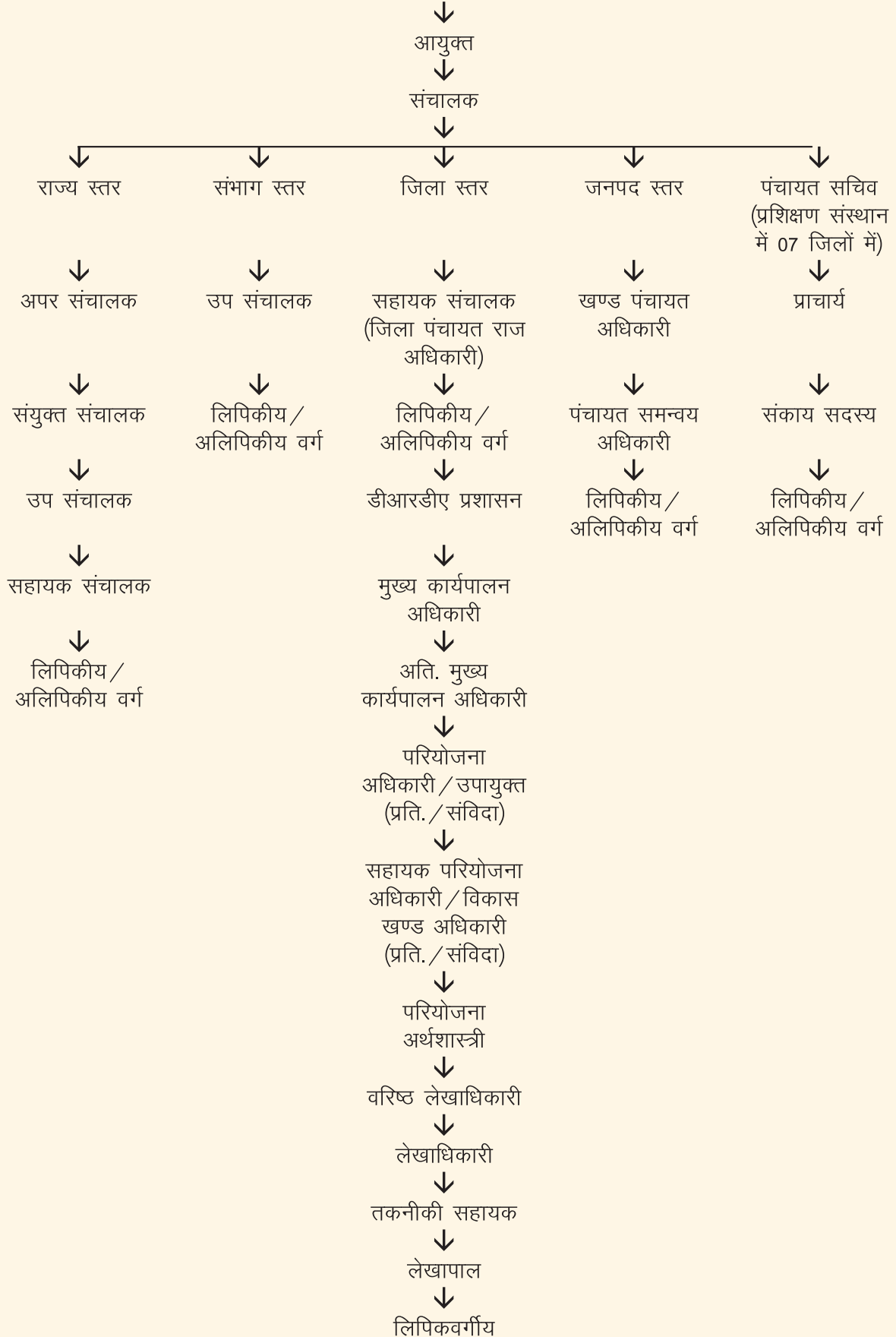
अनुक्रमणिका

खण्ड-1 पंचायतराज		
क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	पंचायतराज संचालनालय की संरचना	1
2.	पंचायत अनुभाग	2
3.	बजट	5
4.	पंचायत अंतर्गत निर्माण कार्य	8
5.	महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना / (मोबाइल एप्प)	9-10
6.	आर.जी.एस.ए. योजना	11
7.	सांसद आदर्श ग्राम योजना	13
खण्ड-2 ग्रामीण विकास विभाग		
1.	विभागीय संरचना	17
2.	ग्रामीण विकास विभाग का संगठन एवं अधीनस्थ कार्यालय	18
3.	बजट	21
योजनाएं :		
4.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES)	23
5.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. (MGNREGS-MP)	27
6.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	32
7.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	38
8.	आवास योजनाएं :	
	● प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	42
	● इंदिरा आवास योजना (IAY)	43
	● मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना	43
	● मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	43
9.	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)	44

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
10.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास (PMKSY-WD)	49
11.	मध्यान्ह भोजन (MDM)	52
12.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन (RURBAN)	56
13.	भोपाल हाट	59
संस्थान :		
1.	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान	62
2.	मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI)	74

खण्ड- एक
पंचायत

पंचायतराज संचालनालय की संरचना



पंचायत राज संचालनालय

भाग— 1

पंचायत राज संचालनालय

1. **संरचना** — पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर पृथक पंचायत राज संचालनालय का गठन दिनांक 06.12.2007 को किया जाकर दिनांक 01 अप्रैल 2008 से संचालित है।
2. **सामान्य जानकारी** — भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में पंचायत राज संस्थाओं के पंचम सामान्य निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से नियत अवधि में सम्पन्न कराये गये। जिसमें प्रदेश की 51 जिला पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों एवं 22812 ग्राम पंचायतों में 3.85 लाख पदाधिकारी निर्वाचित हुए।
3. **अधीनस्थ कार्यालय** — संचालनालय के अधीन जिला स्तर पर जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जनपद पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय स्थापित एवं संचालित हैं।
4. **संचालनालय के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण** — प्रदेश में 07 पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान यथा शिवपुरी, नौगांव (छतरपुर), मुल्ताई (बैतूल) इंदौर, उज्जैन, जबलपुर एवं रीवा में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पचमढ़ी में संचालित है।
5. **दायित्व — संचालनालय के मुख्य दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है :-**
 1. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का क्रियान्वयन।
 2. ग्रामीण अधोसंरचना का विकास।
 3. ग्रामों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना।
 4. पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु करारोपण के लिए प्रोत्साहित करना।
 5. पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन, उन्मुखीकरण एवं तकनीकी-आधुनिकीकरण प्रशिक्षण।

पंचायत अनुभाग

- 2.1 **पंचायत राज संस्थाओं की सांख्यिकी :-** प्रदेश में वर्ष 2015 में नवीन पंचायत निर्वाचन उपरांत त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 3.85 लाख प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पंचायत	पद नाम	कुल स्थान	कुल महिला
1	जिला पंचायत	अध्यक्ष	51	32
		सदस्य	852	443
2	जनपद पंचायत	अध्यक्ष	313	169
		सदस्य	6790	3516
3	ग्राम पंचायत	सरपंच	22816	11474
		पंच	354651	186598
महायोग			385473	202232

प्रदेश में कुल राजस्व एवं वनग्राम मिलाते हुये 54903 ग्रामसभाएं कार्यरत हैं। जिनमें अधिनियम के प्रावधान अनुसार वर्ष में 4 ग्रामसभाएं यथा जनवरी, अप्रैल, अगस्त एवं अक्टूबर में सम्पन्न हो रही है। इन ग्राम सभाओं में सदस्यों को शासन की योजनाओं, स्कीमों के आय-व्यय का अनुमोदन, कार्ययोजनाओं का अनुमोदन, हितग्राहियों का चयन किया जाता है।

2.2 योजना का नाम— पंचायतों का सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना—

प्रस्तावना/परिचय— पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त करने एवं उन्हें जवाबदार बनाये जाने हेतु उक्त योजना वर्ष 2008-09 में प्रारंभ की गई थी।

उद्देश्य— पंचायतें अपने क्षेत्रांतर्गत सम्पूर्ण विकास को स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संपादित करें। जिससे पंचायतों के कार्यों में और भी निखार आए एवं विकास की गतिविधि में तेजगति से वृद्धि हो, जिसका लाभ पंचायतों में निवासरत् ग्रामीणों को त्वरित रूप से प्राप्त हो सके।

कार्यक्षेत्र— मध्यप्रदेश की समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतें।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि—1—पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायतों का सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (PEAIS) अंतर्गत राज्य के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर मध्यप्रदेश राज्य को देश का प्रथम पुरस्कार वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में एक गौरवमयी उपलब्धि है।

2 — इसी अनुक्रम में पंचायतों का सशक्तिकरण एवं जवाबदेही पहल योजना 2017-2018 (संशोधित) के अंतर्गत प्रदेश की निम्नलिखित पंचायतों को MoPR द्वारा पुरस्कृत किया गया है:—

जिला पंचायत

1.	झाबुआ	50.00 लाख
2.	राजगढ़	50.00 लाख

जनपद पंचायत

स.क्र.	जनपद पंचायत का नाम	जिला पंचायत का नाम	पुरस्कृत राशि
1.	बलड़ी	खण्डवा	25.00 लाख
2.	पृथ्वीपुर	टीकमगढ़	25.00 लाख

ग्राम पंचायत

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	जिले का नाम	पुरस्कृत राशि
1.	सिहाड़ा	खण्डवा	खण्डवा	12.00 लाख
2.	सुन्देल	धरमपुरी	धार	12.00 लाख
3.	कोदरिया	महू	इंदौर	15.00 लाख
4.	बरखेड़ी अब्दुल्ला	फंदा	भोपाल	08.00 लाख
5.	किल्लोद	बलड़ी	खण्डवा	08.00 लाख
6.	इटायली	पलेरा	टीकमगढ़	08.00 लाख
7.	भरलाई	सिवनी मालवा	होशंगाबाद	08.00 लाख
8.	बिनवारा	निवाड़ी	टीकमगढ़	08.00 लाख
9.	परवलिया	थांदला	झाबुआ	08.00 लाख
10.	जलकुआं	पंधाना	खण्डवा	08.00 लाख
11.	भम्होरा	निवाड़ी	टीकमगढ़	08.00 लाख

2.3 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 :- मध्यप्रदेश का गठन 01 नवम्बर, 1956 को तत्कालीन महाकौशल, छत्तीसगढ़, मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्यप्रदेश तथा

राजस्थान के सब-डिवीजन सिरोंज को मिलाकर किया गया। विभिन्न घटकों में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित पृथक-पृथक कानून/व्यवस्थाएं प्रचलित थीं। प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में एकरूपता लाने की दृष्टि से वर्ष 1962 में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1962 बनाया गया। प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त व कारगर बनाने की दृष्टि से समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर वर्ष 1981 तथा 1990 में नये पंचायत अधिनियम बनाये गये। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी, 1994 से लागू किया गया है। वर्ष 2017-18 में समय-समय पर अधिसूचनाओं तथा नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 31(2) में संशोधन किया गया।
- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 75 में संशोधन किया गया।
- मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र क्रमांक एफ-16-06-2018-बाइस-पं.-2 दिनांक 19 सितंबर 2018 के माध्यम से मध्यप्रदेश पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में संशोधन किया गया।
- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 33(1) में संशोधन किया गया।
- मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र क्रमांक 72 क्र. 2291-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2019 दिनांक 20 फरवरी 2019 के माध्यम से विभिन्न धाराओं में संशोधन किया गया।
- एफ-16-02-19-बाइस-पी-1 दिनांक 15 मई 2019 के माध्यम से जिला निवाड़ी को जिला पंचायत सृजित किया गया है।
- मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र क्रमांक एफ-16-06-2018-बाइस-पं.-2 दिनांक 19 सितंबर 2018 के माध्यम से मध्यप्रदेश पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में संशोधन किया गया।
- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 PESA को प्रभावी बनाने हेतु पेसा क्षेत्रों से संबंधित निर्देश जारी किये गये।

2.4 ग्राम पंचायत सचिवों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष :- मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 231 दिनांक 28.04.2018 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष की गयी।

2.5 ग्राम पंचायत सचिवों को दिनांक 01.04.2018 से नवीन वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

2.6 ग्राम पंचायत सचिवों को मातृत्व/पितृत्व एवं लघुकृत अवकाश सुविधा की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2.7 महिलाओं के उत्थान/सशक्तिकरण के लिये राज्य शासन द्वारा महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 8 मार्च को "सबला महिला सभा" तथा 19 नवंबर को "प्रियदर्शनी महिला सभा" हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन किये जाने हेतु समस्त जिलों/समस्त विभागों को आदेश क्रमांक एफ-2-19/22/पं-1 दिनांक 07.01.2019 जारी किया गया है।

भाग- दो -: बजट विण्डो :-

विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने तथा राशियों के त्वरित अंतरण के उद्देश्य से विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2000-2001 से विभिन्न विभागों द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि शासन के निर्देशानुसार बजटीय प्रावधान के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है।

मांग संख्या-15	—	अनुसूचित जाति विशेष घटक
मांग संख्या-52	—	आदिवासी उपयोजना
मांग संख्या-62	—	सामान्य
मांग संख्या-74	—	सामान्य

म.प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर अंतर समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 से उपरोक्त मांग संख्या के स्थान पर मांग संख्या-62 एवं 53 के अंतर्गत बजटीय प्रावधान अनुसार राशि विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्ष 2018-2019

बजट

पंचायत सेक्टर

(राशि रुपये लाख में)

आयोजनेत्तर मद	प्रावधान	व्यय 31 मार्च 2019
मांग संख्या-62	19649.33	17202.24
मांग संख्या-53	658152.32	492020.96
योग	677801.65	509223.20

(1) योजना का नाम : गौण खनिज

प्रस्तावना/परिचय :-

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जा सके। इस उद्देश्य से राज्य शासन ने पंचायत क्षेत्रों में आने वाले गौण खनिज, जिसमें पत्थर, मुरम, मिट्टी, रेत आदि आती है कि खदानों के संचालन का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। दिनांक 01/04/1996 से 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय की समस्त खदानों का उत्खनन अनुज्ञा पत्र जारी करने के अधिकार पंचायतों को दिये गये। योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा आवंटित रकम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में रहेगी।

उद्देश्य :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आवंटित रकम का उपयोग, पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं ग्राम पंचायत के मानदेय के भुगतान तथा अधोसंरचना विकास में करेगा।

कार्यक्षेत्र :- योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों तथा पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय की प्रतिपूर्ति हेतु किया जा रहा है।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियां :-

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 34043.65 लाख का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 26844.14 लाख तथा पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय हेतु राशि रुपये 7187.55 लाख जारी किये गये हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 54838.05 लाख का बजट प्रावधान है। जिसमें से मार्च, 2019 तक की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 19873.62 लाख तथा पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय हेतु राशि रुपये 7152.72 लाख जारी किये गये हैं।

(2) स्टाम्प शुल्क :

प्रस्तावना/परिचय :-

राज्य में अचल संपत्ति की बिक्री उनके अतिरिक्त विनियम बंधक पट्टे, उपकर आदि के दस्तावेजों पर राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है। संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाई गई स्टाम्प ड्यूटी पर एक प्रतिशत अधिभार या अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अधिभार वाणिज्य कर विभाग को है और अधिभार की राशि उस विभाग द्वारा "पंचायत निधि" में हस्तांतरित मांग संख्या-74-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-(4610) स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान (आयोजनेत्तर) में की जाती है।

उद्देश्य :- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान संग्रहित भू-राजस्व से संबंधित निधि की रकम वित्त विभाग के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त होती हैं। योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं अधोसंरचना विकास में किया जा रहा है।

कार्यक्षेत्र :-

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद पंचायतों में कार्यरत जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं विकास कार्यों में किया जा रहा है।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियाँ:-

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 46613.25 लाख का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों, सचिव, सरपंच व पंच के वेतन भत्तों/मानदेय हेतु राशि रुपये 12997.91 लाख तथा शेष राशि विकास कार्यों में उपयोग की गयी हैं। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 79100.74 लाख का बजट प्रावधान है। जिसमें से मार्च, 2019 तक की स्थिति में जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 11692.05 लाख तथा विकास कार्यों हेतु राशि रुपये 38877.76 लाख जारी किये गये हैं।

(3) जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान

प्रस्तावना/परिचय:-

तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला पंचायतों के लिए सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु राशि रुपये 5 करोड़ की अनुशंसा की गयी हैं। जिसके तारतम्य में योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का वितरण जिला पंचायतों को किया जा रहा है।

उद्देश्य:- जिला पंचायतों को सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राशि उपलब्ध कराना।

कार्यक्षेत्र:-

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियाँ :-

जिला पंचायत को सामान्य प्रयोजन हेतु राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2007-08 में राशि रुपये 81.00 लाख का बजट प्रावधान रहा है।

वर्ष	प्रावधान (राशि रुपये लाखों में)	व्यय (राशि रुपये लाखों में)
2008-2009	68.85	68.85
2009-2010	75.60	75.60
2010-2011	500.00	500.00
2011-2012	500.00	500.00
2012-2013	500.00	500.00

2013–2014	520.00	520.00
2014–2015	520.00	488.31
2015–2016	520.00	488.47
2016–2017	625.00	602.42
2017–2018	500.00	499.78

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रुपये 500.00 लाख का मूल प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 479.03 लाख का व्यय हुआ है।

(4) योजना का नाम : राज्य वित्त आयोग

प्रस्तावना/परिचय :-

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद “243 झ” के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायत राज संस्थाओं को राज्य शासन के कर एवं करेत्तर राजस्व आय की 4 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

उद्देश्य :-

ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्वों के तहत मूलभूत सेवाओं, जो जन-स्वास्थ्य एवं जनकार्य से संबंधित हैं, को उपलब्ध कराना है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार ग्राम पंचायत की मूलभूत आवश्यकताओं हेतु राज्य की सकल कर आय की राशि से 10 प्रतिशत वसूली व्यय घटाकर शेष 4 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। इस राशि से पंचायतें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के कार्य को कराने के लिये स्वतंत्र हैं।

कार्यक्षेत्र:-

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जा रही हैं।

विशेषताएं :-

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से विगत वर्षों में विभाग की पंच-परमेश्वर योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी गयी है। योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों द्वारा सी.सी. रोड नाली निर्माण आदि का कार्य ग्रामों में किया जा रहा है।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियाँ :-

विगत वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत अनुपूरक सहित राशि रुपये 112734.29 लाख का प्रावधान था। योजनान्तर्गत प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को विकास कार्य हेतु राशि जारी की गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजनान्तर्गत कुल राशि रुपये 151022.57 लाख का बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 93185.24 लाख का व्यय हुआ है। योजनान्तर्गत राशि का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायतों में मूलभूत सुविधा एवं अधोसंरचना विकास कार्य के लिए किया जा रहा है।

— पंचायत अंतर्गत निर्माण कार्य —

(अ) पंचायत भवन निर्माण :-

प्रस्तावना/परिचय- मध्यप्रदेश की ऐसी ग्राम पंचायतें जो भवन विहीन हैं वहां विभागीय मद का मनरेगा से अभिसरण कर भवन निर्माण की योजना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र 18174 दिनांक 21.12.2015 के द्वारा भवन विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पंचायत भवन स्वीकृत करने हेतु राशि 60:40 के अनुपात में स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि विभागीय मद एवं 40 प्रतिशत राशि मनरेगा से अभिसरण कर निर्माण किये जाने की विभाग की योजना है।

उद्देश्य :- ग्राम पंचायतों को कार्यालयीन व्यवस्था हेतु भवन उपलब्ध कराने के लिये पंचायत भवन को प्राथमिकता क्रम में लिया गया है ताकि ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का संचालन सुचारु रूप से हो सके।

विशेषताएं :- ग्राम पंचायत तथा ग्रामसभा की बैठकों, योजनाओं का क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रख-रखाव एवं कम्प्यूरीकरण आदि की व्यवस्थाएं भवन में प्रावधानित हैं।

भौतिक उपलब्धियाँ/परिणाम :- प्रदेश में 1126 वास्तविक रूप से भवन विहीन पंचायतों की जानकारी पंचायत पोर्टल से प्राप्त कर 1126 भवनों की स्वीकृति जारी की गई। जोकि वर्तमान में निर्माणाधीन है।

वित्तीय उपलब्धियाँ/परिणाम :- स्वीकृत किये जाने वाले 1126 भवन विहीन पंचायत भवनों पर राशि रुपये 16304.48 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

विशेष उपलब्धियाँ :- स्वीकृत पंचायत भवनों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार राशि के अनुपात में अभिसरण कर निर्माण किये गये हैं। वर्तमान में निर्मित भवनों में ग्राम पंचायतों के कार्यों का क्रियान्वयन सुचारु एवं सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं। मनरेगा अभिसरण से बनाये जा रहे भवनों को “भारत निर्माण केन्द्र” कहा जायेगा।

(ब) अन्य निर्माण कार्य :-

दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि में स्वीकृत कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण :-

क्र.	निर्माण कार्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4
1	सामुदायिक भवन	1278	19782.54
2	अन्य निर्माण कार्य (पुलिया निर्माण, सी.सी. रोड, नाली निर्माण, घाट निर्माण, बाउण्ड्री वाल निर्माण, रपटा निर्माण आदि)	2130	61053.00
3	एलईडी स्ट्रीट लाइट	2623	5123.00
4	मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर अंतर्गत तालाबों का सुदृढीकरण	265	29274.65
5	बारहमासी सड़क	560	8750.00
6	पोषण आहार संयंत्र	07	6880.00
7	शासकीय शालाओं में हेण्डपंप खनन/स्थापना	2776	38864.00
8	शासकीय शालाओं में शौचालय निर्माण	3876	5426.00
	योग	13515	175153.19

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना

प्रस्तावना/ परिचय :-

प्रदेश में ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु केंद्रीय वित्त, राज्य वित्त, स्टाम्प ड्यूटी, अनुरक्षण, गौण खनिज आदि मदों से अलग-अलग राशि प्रदान की जाती थी जिनकी राशि व्यय करने के अलग-अलग मापदंड थे एवं राशि भी कम रहती थी। अतः ग्राम पंचायतों में बड़े निर्माण कार्य नहीं हो पाते थे। राज्य सरकार ने इन समस्त मदों को एक साथ कर एकीकृत बजट योजना पंच-परमेश्वर योजना नाम से 10 जनवरी 2012 को प्रारंभ की। साथ ही ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के मान से एक वर्ष में न्यूनतम राशि देने का निम्न प्रावधान निर्धारित किया गया :-

जनगणना 2011 के मान से पंचायतों का निर्धारण	एकीकृत बजट की राशि न्यूनतम
2000 तक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	5 लाख प्रतिवर्ष
2001 से 5000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	8 लाख प्रतिवर्ष
5001 से 10000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	10 लाख प्रतिवर्ष
10001 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत	15 लाख प्रतिवर्ष

एक वित्तीय वर्ष अंतर्गत यदि ग्राम पंचायत को उक्त न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होती है, तो राज्य की अन्य योजनाओं जैसे राज्य वित्त, स्टाम्प ड्यूटी, अनुरक्षण, गौण खनिज आदि मदों से टॉपअप कर राशि की पूर्ति की जाती है। इस राशि को व्यय करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं। वर्तमान में यह योजना महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना नाम से निरंतर है। वर्ष 2014-15 से योजना अंतर्गत केवल 14वां वित्त आयोग अनुदान एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान ही दिया जा रहा है।



बालाघाट जिले के ग्राम बम्हनी में ग्राम सभा में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल।

कार्यक्षेत्र :-योजना अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नानुसार व्यय किये जाते हैं :-

1. नवीन अधोसंरचनात्मक कार्यों पर 75%
2. पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु 10% राशि
3. परिसम्पत्तियों के संधारण पर 7.50% तथा कार्यालयीन व्यय हेतु 7.50%

विशेषतायें -

योजना के माध्यम से देश में ग्राम पंचायतों को न्यूनतम राशि मिलने की गारण्टी देने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य बना है। इस योजना में प्रारंभ के समय 13वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के साथ राज्य वित्त आयोग, मुद्रांक शुल्क, खनिज रायल्टी आदि मदों में प्राप्त होने वाली राशि को समावेशित किया गया था। मध्यप्रदेश शासन द्वारा 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के साथ ही इस योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है एवं इसी अनुसार ग्राम पंचायतों को राशि प्रदान की जा रही है। राशि के उपयोग हेतु विभाग द्वारा प्राथमिकतायें एवं सीमायें निर्धारित की हैं जिसमें सी.सी. सड़क सह-नाली निर्माण तथा साफ-सफाई व्यवस्था प्रमुख रूप से हैं। सी.सी. सड़क सह नाली-निर्माण के संबंध में डी.पी.आर. बनाकर गुणवत्ता पूर्ण कार्य किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां :-

योजना प्रारंभ से अब तक ग्राम पंचायतों को कुल राशि रु. 15734 करोड़ का बजट आवंटन किया जा चुका है जिससे ग्राम पंचायतों के आंतरिक मार्गों में लगभग 19121 कि.मी. लंबी सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

पंचायत दर्पण मोबाइल एप

- भारत शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के तहत, मध्यप्रदेश की 22,812 ग्राम पंचायतों में होने वाले सभी कार्यों एवं वित्तीय लेन-देन को ऑनलाइन, सरल, पेपर-लैस, कैस-लैस, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से पंचायत दर्पण मोबाइल एप का निर्माण किया गया है।
- पंचायत दर्पण मोबाइल एप का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत की विस्तृत प्रोफाइल (जैसे ग्राम पंचायत भवन का फोटो, जनसंख्या, लोकेशन इत्यादि), निर्माण कार्यों की विस्तृत प्रोफाइल (कार्य की स्थिति, जिओ टैग्ड फोटो, कार्य पर व्यय राशि के बिल एवं बिलों की स्कैन्ड प्रति), जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की जानकारी, ग्रामसभाओं की जानकारी, हितग्राहियों (पेंशन, बीपीएल इत्यादि) की सूची, पंचायत को प्राप्त राशि का विवरण, वेंडर्स, सप्लायर्स, फर्म्स, स्टाफ एवं अन्य भुगतान प्राप्तकर्ताओं के भुगतान की स्थिति एवं ग्राम पंचायत के बैंक खाते की पासबुक सहित कई महत्वपूर्ण जानकारीयों अपने स्मार्ट फोन से एक क्लिक पर प्राप्त कर सकता है।
- वर्तमान में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में केश एवं चैक के माध्यम से लेन-देन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर केवल ऑनलाइन ई-भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ई-भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए पंचायत दर्पण पोर्टल के सर्वर को आठ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम से इन्टीग्रेट किया गया।
- सभी लेन-देन को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु पंचायतों द्वारा 10 लाख से अधिक वेंडर्स, सप्लायर्स, फर्म्स, स्टाफ एवं अन्य भुगतान प्राप्तकर्ताओं का उनके बैंक खातों के साथ पोर्टल पर पंजीयन किया गया है।
- पंचायत दर्पण मोबाइल एप ने जनता को अपनी पंचायत के बैंक खाते में उपलब्ध राशि, लेन-देन, विकास कार्यों पर किये गए व्यय की जानकारी अपने मोबाइल पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी पंचायतों के कार्यों में सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित करायी है।
- पंचायतों में होने वाले सभी कार्यों एवं वित्तीय लेन-देन के ऑनलाइन, सरल, पेपर-लैस, कैस-लैस, पारदर्शी होने के बाद प्रदेश की पंचायतें सही मायने में डिजिटल पंचायत के रूप में कार्य कर रही हैं एवं उनके कार्यों को विश्वसनीयता एवं सम्मान के साथ देखा जा रहा है।
- मोबाइल एप एवं ई-भुगतान प्रणाली को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसका अनुसरण आज दूसरे राज्यों द्वारा भी किया जा रहा है। अब ग्राम पंचायतों के सभी भुगतान ई-भुगतान के रूप में पूरी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के साथ होते हैं। पंचायतों की सशक्तता ही सही मायनों में देश की सशक्तता है और इसी उद्देश्य को पूरा कर रहा है मध्यप्रदेश सरकार का यह अभिनव प्रयास। पंचायत दर्पण मोबाइल एप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

आर.जी.एस.ए. योजना

योजना का नाम – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)।

प्रस्तावना :

योजना केन्द्र परिवर्तित एवं केन्द्र वित्त पोषित योजना है। पूर्व में योजना आरजीपीएसए योजना के नाम से लागू थी। जो कि वर्ष 2018-19 में पुनर्गठित की जाकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के रूप में क्रियान्वित है।

योजना का उद्देश्य –

योजना का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले का क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण करना है। योजना के अन्य उद्देश्य निम्न हैं :—

1. योजनांतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का संरचनागत, संस्थागत विकास करना है।
2. पेसा/अनुसूचित क्षेत्र के जिलों, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता एवं कार्यकारी अमले की स्थापना करना है, एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करना।

कार्यक्षेत्र –

योजना म.प्र. में सभी 51 जिलों में लागू है। योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी पंचायत राज संचालनालय भोपाल है एवं योजनांतर्गत प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेन्सी एसआईआरडी जबलपुर एवं संजय गांधी युवा नेतृत्व संस्थान पचमढ़ी है।

मानव संसाधन संरचना –

योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य कार्यक्रम निगरानी इकाई का गठन राज्य स्तर पर है एवं इसके अंतर्गत जिला एवं जनपद स्तर पर जिला एवं जनपद प्रबंधन इकाई का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

विशेषतायें—

पुनर्गठित आरजीएसए योजना में 14वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध होने वाली राशि के सदुपयोग एवं ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु “ग्राम पंचायत विकास योजना” के अवयवों को जोड़ा गया है, साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ-साथ कार्यकारी अमले के प्रशिक्षणों को भी समग्र रूप से जोड़ा गया है।

वित्तीय उपलब्धि :—

वर्ष 2017-18 में भारत शासन स्तर से 45.62 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे जिसके विरुद्ध राशि 43.67 करोड़ कुल उपलब्धि 96 प्रतिशत रही। आरजीएसए योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में भारत शासन को राशि रुपये 260 करोड़ की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी। जिसके विरुद्ध भारत शासन स्तर से 229.21 की कार्ययोजना भारत शासन स्तर से स्वीकृत की जाकर राशि रुपये 62.79 करोड़ रुपये प्रथम किश्त केन्द्रांश के रूप में मुक्त किये हैं। राज्यांश मिलाकर प्रथम किश्त में कुल 104 करोड़ रुपये की वित्तीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। विशेष यह है कि मध्यप्रदेश को इस वर्ष प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन एवं अन्य गतिविधियों में उत्तरप्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों से भी अधिक राशि भारत शासन से स्वीकृत हुई है। वर्ष 2018-19 में 31 मार्च 2019 की स्थिति में प्रथम किश्त के रूप में राशि रुपये 62.79 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं जिसके विरुद्ध व्यय 51.86 करोड़ एवं उपलब्धि 83% रही। राज्यांश राशि 41 करोड़ रुपये स्वीकृत है, जिसके आहरण की कार्यवाही प्रचलित है।

भौतिक उपलब्धि:-

1. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रशिक्षण हेतु 626 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है। जीपीडीपी जन-अभियान अंतर्गत अद्यतन स्थिति में लगभग 26,000 चयनित जनप्रतिनिधियों/फेसिलेटर्स को प्रशिक्षित किया गया।
2. **संस्थागत प्रशिक्षण:-**
जीपीडीपी प्लान प्लस, प्रिया साफ्ट का तकनीकी प्रशिक्षण :- 1500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 22812 ग्राम पंचायतों के सचिव/ग्राम रोजगार सहायक एवं 313 जनपदों के तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3. प्रदर्शन भ्रमण सह प्रशिक्षण (एक्सपोजर विजिट) :-
त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों/कार्यकारी अमले को राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रदर्शन भ्रमण सह प्रशिक्षण हेतु कार्ययोजना बनाई जा चुकी है। जिसके अंतर्गत राज्य के अन्दर उत्कृष्ट पंचायतों/कार्यों का भ्रमण एवं राज्य के बाहर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में उत्कृष्ट पंचायतों/कार्यों का भ्रमण/निरीक्षण कराया जायेगा।

विशेष उपलब्धि :-

1. जीपीडीपी जनअभियान अंतर्गत भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में जीपीडीपी जनअभियान 2 अक्टूबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक चलाया गया जिसके अंतर्गत प्रदेश की 22812 ग्राम पंचायतों में मिशन अन्त्योदय के मोबाइल एप (MA-App) पर शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों का वैस लाइन सर्वे किया गया एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर विशेष ग्रामसभाओं में अनुमोदन किया जाकर समस्त 22812 ग्राम पंचायतों की वर्ष 2019-20 की जीपीडीपी की कार्ययोजना भारत शासन के पोर्टल पर प्लान प्लस में अपलोड किया गया।
2. **पेसा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा को सशक्त बनाने एवं पेसा एक्ट की गतिविधियों :-**
पेसा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा को सशक्त बनाने एवं पेसा एक्ट की गतिविधियों एवं प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु विशेष पैकेज के तहत पेसा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा मोबेलाइजर नियुक्त करने हेतु आदेश कार्यालयीन पत्र क्रमांक 16797 दिनांक 17/12/2018 द्वारा जारी किये जा चुके हैं साथ ही योजना के प्रावधान अनुसार पेसा जिलों एवं जनपदों में स्तर पर पेसा क्षेत्र समन्वयक की पदस्थापना आउट सॉर्स के माध्यम से की जावेगी।

नवाचार पहल एवं कार्यशालाएं :-

1. डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं स्वकराधान (ओएसआर) की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन प्रदेश में डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं स्वकराधान (ओएसआर) को बढ़ावा देने हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, एवं एनआईआरडी हैदराबाद से आये 270 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
2. राष्ट्रीय ग्राम स्वधराज अभियान अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वसहायता समूहों की प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के 51 जिलों के 30000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसका उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा किया गया।
3. महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 अक्टूबर 2018 को धार में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उदघाटन माननीय विभागीय मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा किया गया। कार्यशाला में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वसहायता समूहों के 8770 प्रतिनिधियों को क्षमतावर्धन का प्रशिक्षण एवं आय मूलक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया।

4. भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत बाल हितैषी ग्राम पंचायतों के संबंधों में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 26 एवं 27 फरवरी 2019 को ग्वालियर में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा की गई। कार्यशाला में बाल हितैषी पंचायतों के संबंध में रणनीति तय की गई। कार्यशाला में सचिव भारत सरकार यूनिसेफ के प्रतिनिधि एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया।
5. **वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रशिक्षण** :— प्रदेश में नवाचार पहल के तहत प्रशासनिक अकादमी भोपाल के सेटकॉम सेन्टर के माध्यम से प्रदेश की सभी 313 जनपद पंचायतों अंतर्गत स्थित एक्सीलेन्स स्कूलों के माध्यम से प्रदेश के 22812 ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायकों को कार्यालय प्रबंधन, लेखा प्रबंधन, उत्कृष्ट पंचायतों की नवाचार पहलों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। अद्यतन स्थिति में कुल 36000 कार्यकारी अमलों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं द्वितीय चरण में 45000 पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

भाग- 4 **सांसद आदर्श ग्राम योजना**

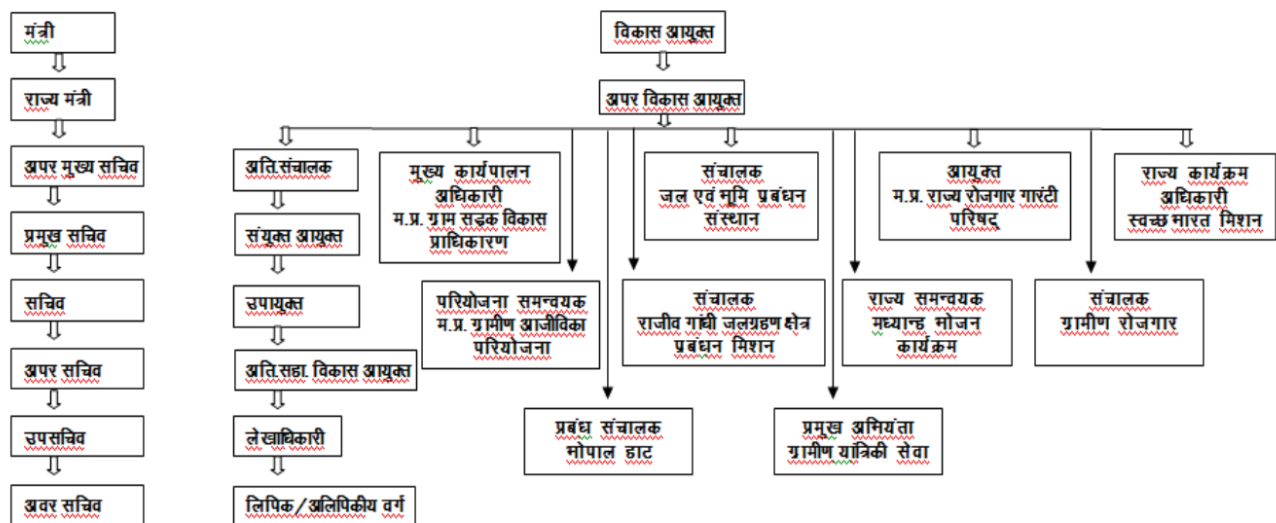
1. **योजना का नाम** — सांसद आदर्श ग्राम योजना।
2. **प्रस्तावना** — सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गाँधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना "स्वराज" को "सुराज" में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केन्द्रित है।
3. **उद्देश्य** —
 - i. निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
 - ii. आबादी के सभी वर्गों के जीवन-स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के जरिए किया जाएगा —
 1. उन्नत बुनियादी सुविधाएं
 2. अधिकतम उत्पादकता
 3. बेहतर मानव विकास
 4. बेहतर आजीविका के अवसर
 5. असमानता में कमी
 6. अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाना
 7. वृहत सामाजिक एकजुटता
 8. समृद्ध सामाजिक पूंजी
 - iii. स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।
 - iv. निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
4. **कार्यक्षेत्र** — चयनित ग्राम पंचायत
5. **भौतिक उपलब्धि** — वर्तमान में प्रदेश के कुल 68 ग्राम पंचायतों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।



खण्ड- दो
ग्रामीण विकास

विभागीय संरचना

विभागीय संरचना



संभागीय कार्यालय	जिला पंचायत कार्यालय	जनपद पंचायत कार्यालय	महात्मागांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र
संयुक्त आयुक्त(पि.) (संभागीय आयुक्त कार्यालय)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	संचालक	प्राचार्य (उपायुक्त)
मु.का.अ. ज.पं.	अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी (उपायुक्त) जिला पंचायत	विकास खंड अधिकारी	अतिरिक्त संचालक	संकाय सदस्य
सहायक अधीक्षक	परियोजना अधिकारी / उपायुक्त (प्रति / संविदा)	विकास विस्तार अधिकारी	संयुक्त संचालक (संयुक्त आयुक्त)	मु.का.अ. ज.पं.
लिपिक वर्गीय	सहायक परियोजना अधिकारी / विकास खंड अधिकारी (प्रति. / संविदा)	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	उप संचालक (उपायुक्त)	वार्डन
	परियोजना अर्थशास्त्री	लिपिक वर्गीय	मु.का.अ. ज.पं.	लिपिक/ अलिपिकीय वर्ग
	वरिष्ठ लेखाधिकारी		संकाय सदस्य	
	लेखाधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी	
	तकनीकी सहायक		लेखाधिकारी	
	लेखापाल		लिपिक / अलिपिकीय वर्ग	
	लिपिक वर्गीय			

ग्रामीण विकास विभाग का संगठन एवं अधीनस्थ कार्यालय

- ग्रामीण विकास विभाग में प्रारंभ से विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर का एकल स्वरूप विद्यमान है। ग्रामीण विकास विभाग में विकास आयुक्त पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। सचिव, ग्रामीण विकास पदेन अपर विकास आयुक्त है।
- विभाग में विभागाध्यक्ष विकास आयुक्त हैं।
- विकास आयुक्त कार्यालय में केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनायें— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजन(ग्रामीण), मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास मिशन का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाता है।
- पंचायत संचालनालय में त्रिस्तरीय पंचायतीराज से संबंधित कार्य किया जाता है।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा :

- विभाग के तकनीकी प्रकोष्ठ के रूप में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यरत है। प्रमुख अभियंता को ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का विभागाध्यक्ष घोषित, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में भी दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को किया गया है।
- प्रमुख अभियंता के अंतर्गत जबलपुर, इन्दौर तथा भोपाल में कुल तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यरत।
- क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व संभाग में एक मण्डल कार्यालय कार्यरत है, जो अधीक्षण यंत्री के प्रभार में है। वर्तमान में 10 मण्डल कार्यालय कार्यरत हैं।
- जिलों का आकार एवं कार्यभार के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 60 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका कार्य संपादन कार्यपालनयंत्रियों द्वारा किया जा रहा है।
- जनपद पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मिलाकर 1459 उपयंत्रियों के पद निर्मित हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. :

- योजना 2 फरवरी 2006 से लागू की गई।
- वर्तमान में 51 जिलों की 313 जनपद पंचायतों अंतर्गत क्रियान्वित।
- निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का गठन।
- अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार गठित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. की कंडिका 1.6.1 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सामान्य सभा गठित।
- समन्वय, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण सहित प्रशासनिक दायित्वों के लिए उत्तरदायी।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम — म.प्र. अधिनियम के प्रावधान क्रमांक 1.6.4 के अनुसार परिषद् की राज्यस्तरीय सशक्त समिति गठित, जिसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन है। सशक्त समिति द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन, परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक, वित्तीय प्रबंधन किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :

- सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने तथा स्वच्छता पर ध्यान संकेन्द्रित करने हेतु, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है।
- भारत शासन स्तर पर सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) एवं प्रदेश स्तर पर राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) इस मिशन के समन्वयक।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा-निर्देश और उसके अंतर्गत प्रावधानों को 02.10.2014 से लागू कर दिया गया है। क्रियान्वित जिलों में मिशन का संचालन जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है।
- जिला कलेक्टर, मिशन लीडर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समिति के सचिव हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :

- योजना के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गठन किया गया है।
- प्राधिकरण की कार्यकारिणी की अध्यक्षता माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाती है।
- प्राधिकरण में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन भी संचालित है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन :

- मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ 2012 से ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्त स्व-सहायता समूह बनाये जाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराने हेतु हुआ है।
- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय अनुरूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर आजीविका मिशन का क्रियान्वयन चरणबद्ध क्रम में चयनित जिलों में किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में 33 जिलों के 195 विकासखण्डों में सघन रूप से क्रियान्वित।
- प्रदेश के शेष 118 विकासखण्डों में गैर-सघन रूप से जिला पंचायतों के माध्यम से मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास :

- जुलाई 2015 से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम को “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” में समाहित कर “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास” नाम दिया गया है।
- योजना का बहुआयामी दृष्टिकोण नवीन जल स्रोतों के सृजन, प्रभावी जल परिवहन, जल के समुचित वितरण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग को समाहित कर अभिकल्पित किया गया है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :

- भारत सरकार एवं राज्य शासन से प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों का योजना के अनुरूप समुचित वित्तीय नियोजन हेतु स्वायत्त संस्था के रूप में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद् का गठन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत किया गया है।
- परिषद् की साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन हैं। साधारण सभा कार्य की नीति विषयक बिन्दुओं पर निर्णय लेती है, कार्यक्रम का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करती है।

- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद् के लिए विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जो नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन तथा कार्यक्रम के नियमित अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है।

भोपाल हाट :

- भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष परियोजना “भोपाल हाट” की स्वीकृत दी गई थी।
- विशेष परियोजना के तहत भोपाल हाट का निर्माण किया गया है। भोपाल हाट के संचालन के लिए “भोपाल हाट” सोसायटी का गठन किया गया।
- समिति के गठन का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के स्व-सहायता समूह एवं स्वरोजगारियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय कराना, ग्रामीण शिल्पियों स्व-सहायता समूहों का डाटा बेस तैयार करना।
- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मेलों के आयोजन का उद्देश्य स्वरोजगारियों को उनके उत्पादों का विशिष्टता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण, संसाधन एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण एवं पंचायत राज संस्थान :

- यह संस्थान जबलपुर में स्थित है एवं इसके अधीन 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र – ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नौगांव एवं सिवनी में हैं।
- प्रशिक्षण संस्थानों में पंचायत के पदाधिकारियों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- प्रदेश में 3 पंचायतीज प्रशिक्षण संस्थान मुल्ताई, शिवपुरी एवं नौगांव में स्थित है जहां पर पंचायत सचिव एवं सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- युवाओं को प्रेरित व प्रशिक्षित करने हेतु संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी में स्थापित है।
- जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में भू-जल संरक्षण पड़त भूमि विकास संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, भोपाल, :

- म.प्र. शासन ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जल एवं भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में राज्यस्तरीय शीर्ष संस्थान है।
- संस्थान म.प्र. सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत दिनांक 31.08.1985 को क्र. 15463 पर पंजीकृत है। संस्था के प्रमुख कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण, अनुसंधान, समन्वयन, विस्तार एवं जानकारी का प्रचार-प्रसार, सलाहकारिता, तकनीकी अंतरण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं मानव संसाधन विकास संबंधी कार्य किये जाते हैं।

विकास आयुक्त कार्यालय का वर्ष 2018-19 का बजट प्रावधान दर्शाने वाला पत्रक

विकास आयुक्त (5802)

(राशि रुपये लाख में)

योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2018-19 का बजट प्रावधान (मार्च, 2019 की स्थिति)	वर्ष 2018-19 का व्यय (मार्च, 2019 की स्थिति)
1	2	3	4
मांग संख्या-30 मुख्य शीर्ष 2515 – सामुदायिक विकास कार्यक्रम (आयोजना)			
1033	विकासखण्ड कार्यालय	15377.51	13161.49
3926	विकास आयुक्त (मतदेय)	784.65	577.58
	(भारित)	3.06	0.00
3927	विकास कार्यों के लिये संभाग एवं जिला स्तर पर अमला	658.99	524.99
9433	अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.00	0.00
7300	स्व. सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0.00
1214	अपेक्स संस्थान	392.00	392.00
9467	जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम	145.00	145.00
1166	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र	400.00	400.00
1032	विद्युतीकरण	300.00	188.98
6550	निर्माण सामग्री प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	95.00	12.90
6446	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा सड़क एवं पुल अनुरक्षण	0.02	0.00
	योग – आयोजना (मतदेय)	18153.18	15402.93
	भारित	3.06	0.00
मांग संख्या-30 मुख्य शीर्ष 2215 (आयोजना)			
5565	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	220.00	198.00
	योग	220.00	198.00
मांग संख्या-53 मुख्य शीर्ष 2215 (आयोजना)			
5206	निर्मल भारत अभियान	223400.00	68289.22
	योग	223400.00	68289.22
मांग संख्या-30 मुख्य शीर्ष 2216 (आयोजना)			
6255	मुख्यमंत्री आवास मिशन	15000.00	15000.00
	योग	15000.00	15000.00
मांग संख्या-53 मुख्य शीर्ष 2215 एवं 2216 (आयोजना)			
5198	प्रधानमंत्री आवास योजना	660000.00	552366.14
5131	मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	3134.00	0.00
6255	मुख्यमंत्री आवास मिशन	27766.01	27766.01
	योग	690900.01	580132.15
मांग संख्या-30 मुख्य शीर्ष 2501			
8774	राज्य स्तर का अमला	658.99	524.99
8711	भू-जल प्रबंधन संस्थान (वाल्मी)	880.00	880.00
5568	आर.जी.एम. परिषद	55.00	55.00
	योग	1593.99	1459.99

योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2018-19 का बजट प्रावधान (मार्च, 2019 की स्थिति)	वर्ष 2018-19 का व्यय (मार्च, 2019 की स्थिति)
1	2	3	4
मांग संख्या-53 मुख्य शीर्ष 2501			
5127	राज्य एसजीएसवाय	0.03	0.00
5484	समन्वित आजीविका कार्यक्रम	0.01	0.00
5770	एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	28500.00	25650.00
7466	नीरांचल परियोजना	1032.00	0.00
6836	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना	63300.00	21071.81
7571	मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना	3150.00	3150.00
2372	रेडी-टू-ईट-टेकहोम राशन कार्यक्रम	6970.00	6970.00
	योग	102952.04	56841.81
मांग संख्या-53 मुख्य शीर्ष 2505 – ग्रामीण रोजगार योजना			
6923	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	250000.00	203518.88
	योग	250000.00	203518.88
मांग संख्या-30 मुख्य शीर्ष 2505 – 2515 ग्रामीण रोजगार योजना			
6930	म.प्र. राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्	523.00	470.70
2368	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु विलंबित मजदूरी भुगतान	0.00	0.00
5566	मध्यान्ह भोजन परिषद्	80.00	72.00
	योग-	603.00	542.70
मांग संख्या-53 मुख्य शीर्ष 2515-4515			
7886	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (सामग्री परिवहन)	9000.00	5028.91
6931	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	110000.00	73532.93
1329	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (दुग्ध प्रदाय)	12330.00	9815.07
0656	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (किचिन डिवाइजेज)	1000.00	0.00
0660	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरवन मिशन	5000.00	4500.00
6099	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (किचिन शेड)	6117.95	6117.95
	योग-	143447.95	98994.86
मांग संख्या-59 मुख्य शीर्ष 4515			
5853	डी.पी.आई.पी.	0.00	0.00
0654	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (विदेशी सहायता)	100000.00	80000.00
	योग	100000.00	80000.00
मांग संख्या-61 मुख्य शीर्ष 2515			
6109	बुंदेलखंड पैकेज (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	0.01	0.00
	योग	0.01	0.00
मांग संख्या-30 मुख्य शीर्ष 2515- 4515			
7467	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	250000.00	176954.05
9216	प्रधानमंत्री सड़क निमित्त सड़कों का नवीनीकरण	77250.00	47020.00
5129	राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	20000.00	14000.00
7251	विकास भवन	1500.00	1499.71
	योग-	348750.00	239473.76
	महायोग- मांग संख्या 30 / 53 / 59 / 61 (आयोजना)	1895020.19	1359854.29
	भारित	3.06	0.00

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

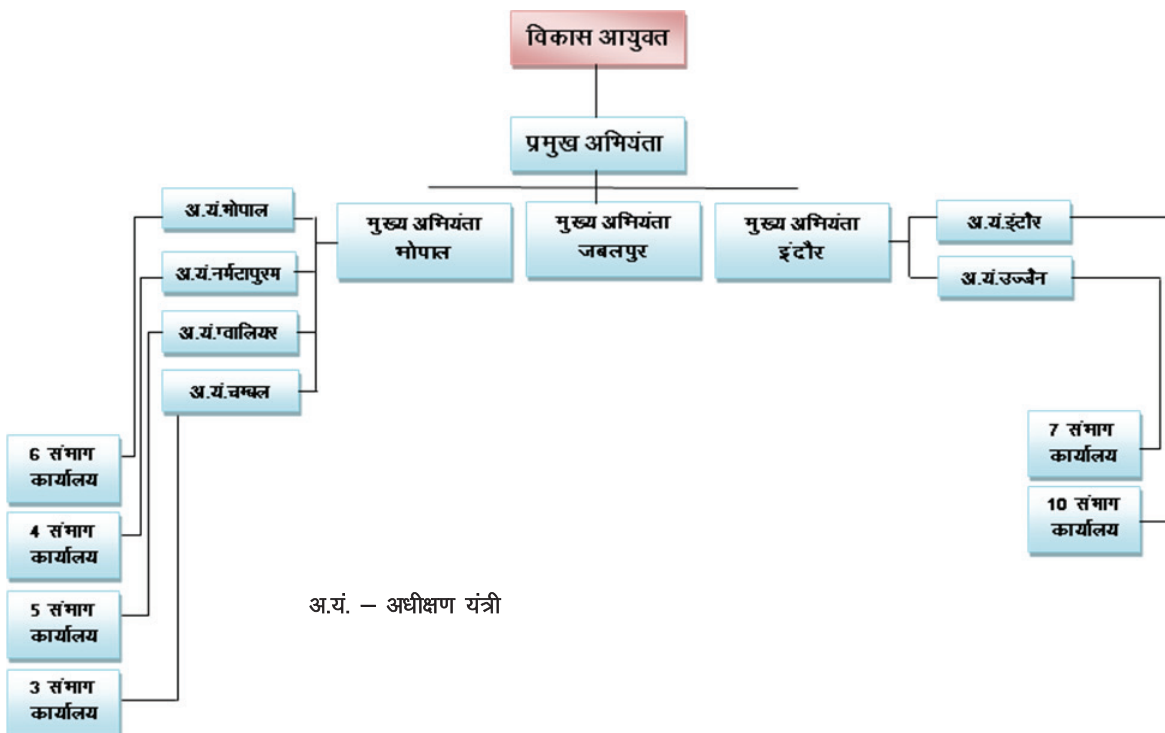
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना :

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत तकनीकी एवं निर्माण प्रकोष्ठ के रूप में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रु. 15 लाख लागत तक के निर्माण कार्यों का संपादन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है तथा शेष निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से सीधे संपादित किये जाते हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इस प्रकार दो मुख्य दायित्व हैं :

- प्रथम दायित्व के रूप में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा संपादित किये जा रहे समस्त निर्माण कार्यों पर तकनीकी सलाह एवं तकनीकी नियंत्रण का कार्य।
- द्वितीय दायित्व के रूप में विभिन्न विभागों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधोसंरचना के कार्यों का क्रियान्वयन।

प्रमुख अभियंता के अंतर्गत जबलपुर, इन्दौर तथा भोपाल में कुल तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यरत हैं। इन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व संभाग में एक मण्डल कार्यालय कार्यरत है, जो कि अधीक्षण यंत्री के प्रभार में है। वर्तमान में 10 मण्डल कार्यालय कार्यरत हैं। जिलों का आकार एवं कार्यभार के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 60 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका कार्य संपादन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। इन 60 संभागीय कार्यालय के अंतर्गत 182 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत है। जनपदों में एवं उपसंभागीय कार्यालयों हेतु 643 सहायक यंत्री के पद निर्मित हैं। जनपद पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मिलाकर 1459 उपयंत्री के पद निर्मित हैं। विभाग की प्रशासनिक संरचना का विवरण चार्ट निम्नानुसार हैं।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना



ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संपादित कार्य : ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा संपादित किये जा रहे निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है।

1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना :-

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य :-

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा सार्वभौमिक सड़क सम्पर्कता की ओर कदम बढ़ाते हुए गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई।



कार्य का स्वरूप :-

प्रदेश के समस्त 51 जिलों में 8606 ग्रामों को बारहमासी ग्रेवल सड़क से जोड़ने के लिए 19394 कि.मी. लंबाई की 8377 सड़कों के निर्माण की कार्य योजना स्वीकृत की गई। योजना अंतर्गत पुल-पुलियों सहित ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना में प्राथमिक रूप से विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से रु. 4100 करोड़ का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि :-

योजनान्तर्गत अप्रैल, 2019 तक 7824 सड़कें लंबाई 17930 कि.मी. पूर्ण की गई। पूर्ण सड़कों से 8072 ग्राम लाभान्वित हुए हैं।

2. **ग्रामीण खेल मैदान (स्टेडियम निर्माण)** तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत परफारमेंस ग्रांट की राशि से मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण खेदकूद मैदान निर्माण किये जाने के लिए 202 कार्य लागत रु. 160.73 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं। 136 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं, जिन पर रु. 123.00 करोड़ व्यय किया गया है। शेष कार्य प्रगतिरत हैं।



3. **विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर का निर्माण**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले भोपाल में स्थित विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों एवं कार्यालयों को एक ही भवन में स्थापित करने की दृष्टि से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भोपाल में "विकास भवन सह ई-गवर्नेंस सेंटर" भवन का निर्माण कार्य किया जावे।

प्रस्तावित भवन



शासन ने उक्त भवन के लिए भोपाल में अरेरा हिल्स पर लगभग 2.00 एकड़ भूमि पुराने जेल भवन के सामने उपलब्ध कराई गई है। इस भवन के निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा रु. 53.38 करोड़ राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.05.2012 को प्रदान की गई है। इस भवन के निर्माण के लिए वास्तुविद सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था ई.पी.सी.ओ. (एफ्को) द्वारा प्रदान की गई हैं।

वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है जिस पर राशि रु. 48.00 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

4. मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना :

योजना अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गिरते हुए जल स्तर को उठाने एवं निस्तार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु तालाबों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तालाबों की उपयोगिता एवं जल संवर्धन के महत्व के दृष्टिगत उपयुक्त स्थलों पर बहुउद्देशीय ग्राम सरोवरों का निर्माण किया जावेगा। तालाबों के साथ घाट निर्माण का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। कार्य संपादन हेतु प्रारंभिक तैयारी के रूप में स्थलों का चिन्हांकन किया जा चुका है। इन चिन्हित स्थानों पर विस्तृत सर्वे उपरांत कार्यों के लगभग 1000 डीपीआर तैयार किये जा रहे हैं।

योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 265 तालाबों की प्रशासकीय स्वीकृति पंचायती राज संचालनालय द्वारा रु. 292.74 करोड़ की जारी गई है। योजनान्तर्गत 156 तालाबों के कार्य प्रारंभ कराए गए हैं।



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश

यह योजना भारत सरकार द्वारा “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005” के तहत संचालित है।

योजना का उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को अधिकतम 100 दिवस का श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा बढ़ाना।
- वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण-पत्र धारक परिवारों को 150 दिवस का श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन।

योजना के पात्र :

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्य।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया :

- इच्छुक परिवारों का ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना होगा।
- पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी।
- जॉबकार्डधारक द्वारा रोजगार का आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

योजना के तहत मजदूरी :

- केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान योजना अंतर्गत “जितना काम उतना दाम” के आधार पर अधिकतम 15 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्तमान में 174.00 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दर (01 अप्रैल 2018 से) प्रभावशील है। पुरुष एवं महिला की मजदूरी दर समान है।

उपयोजनाएँ :

हितग्राही मूलक :

- हितैषी कपिलधारा • वनवासी संवर्धन • खेत तालाब • नाडेप व वर्मी कम्पोस्ट।

समुदाय मूलक :

- शैल पर्ण • निर्मल नीर • ग्रामीण क्रीड़ांगन • शांतिधाम • कामधेनू • बारहमासी सड़क सम्पर्कता (• आंतरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क/पथ निर्माण • सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क आयोजना) • नर्मदा समग्र प्रकल्प एवं परिक्रमा पथ • भारत निर्माण सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) • आंगनबाड़ी भवन • अनाज गोदाम • प्राकृतिक स्त्रोत प्रबंधन (NRM) • हाट बाजार • नदी पुनर्जीवन • चंदेल/बुंदेलकालीन प्राचीन तालाबों की मरम्मत/जीर्णोद्धार • बाउण्ड्रीवाल (कम्पाउण्डवाल) का अभिसरण से निर्माण • डामरीकृत ग्रामीण सड़क उपयोजना।

रोजगार की उपलब्धता : (28 मई 2019 की स्थिति में)

- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्ष 2018-19 में 69.24 लाख जॉबकार्डधारी परिवारों में से 49.94 लाख जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा 2029.98 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं।
- जिनमें से अनुसूचित जाति द्वारा 16.29% मानव दिवस, अनुसूचित जनजाति द्वारा 34.29% मानव दिवस तथा कुल मानव दिवस में से 36.54% मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किए गये हैं।
- वर्ष 2018-19 में 60,428 निःशक्तजनों को महात्मा गांधी नरेगा से रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय स्थिति :

वित्त वर्ष 2018-19			(31.03.2019 की स्थिति में)
विवरण			राशि रुपये (करोड़ में)
सामग्री एवं प्रशासनिक मद	केन्द्रांश	राज्यांश	2012.95
	1531.38	481.57	
NeFMS राशि (मजदूरी) 100 प्रतिशत केन्द्रांश			2997.72
कुल प्राप्त आवंटन (1+2)			5010.67
कुल व्यय राशि			5018.19

शिकायत निवारण व्यवस्था :

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत जन शिकायतों के निराकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से “मध्यप्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत प्रतिरोषण) नियम, 2012” लागू किये गये हैं। शिकायतों का समयबद्ध निराकरण किया जाता है। आवेदक के निराकरण से असंतुष्ट होने पर इन नियमों में अपील का भी प्रावधान है।
- जन शिकायतों की जांच में पारदर्शिता एवं स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा जांच के उद्देश्य से “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य) मध्यप्रदेश नियम 2013” लागू किये गये हैं।
- **सी.एम. हेल्पलाइन 181** : दूरभाष द्वारा समस्याओं का समाधान, शिकायतों एवं सूचना प्रदाय हेतु प्रचलित योजना टेली समाधान अब सी.एम. हेल्पलाइन 181 के नाम से प्रचलित है। 181 पर प्राप्त शिकायतों का वर्गीकरण एल-1, एल-2, एल-3 एवं एल-4 स्तर पर किया जाकर तदानुसार शिकायतों का निराकरण किया जाता है।
- **मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन** : प्रत्येक माह प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों, संभागायुक्तों तथा राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन चर्चाकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान संबंधित नागरिक के समक्ष करते हैं।
- **जन सुनवाई** : विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर स्थित कार्यालयों में नियत दिवस पर साप्ताहिक जन सुनवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाता है।
- **सतर्कता इकाई** : राज्य स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पालन में राज्य सतर्कता इकाई का गठन मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण :

सामाजिक लेखा परीक्षा नियम 2011 के अनुपालन में वर्ष 2018-19 का सामाजिक अंकेक्षण वार्षिक कैलेण्डर निर्मित किया गया जिसमें प्रदेश की 11190 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें 3947 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के साथ मिशन अन्त्योदय अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण का लक्ष्य भी शामिल है। उक्त

लक्षित ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 10666 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है एवं 2350 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों के साथ मिशन अंत्योदय अंतर्गत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी पूर्ण किया गया। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 की शेष 1094 ग्राम पंचायतों में भी मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2018-19 में पूर्ण किया गया। वर्ष 2018-19 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के तहत लगभग 15000 ग्राम सामाजिक एनिमेटर को प्रशिक्षित किया गया जिनमें 2678 एनआरएलएम इन्टेंसिव विकासखण्ड की स्वसहायता समूह की महिला सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2018-19 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया से 3914 मुद्दे प्राप्त हुए। उक्त प्राप्त मुद्दों में से 1608 मुद्दे संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में निराकृत किए गए हैं।

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना से निर्मित कपिलधारा कूपों का ऊर्जीकरण :

- कपिलधारा कूपों के ऊर्जीकरण हेतु क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ।
- योजना प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 06 जिलों क्रमशः सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह एवं दतिया में संचालित।
- पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर निर्मित पूर्ण कूपों से सिंचाई हेतु पानी उद्वहन के लिए प्रथम चरण हेतु 40,000 विद्युत/डीजल पम्प सेट को प्रदाय किये जाने का लक्ष्य।
- हितग्राही को स्वयं द्वारा चयनित पम्प सेट हेतु राशि रु. 25,000/- अधिकतम अनुदान दिया जाना प्रावधानित।

उपलब्धि :

विवरण	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लक्ष्य	स्थापित पम्प
प्रथम चरण	80 करोड़	79.57 करोड़	40,000	39,639
द्वितीय चरण (वर्ष 2013-14-2016-17)	25 करोड़	12.02 करोड़	10,000	4,320

प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (MIS)

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अकुशल मजदूरी भुगतान एफटीओ द्वारा 3416.78 करोड़ रुपये एवं सामग्री पर एफटीओ द्वारा 1731.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि 5411.20 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई तथा राशि रु. 351.54 करोड़ लंबित राशि का भुगतान एफटीओ के माध्यम से किया जाना प्रचलन में है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2029.98 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल पूर्ण कार्यों की संख्या 1232143 एवं प्रगतिरत कार्यों की संख्या 713215 है।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रगतिरत कार्यों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्य	संख्या	क्र.	कार्य	संख्या
1.	आंगनबाड़ी एवं अन्य ग्रामीण आधारभूत संरचनाएं	24890	9.	परम्परागत जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार	6359
2.	भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा	2141	10.	ग्रामीण सड़क	64301
3.	सूखा रोधन	17706	11.	पेयजल	1950
4.	मछली पालन	399	12.	ग्रामीण शौचालय	26199
5.	बाढ़ नियंत्रण	1896	13.	जल संरक्षण एवं जल संवर्धन	52729
6.	अनाज गोदाम	148	14.	हितग्राही मूलक कार्य	503072
7.	भूमि सुधार	6561	15.	अन्य कार्य	289
8.	सूक्ष्म सिंचाई कार्य	305			

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र. की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। योजना में पारदर्शिता की दृष्टि से आमजन सीधे ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नरेगा साफ्टवेयर का उपयोग योजना क्रियान्वयन, मजदूरी, इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल, कार्यों एवं उन पर होने वाले व्यय के सीधे भुगतान के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन, मॉनिटरिंग तथा रियल टाईम सूचना तंत्र विकसित किया गया है।

रोजगार की उपलब्धता, कार्यों की मॉनिटरिंग एवं भुगतान प्रणाली में बेहतर वित्तीय प्रबंधन व पारदर्शिता के लिये इलेक्ट्रॉनिक मस्टररोल व डिजिटल हस्ताक्षर युक्त इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली को प्रदेश के समस्त जिलों में एक साथ 01 अप्रैल 2013 से लागू किया गया है।

मध्यप्रदेश एक साथ सम्पूर्ण प्रदेश में ई-एफएमएस प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। इस प्रणाली में जनपद पंचायत पर कार्यरत मुख्य कार्यपालन अधिकारी व सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फण्ड ट्रांसफर ऑर्डर जारी किये जाते हैं। जारी एफटीओ के आधार पर जिले की योजना खाते से राशि आहरित होकर सीधे मजदूर अथवा सामग्री प्रदायकर्ता के खाते में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से बैंक अथवा पोस्ट आफिस द्वारा हस्तांतरित की जाती है।

वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट पद्धति अंतर्गत ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायत अथवा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के खाते संधारित करने की आवश्यकता अब नहीं रही है। समस्त प्रकार के भुगतान राज्य स्तरीय एकल खाते के माध्यम से एफटीओ द्वारा सम्बन्धित जिला/जनपद पंचायत अथवा अन्य शासकीय एजेंसी जिसे राज्य शासन द्वारा अनुमति दी गई है, उनके द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

राज्य में मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित सम्पूर्ण कार्यों का व्यय राज्य के योजना खाते से एफटीओ के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में ई-एफएमएस प्रणाली के लागू होने के वृहद स्वरूप की मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में अनेक लाभ हुये हैं तथा रोजगार की उपलब्धता, समय पर भुगतान, शिकायत निवारण, वित्तीय तथा कार्य क्रियान्वयन की दृष्टि से यह सर्वोत्तम तथा आदर्श ई-गवर्नेंस व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। नवम्बर 2016 से प्रदेश में मजदूरी का भुगतान सीधे भारत सरकार के खाते से मजदूरों के खातों में NeFMS(National Electronic Fund Management System) से किया जा रहा है।

प्रशासनिक व्यय अंतर्गत कार्यरत अमले का वेतन तथा अन्य कार्यालयीन व्यय करने के लिये विभिन्न मदों में बजट की सीमा अंतर्गत व्यय करने हेतु राज्य स्तर पर पूल खाते से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति विकसित की गई है। जिला एवं जनपद पंचायतों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व अन्य कार्यालयों को निर्धारित सीमा तक व्यय हेतु डिजिटल सिग्नेचर से इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर ऑर्डर करने का प्रावधान किया गया है।

GIS : (Geographical Information System)

जियो मनरेगा अंतर्गत इंडियन स्पेश रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) की भुवन मोबाइल एप्स के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से पंजीकृत एमएसई (ग्राम रोजगार सहायक) द्वारा कार्य स्थल से जियोटैग फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति सेटेलाइट मैप पर देखी जा सकेगी। कार्यों की जीआईएस के साथ-साथ कार्यों पर हुये व्यय आदि का विवरण भी भुवन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। मौके पर कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने तथा पारदर्शिता की दृष्टि से यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण में जियो मनरेगा प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से पूर्व प्रारंभ हुये ऐसे समस्त कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, उनको कार्य पूर्णता होने पर कार्य का जियो टैग फोटोग्राफ प्राप्त

करने का प्रावधान है। इसी प्रकार द्वितीय चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से प्रारंभ कार्यों के 03 स्थितियों के फोटोग्राफ लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश में जियो मनरेगा का क्रियान्वयन प्रथम चरण में 05 जिलों क्रमशः भोपाल, सीहोर, रायसेन, हरदा एवं बैतूल जिले में माह सितम्बर 2016 से किया गया है, जिसे दिनांक 16 नवम्बर 2016, से समस्त जिलों में लागू कर दिया गया है।

जियो मनरेगा मनरेगा फेस-2 अंतर्गत जियो मनरेगा द्वितीय चरण के कार्यों के 03 स्थितियों के भुवन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रथम स्थिति कार्य स्वीकृत के बाद कार्य प्रारंभ होने के पूर्व का कार्य स्थल का फोटो जियोटैग करना, द्वितीय स्थिति प्रगतिरत कार्य की फोटो जियोटैग करना एवं तृतीय स्थिति में पूर्ण कार्य की फोटो जियोटैग करना आवश्यक है। कार्य का प्रथम मस्टररोल जारी करने के पूर्व प्रथम स्थिति का फोटोग्राफ, कार्य पर 30 से 60 प्रतिशत के मध्य व्यय होने पर द्वितीय स्थिति का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने पर तृतीय स्थिति का फोटोग्राफ अनिवार्य किया गया है।

कार्यों की निगरानी रखने के लिये तथा विभिन्न अधिकारियों द्वारा कार्यों के भौतिक सत्यापन करने के लिये निरीक्षण हेतु जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम उपयोग किया जा रहा है। इस हेतु अधिकारियों के मोबाइल पर ई-निगरानी/इंफ्रामैपिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यों के जियोग्राफिकल स्थिति तथा कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता तथा अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमण की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से प्राप्त की जाती है।



बालाघाट जिले में गायगोह तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में श्रमदान करते हुए माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यप्रदेश

(1) परिदृश्य :

- सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने हेतु 2 अक्टूबर, 2014 को “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” की शुरुआत हुई।
- मिशन की गतिविधियों के लिये 60 प्रतिशत भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वित्त पोषण किया जाता है।
- मिशन सभी जिलों के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर मिशन का नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। मिशन के समन्वयक राज्य कार्यक्रम अधिकारी है। जिलों में संचालन, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है। जिला कलेक्टर मिशन लीडर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सचिव हैं।

(2) उद्देश्य :

- (क) स्वच्छता, साफ-सफाई और खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने की गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।
- (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों को विकसित करना।

(3) मुख्य घटक :

I. व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग :

- भारत शासन द्वारा आधारभूत सर्वे 2012 में पाये गये पात्र हितग्राहियों के लिए पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रुपये 12000 है।
- स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में अतिरिक्त अंशदान करने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है।
- प्रोत्साहन राशि के लिए निम्न वर्ग के परिवार पात्र हैं :
 - अनुसूचित जाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के बी.पी.एल.,
 - लघु व सीमांत कृषक
 - ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार,
 - शारीरिक रूप से निःशक्त/दिव्यांग
 - परिवार का मुखिया यदि महिला हो

II. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण –

- सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण केवल तब किया जाएगा जब पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए गांव में जगह की कमी हो और समुदाय/ग्राम पंचायत उनके परिचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी लें तथा उसके लिए विशिष्ट मांग करें।

- ऐसे परिसरों का निर्माण उन सार्वजनिक जगहों, बाजारों, बस-पड़ावों आदि जगहों पर किया जा सकता है, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं।
- परिसर निर्माण के लिए मिशन अन्तर्गत अधिकतम लागत रुपये 2.00 लाख निर्धारित है जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं समुदाय/ग्राम पंचायत का अंशदान क्रमशः 60:30:10 के अनुपात में प्रावधानित है।

III . ठोस एवं तरल कूड़ा-करकट का निपटान –

- ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से प्रावधान है। इसके अंतर्गत 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 7.00 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 12.00 लाख, 500 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 15.00 लाख एवं 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट ग्राम पंचायतवार परियोजना प्रस्ताव तैयार कर क्रियान्वयन किया जाता है।

IV. आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) क्षमता वर्धन :

- आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आई.ई.सी. समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने, परिवारों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजित करने के लिए किया जाता है।

V. नवाचार/पहल :

1. 2 अक्टूबर, 2019 तक प्रदेश के शत-प्रतिशत घरों में उपयोगी शौचालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करके ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रदेश के सभी 51 जिलों में 26000 से अधिक स्वच्छाग्रहियों का चयन निम्नांकित गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये किया गया है –

- समुदाय आधारित प्रक्रिया के तहत छूटे हुए घरों का चिह्नंकन।
- सभी 90 लाख शौचालयों का भौतिक सत्यापन के तहत टूटे फूटे शौचालयों का चिह्निकरण।
- निगरानी समितियों का गठन/सशक्तिकरण ताकि समुदाय आधारित निरीक्षण को निरंतर बनाया जाए।
- अंतर्व्यक्ति संचार के माध्यम से समुदाय का लगातार अभिप्रेरण ताकि सभी सदस्य निरंतर शौचालय का उपयोग करते रहे।

स्वच्छाग्रही उपरोक्त कार्य मोबाइल एप के माध्यम से करते हैं, जिसकी रिपोर्ट स्वच्छ एमपी पोर्टल पर प्रदर्शित होती है। उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग छूटे हुये घरों में शौचालय बनाने तथा अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने के कार्य में किया जाना है। इस विधि की सराहना भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा की गई है।

2. प्रदेश के 392 ग्रामीण उपस्वास्थ्य केन्द्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया गया जिससे स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले लोगों को प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध हो सके तथा इन केन्द्रों के आस पास स्वच्छता एवं साफ-सफाई सुनिश्चित हो सके।

वर्ष 2018-19 की प्रमुख उपलब्धियाँ :-

- BLS सर्वे 2012 में दर्ज समस्त शौचालय विहीन 64,93,769 घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हो जाने से 02 अक्टूबर, 2018 को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है।
- इस वर्ष कुल 749400 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया एवं 25612 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG)-2018 सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश को दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 को पश्चिमी क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त करने हेतु पुरस्कृत किया गया।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) अन्तर्गत 5000 से अधिक आबादी वाली स्व-कराधान करने वाली पंचायतों में प्रारंभिक रूप से उज्जैन में 09 एवं इन्दौर में 12 ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य प्रगतिरत हैं। अपशिष्ट प्रबंधन हेतु घरेलू स्तर पर कचरे का निपटान, आवश्यक होने पर घर-घर से कचरे का संग्रहण, परिवहन एवं सामुदायिक स्तर पर खाद निर्माण आदि गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। इस हेतु कंपोस्टिंग इकाई, सोखता गड्ढे, जल स्थिरीकरण तालाब आदि संरचनाएं निर्मित की जा रही है।
- पेशेवर एजेंसियों से “अभिरुचि का आमंत्रण” किया जाकर प्रक्रिया अनुसार उपयोगी पाए गए 6 एजेंसियों का चयन किया गया, प्रदेश में प्रत्येक विकासखण्ड में पायलेट आधार पर उपयुक्त संख्या में ग्राम पंचायतों को एक क्लस्टर के रूप में सहयोजित करते हुए 313 क्लस्टर निर्मित कर अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य कराया जाएगा।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (DPR) का निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु सभी 51 जिलों के तकनीकी अमले एवं पंचायत पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण किया गया है।
- प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त की स्थिति को निरंतर रखे जाने हेतु 3.42 लाख ऐसे शौचालय विहीन घरों का चिन्हांकन किया गया है। जो बेसलाईन सर्वे 2012 में दर्ज नहीं थे। मार्च 2019 तक उक्त शौचालय विहीन घरों में से 78543 घरों में स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर :

- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 1528 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

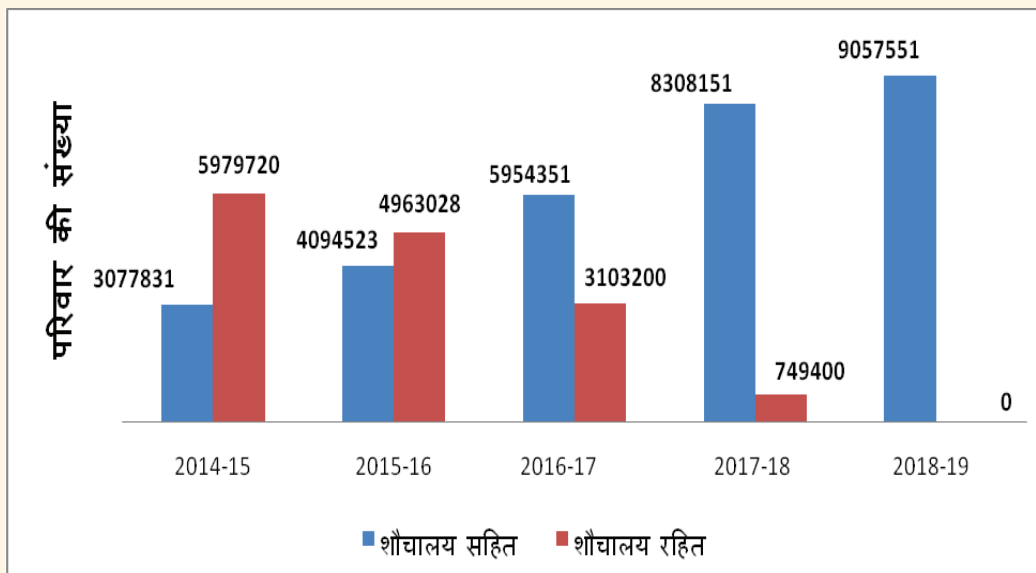
रणनीति :

- प्रति ग्राम पंचायतों में एक स्वच्छाग्रही को संगलग्न करके छोटे हुए घर एवं अनुपयोगी शौचालयों का चिह्निकरण जिससे सभी चिन्हित शौचालयविहीन घरों में शौचालय उपलब्ध कराया जा सके तथा अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाये जाने की गतिविधियाँ की जा सके।
- स्वच्छाग्रहियों से वार्डवार निगरानी समितियों का गठन कराकर उनको स्वच्छता के कार्यों में संलग्न बनाये रखना जिससे ग्रामवासी अपने क्षेत्र में स्वच्छता के लिये योगदान कर सकें।
- स्वच्छाग्रहियों द्वारा सामूहिक व्यवहार परिवर्तन की गतिविधियों का निरंतर संचालन
- पंचायत अधिनियम के धारा 54, 55 एवं 56 के प्रयोग को बढ़ावा देना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण बरकरार रहे।

- महिला स्वसहायता समूहों को स्वच्छता के निर्माण कार्यों में भागीदार बनाना जिससे न केवल स्वच्छता के कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ सके अपितु उनकी आजीविका में भी वृद्धि हो सके।
 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों को सभी विकासखण्डों के एक क्लस्टर में इस वर्ष प्रारंभ करना जिससे अपशिष्ट प्रबंधन की मानक क्रियान्वयन विधि निर्मित हो सके।

उपलब्धि:-

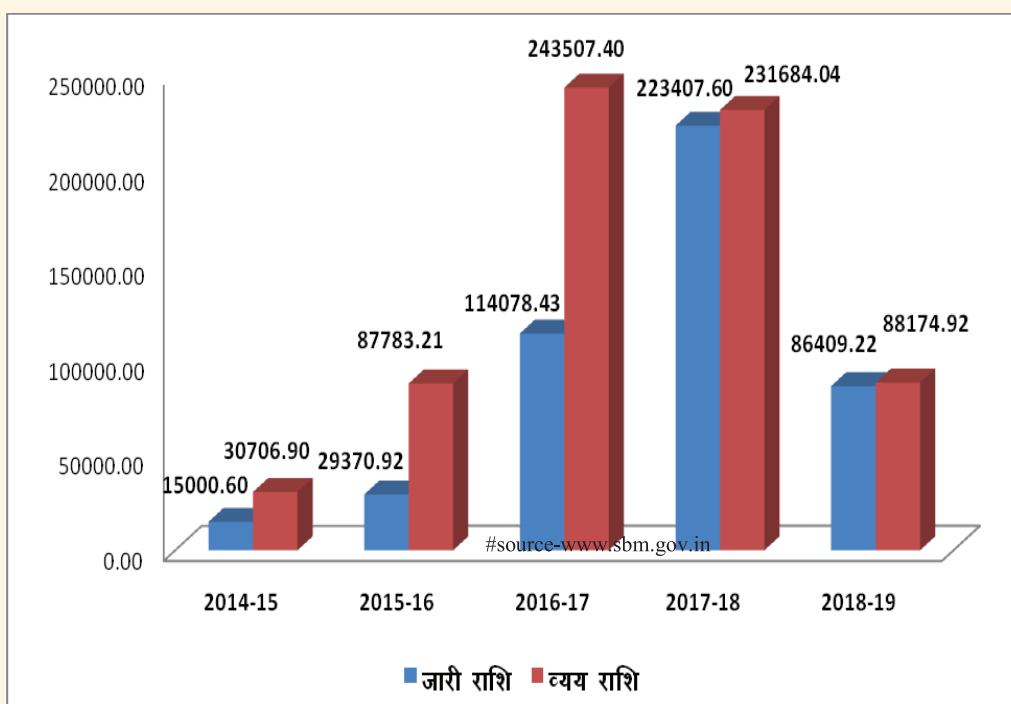
1. भौतिक प्रगति :- व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण-



#source-www.sbm.gov.in

2. वित्तीय प्रगति (केन्द्रांश + राज्यांश):-

(राशि लाख में)





जिले को खुले में शौच से मुक्त कराने एवं स्वच्छता को अपनाने हेतु स्कूलों द्वारा रैली जिला-डिण्डोरी



समुदाय को स्वच्छता व्यवहार अपनाने एवं शौचालय के उपयोग पर समुदाय को समझाईस देते हुए जिला-हरदा



अन्तर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा स्वच्छता सम्मेलन जिला- अलीराजपुर



साबुन से हाथ धुलाई के बाद बच्चे स्वच्छ हाथ दिखाते हुये जिला- झाबुआ



आई.आई.एम. इन्दौर के छात्र द्वारा जिला सीहोर में स्वच्छता आंकलन करते हुये



समुदाय अभिप्रेरण के दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति एक जुट करते हुये स्वच्छाग्राही, जिला- हरदा

चार साल में 62 लाख 78 हजार 514 घरों में बनाए गए शौचालय

प्रदेश खुले में शौच से मुक्त

मग्न खुले में शीघ्र मुक्त प्रदेश बन गया है। यानी 100 फीसदी ओडीएफ। दरअसल, स्वच्छतायुधियों (स्वच्छता से

ये हैं स्वच्छाग्रणी: स्वच्छता के लिए आमजन को प्रेरित करने वाले समाजिक कार्यकर्ता, चर्च, सार्वजनिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता व खुश तारों में शामिल बने बच्चे व बाले लोग।

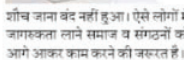
कानैवत-करो यममानि: महान्या गंधी की जयंती पर व अक्रूरज को जिला मुख्यमंत्रियों पर कलेक्टर इन स्वच्छाग्रणी को मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान से सम्मानित करेंगे।

अथ यथायत्न, संगठन का वास्तव: स्वच्छता बनाने का मतलब यह नहीं कि पूरी तरह लोगों ने खुदों में शील जना छोड़ दिया। अभी भी कुछ महिलाओं को प्रोत्साहन अर्थात् नमो

खुले में शौच जाने वालों को रोकने का दायित्व समाज व संगठनों पर

कलेक्टर करेंगे सम्मानित :
महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर इन स्वच्छाग्रहियों को मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान से सम्मानित करेंगे।

अब समाज, संगठन का दायित्व : शौचालय बनाने का मतलब यह नहीं कि पूरी तरह लोगों ने खुले में शौच जाना छोड़ दिया। अभी भी कुछ जिलों के ग्रामीण अंचलों में खुले में



पहली बार होगा सत्यापन : जिल्ले
घरों में शौचालय बनाए हैं, उन घरों में
रहने वाले लोग शौचालय का उपयोग
कर रहे हैं या नहीं। शौचालय उपयोग

बेस लाइन सर्वे था आधार : सरकार ने 2013 में बेस लाइन सर्वे कराया था। इसमें पता चला कि 62 लाख 78 हजार 514 घरों में शौचालय नहीं है। ऐसे घरों में शौचालय बनवाए गए।

लक्षित घरो में शीघ्रता से बनाने का काम तय समय 2 अक्टूबर 2019 से एक साल पहले पूरा किया है। फिर भी यह दावा नहीं कर सकते कि लोग खुल में शीघ्र नहीं जा रहे हैं। ऐसे लोगों में जागरूकता लाने समाज व संगठनों से मदद ले रहे हैं।

- अजीत तिवारी, उपायुक्त
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मप्र



2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीयता को
संरक्षित करने के लक्ष्य भात विचार को
सुरक्षा को भी। मध्यम गति के 150 कि
जारी 2 अक्टूबर 2019 तक देश को सुरक्षित से
संरक्षित से सुरक्षा को लक्ष्य दिया गया है।
राष्ट्रीयता के अभाव पर देश को सुरक्षा
लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। मध्यम गति से
सुरक्षा के लिए सुरक्षा को लक्ष्य दिया गया है।
सुरक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए

दुर्गति - अजयनगर में शहीदों के परिवारों को सहायता देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता श्रीमती विद्या देवी निवासी अजयनगर कर रही हैं।

आज के दौर में तो सच कहेंगे कि
'गंगा (यन्त्र)' का उपयोग करने के अ
से। इसी से कहीं-नें जाने अभी सोचना
नहीं है ना।
ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी मु
उन लोगों में स्वाध्याय के प्रति सम्मान

अलीराजपुर जिला खुले में शौच से मुक्त
जनजातीय चेतना की अनूठी मिसाल

[illegible]

***-Significant Statistic - **0.01-0.05

स्वच्छता ही सेवा – 2018

स्वच्छता पखवाड़े का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार

स्वच्छग्राही परबवाडा शरु

भीकनगंथों। भवच्छायाओं के सबच्छायाओं एक से अनेक
पापकाष्ठ जलन पेशाना भीकनगंथ से चक्रु शिव गदा।
15:15 रिशमर से 2 अक्षरकृत चलेते। भुवनाथ का
पाँचपाद केदार और तलछटाओं में शक्रु किंवदंश, जिह्मों
सकल में जकर शिवक, सत्यत, सचिध, सच एव शारीय
द्वारा अत तन सचर्य अधिपान भवना जिह्मों मनीक
पाँचपाद सम्यकक, अधिपान शीघरी सम्यकत योगत,
प्रेम किहरी पादकत, तथा सचकत, केदार सचिध एत
द्वारा द्वाभा भी सचर्य की यो।



समाजसेवा : 'स्वच्छता ही सेवा दिवस' पर जगह-जगह चला सफाई अभियान
'स्वच्छता ही सेवा है, इससे बढ़कर कोई पुनीत कार्य नहीं'

88 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 89 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 90 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 91 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 92 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 93 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 94 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 95 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 96 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 97 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 98 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 99 **REPORTAGE** **REPORTAGE**
 100 **REPORTAGE** **REPORTAGE**

एक्सप्रेस न्यूज

जनपद सीईओ ने लगाई झाड़ू
कसरतवाड़: जनपद पंचायत सीईओ उदयरजसिंह ग्राम पंचायत में जाकर सफाई व स्वच्छता के साथ सीईओ उदयरजसिंह गांव में झाड़ू लगाकर स्वच्छता ही सेवा है अधिपति ने की। जनपद उदयरजसिंह के ग्राम बलसमुद्र, सुर्वा, बलगांव और सीईओ उदयरजसिंह ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता के रूप में गांव में जाकर कचरा इकट्ठरी में ही डालने की स्वच्छता बनायी है। ग्राम भीलगांव में पंचायत निधि रकम के रूप में एक कचरा मोटर साइकल की उपलब्धता के साथ ही गांव में ग्राम-भंडारण कचरा डेपॉजिशन ग्राउंड

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय ऑनलाइन मीडिया

दैनिक भास्कर

RELIABLE INFORMATION

दैनिक भास्कर
dainikbhaskar.com

स्वच्छता ही सेवा अभियान | राजगढ़ जिले के अफसरों ने पीएम के सामने वाहवाही लूटने के लिए की बड़ी लापरवाही महिला सरपंच की बजाय पति से कराई प्रधानमंत्री की बात, उन्होंने अधूरे गोबर गैस प्लांट को परा बताते हुए कहा- इसने गांव की तस्वीर बदल दी

[illegible]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रस्तावना/परिचय :

सड़कें विकास का आधार होती हैं। सड़क ही वह सेतु है, जो गाँव को शहर से जोड़ता है। गाँवों की समृद्धि शहरों पर निर्भर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादों की खपत के साधन शहरों में होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि विकास का मार्ग शहर से होकर गाँव की ओर आता है। शहर के संपर्क के माध्यम से गाँव देश से जुड़ता है। यही परिचय गाँव को विकासोन्मुख बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधनों से उसका रिश्ता जुड़ता है। बिना सड़क, बिजली, टेलीफोन और आवागमन के साधनों के सर्वोन्मुखी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष यह है कि ग्रामों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति में सड़कों की केन्द्रीय भूमिका होती है, अतः देश की उन्नति के लिए सड़कें प्राथमिक आवश्यकता है। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जिन सुदूर एवं आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाया था, उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

योजना का उद्देश्य :

सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए दिनांक 25 दिसम्बर 2000 को **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन संपर्कता के अतिरिक्त अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन भी किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में आईएपी जिलों में संपर्कविहीन ग्रामों (आबादी 250 तक) को पक्की सड़कों से जोड़ा जाकर बारहमासी (all weather road) सड़क सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ग्रामीण सड़क अधोसंरचना के उच्च विकास हेतु आधुनिकतम/नवीन तकनीकी के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता हासिल की जा सके, इसके लिये राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकारों की मदद ली जाकर उन्नत मापदण्डों के आधार पर एक समयबद्ध कार्यप्रणाली में अनुभवी ठेकेदारों द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन मार्गों का निर्माण/उन्नयन कार्य जारी है।

योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर गठित प्राधिकरण द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के संधारण का कार्य राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से सतत् कराया जाता है साथ ही भारी यातायात से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के क्रस्ट उन्नयन का कार्य भी आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है।

कार्यक्षेत्र : इस योजना का कार्यक्षेत्र पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है।

मानव संसाधन संरचना : प्रपत्र 1 अनुसार (पृष्ठ क्र. 41 पर)

विशेषताएँ :

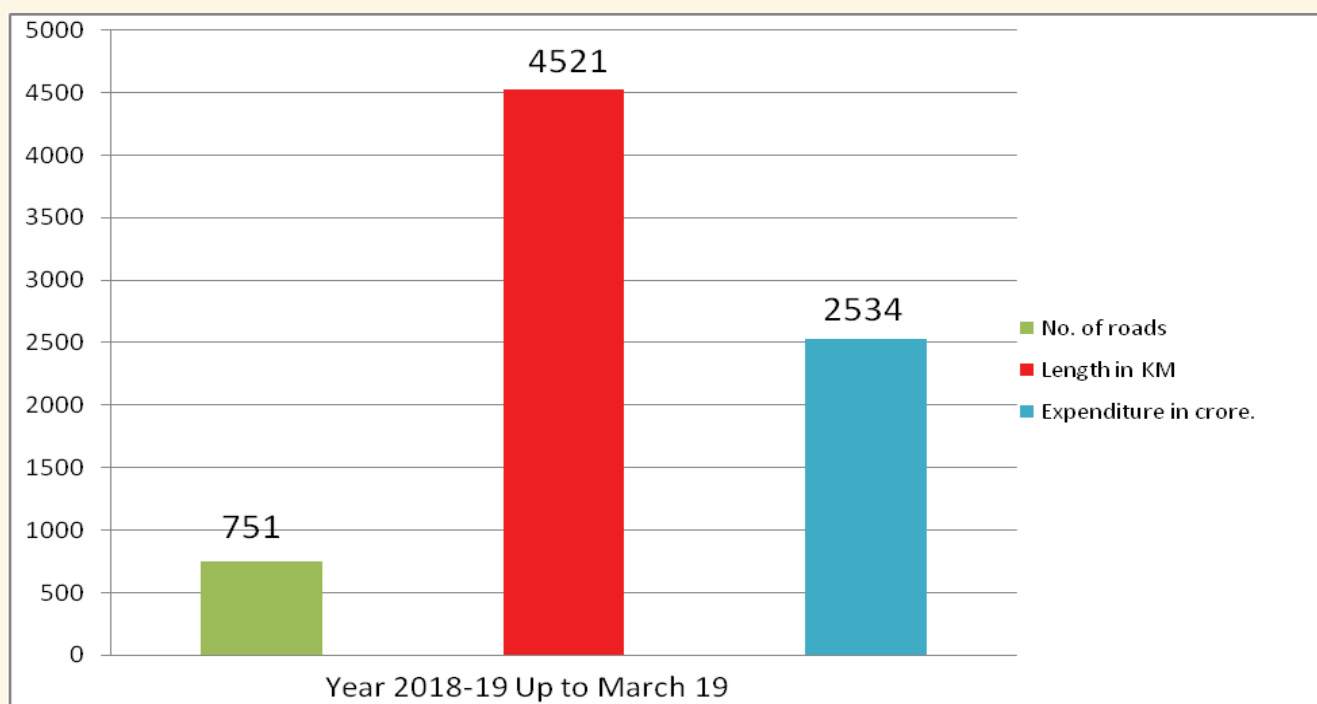
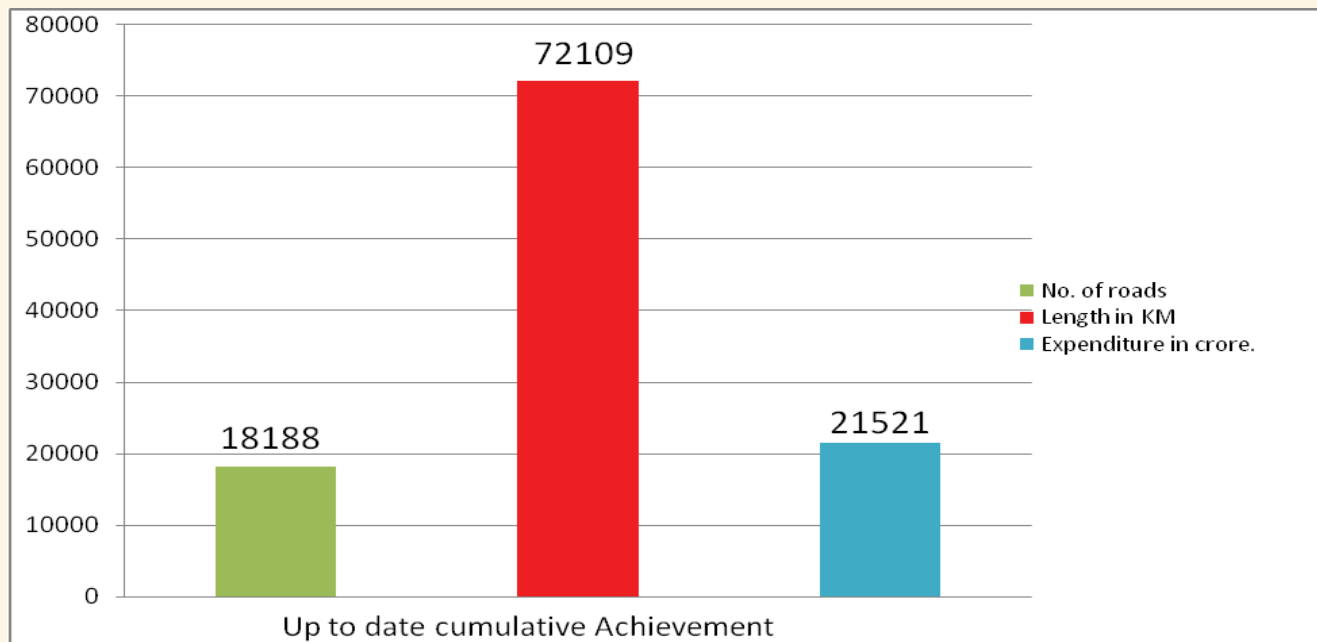
कोरनेटवर्क पर आधारित प्लानिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मापदण्ड, निर्माण पश्चात् 5/10 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चुकी सड़कों का रखरखाव भी योजना में शामिल होना, कार्यों की गुणवत्ता निगरानी/नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मॉनिटर्स की व्यवस्था, योजना से संबंधित कार्यों में सम्पूर्ण पारदर्शिता, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ई-टेंडरिंग, ई-पेमेन्ट व ई-मार्ग आदि इस कार्यक्रम की विशेषताएँ हैं।

भौतिक/वित्तीय उपलब्धियां/परिणाम (Graphical डायग्राम सहित)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1 अन्तर्गत अद्यतन स्थिति में रु 21521 करोड़ राशि का व्यय करते हुए 18188 मार्गों जिनकी लम्बाई 72109 कि.मी. है, का निर्माण किया गया है। साथ ही 280 वृहद पुलों का भी निर्माण पूर्ण किया गया है। जिससे 17231 संपर्क विहीन बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई। इस वित्तीय वर्ष अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 751 मार्ग जिनकी लम्बाई 4521 कि.मी. है, का निर्माण करते हुए रु 2534 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिससे 672 बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई।

Graphical presentation of PMGSY-I



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-2 :

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व से विद्यमान अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से पीएमजीएवाय-2 योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत प्रदेश को 5015 किमी मार्गों के उन्नयन की तथा 247 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक 3505 किमी लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का डामरीकरण (MPRCP)

विश्व बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 10000 कि.मी. ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण एवं 510 कि.मी. नवीन मार्गों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 502 मिलियन यू.एस.डी. है। ग्रेवल मार्गों के नवीनीकरण हेतु 390 पैकेजों की निविदा आमंत्रित की जाकर 8156 कि.मी. के कार्यों हेतु अनुबंध किया जा चुका है। अनुबंधित कार्यों में से अब तक 4888 किमी डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

विशेष उपलब्धियां

ग्रामीण मार्गों के संधारण का ऑनलाइन प्रबंधन :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 81135 कि.मी. लंबाई के मार्गों की स्वीकृति मिली है। इनमें से लगभग 78012 कि.मी. लंबाई के पूर्ण मार्गों का संधारण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के इस वृहद सड़क नेटवर्क के संधारण कार्यों की समीक्षा एवं प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस उद्देश्य से नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा GIS के अंतर्गत पृथक पोर्टल ई-मार्ग (e-marg) तैयार किया गया है। जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित सभी मार्गों का सम्पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध है। वर्तमान में संधारण कार्यों का भुगतान भी इसी पोर्टल से माध्यम से किया जा रहा है। ई-मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे परफार्मेंस आधारित संधारण कार्यों की अद्यतन स्थिति के साथ फोटोग्राफ्स अपलोडिंग भी की जाती है। इसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सभी मार्गों का पूर्ण डाटाबेस।
2. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा मार्गों के निरीक्षण प्रतिवेदन की मार्गों के Geo-Tagged फोटोग्राफ्स के साथ अपलोडिंग।
3. ठेकेदारों द्वारा संधारण देयक का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण।
4. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा भुगतान के पूर्व मार्गों के संधारण के लिए निर्धारित मानदण्डों पर ऑनलाईन इंडेक्सिंग।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा संधारण देयकों का ऑनलाइन अनुमोदन।
6. ठेकेदारों को अनुमोदित देयक राशि का PFMS के माध्यम से ऑनलाइन बैंक खातों में हस्तांतरण।

इसके अतिरिक्त संधारण संबंधी समस्त जानकारी का पोर्टल पर इससे संधारण कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित हो सकी है।

Geo-reach :-

Geo-reach software पहला सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों की भौतिक, वित्तीय प्रगति, SQC को कार्य आवंटन, पीआईयू निरीक्षण हेतु लेखा विवरण, जनसामान्य, पीआईयू की समस्या का ऑनलाइन निराकरण एवं ठेकेदारों का भुगतान पूर्ण पारदर्शिता के साथ सफलता पूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पुरस्कार :-

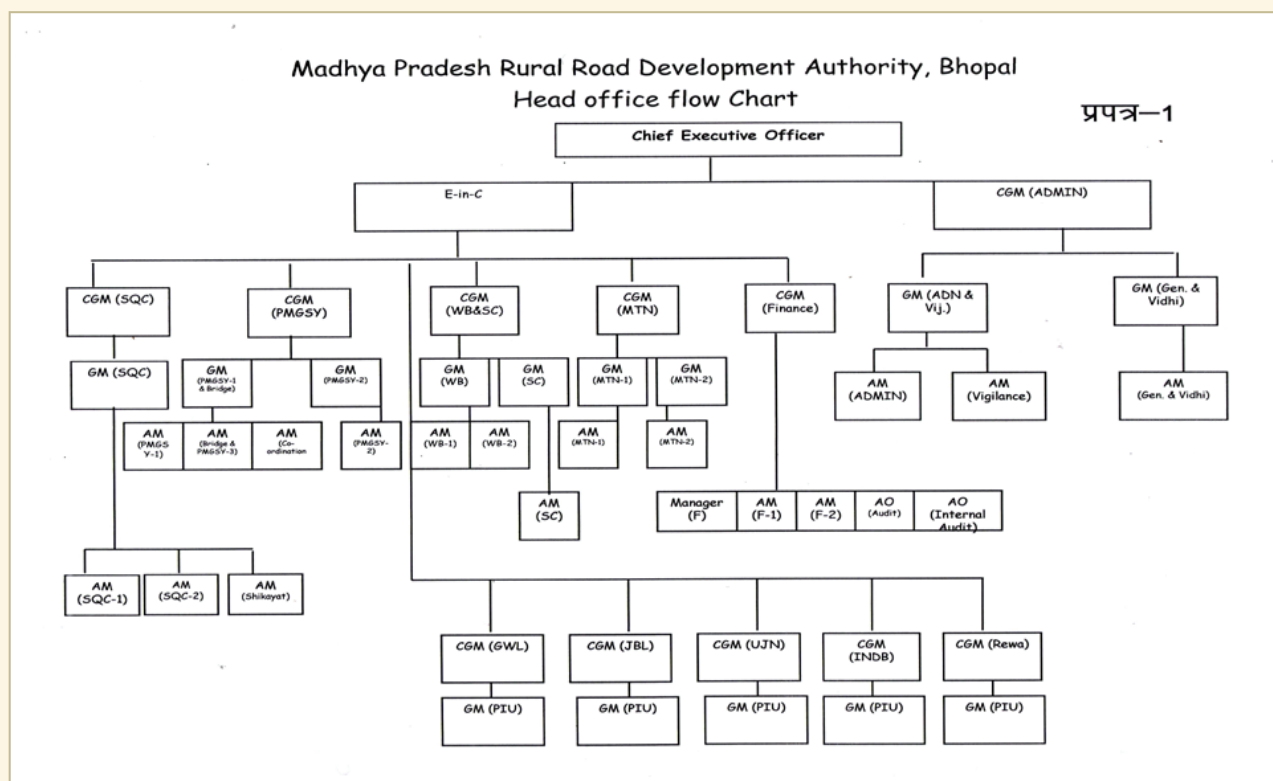
दिनांक 11.9.18 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रदेशों को वर्ष 2017-18 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 वितरित किये गये, जिसमें मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को निम्नलिखित तीन पुरस्कार प्राप्त हुए-

1. ग्रीन टेक्नोलॉजी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सर्वाधिक 1171 किमी लंबाई की सड़कों के निर्माण हेतु – **प्रथम पुरस्कार**
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के एनक्यूएम द्वारा निरीक्षण के आधार पर गुणवत्ता की दृष्टि से समग्र निष्पादन (Overall Performance in terms of Quality of Roads Inspected by NQMs) – **प्रथम पुरस्कार**
3. 2017-18 में 5222 किमी लंबी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का निर्माण पूर्ण करने पर – **तृतीय पुरस्कार**

उक्त तीनों पुरस्कार वर्ष 2017-18 में संपादित कार्यों के लिये वर्ष 2018-19 में दिनांक 11.09.18 को प्राप्त हुए हैं।

नवाचार/पहल :

प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का उपयोग कर मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके तहत विगत वर्षों में प्रदेश के जिलों में लगभग 3650 MT प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) का प्रयोग करते हुए 7300 किमी. मार्गों का निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए 1000 किमी. मार्ग निर्माण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके विरुद्ध वर्ष 2018-19 में 1600 किमी. का कार्य पूर्ण किया गया है। उपरोक्त तकनीक से मार्ग निर्माण किये जाने पर प्लास्टिक अपशिष्ट (Waste Plastic) के उपयोग होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है तथा शहरों/नगरों में फैलने वाले गंदगी/कचरा मुक्त किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम भाग होगा।



प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना :

- 01 अप्रैल 2016 से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारम्भ की गई है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 नवम्बर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री के हस्ते हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। “सब के लिए आवास” के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में बेघर परिवारों या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले प्रदेश के 13.99 लाख पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है तथा स्थानीय सामग्रियों, डिजाइनों तथा प्रशिक्षित राज मिस्त्रियों का उपयोग करते हुए अच्छे गुणवत्तापूर्ण मकानों के निर्माण में सहायता ली जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक कुल प्राप्त लक्ष्य 13.99 लाख के विरुद्ध माह 31 मार्च 2019 तक 13.97 लाख हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें 12.80 लाख आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। स्वीकृति एवं किस्त जारी करने की प्रक्रिया निरंतर प्रचलन में है।
- निधियों का निर्धारण-वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 13.99 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से न्यूनतम 60% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

हितग्राही का चयन :

वर्ष 2016-17 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 के अनुसार समस्त आवासहीन एवं शून्य कक्ष कच्चा आवास श्रेणी में दर्ज हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष लक्षित हितग्राहियों को एक कक्ष कच्चा आवास में वर्गीकृत परिवारों से लिया गया है। ग्रामसभा से सत्यापित एवं अनुमोदित प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। आवासहीन, शून्य कक्ष कच्चा आवास, 1 कक्ष/2 कक्ष कच्चे आवास की सूची का सत्यापन कराया जाकर सत्यापित सूची की प्रविष्टि आवास सॉफ्ट में कराई जाकर प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम में शेष बचे समस्त पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाना लक्षित है। रूरबन मिशन के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में एक कक्ष कच्चा आवास श्रेणी के सभी पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

- **वित्त पोषण**— भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तीय पोषण किया जा रहा है।
- **आवास की लागत** — समतल क्षेत्र में 1,20,000/- रुपये प्रति इकाई एवं आईएपी जिलों में 1,30,000/- रुपये प्रति इकाई।
- **आवास की डिजाइन** — आवास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की सलाहकार संस्था यू.एन.डी.पी. नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के 09 अंचलों हेतु अलग-अलग आवास की डिजाइन तैयार की गई है। हितग्राही इन 09 डिजाइनों में से किसी एक अथवा स्थानीय परिवेश एवं अपनी आवश्यकतानुसार डिजाइन का चयन कर सकता है, बशर्ते नवीन आवास निर्माण का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर (270 वर्ग फिट) से कम न हो एवं किसी भी स्थिति में अतिरिक्त राशि की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

- **निर्माण की पद्धति** – प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है।

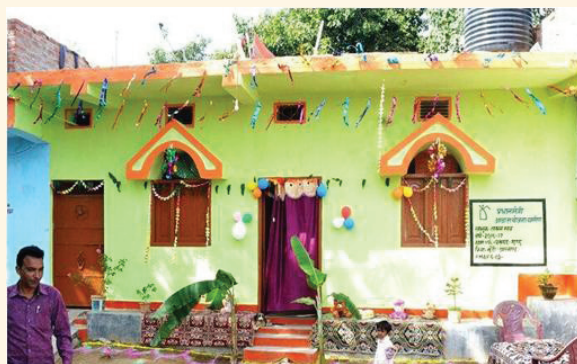
1. विशेष परियोजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 30,000 के विरुद्ध 20,239 आवास पूर्ण किये गये।
2. योजना प्रारम्भ से केन्द्र एवं राज्यांश से प्राप्त आवंटन राशि रु. 18,335 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 16,532 करोड़ का व्यय किया गया।

आवासों के आवंटन की प्राथमिकता निर्धारण :-

- पहली प्राथमिकता :- सभी पात्र आवासहीन परिवार
- द्वितीय प्राथमिकता :- शून्य कक्ष कच्चा आवास श्रेणी
- तृतीय प्राथमिकता :- एक कक्ष कच्चा आवास श्रेणी
- सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम
- रुरबन कलस्टर में चयनित ग्राम
- अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राही
- दो कक्ष कच्चा आवास

मेसन प्रशिक्षण :-

LEAD MASTER TRAINER द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड से चयनित 05 डेमोस्ट्रेटर को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया एवं उनका CSDCI (निर्माण कौशल विकास परिषद, भारत) के मापदण्ड अनुसार प्रमाणीकरण परीक्षा दिलायी गयी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण डेमोस्ट्रेटर द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में 07 आवासों पर 05 राजमिस्त्रियों प्रति आवास को हितग्राही के आवास निर्माण के साथ CSDCI के मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षित किया जाकर उनका प्रमाणीकरण कराया जायेगा। अभी तक प्रशिक्षित डेमोस्ट्रेटर द्वारा विभिन्न चरणों में 29899 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 12905 राजमिस्त्री CSDCI के मापदण्ड अनुसार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।



इंदिरा आवास योजना :

इंदिरा आवास योजना को 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक स्वीकृत कुल 6,39,528 आवास के विरुद्ध 31.03.2019 की स्थिति में 6,11,001 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष आवास निर्माणाधीन हैं।

मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना :

मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक स्वीकृत कुल 26,703 आवासों में से 23,537 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष निर्माणाधीन हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन :

मुख्यमंत्री ग्रामीण मिशन अंतर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक स्वीकृत कुल 6,57,490 आवासों में से 6,25,821 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष निर्माणाधीन हैं।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), भारत सरकार से वित्त पोषित योजना है। प्रदेश में यह वर्ष 2012 से संचालित है। वर्ष 2018-19 से प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

उद्देश्य :

मिशन का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्वसहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने के लिये प्रशिक्षित करना एवं समूह सदस्यों के परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से निर्धनों की आजीविका को स्थाई आधार पर बेहतर बनाया जा सके।

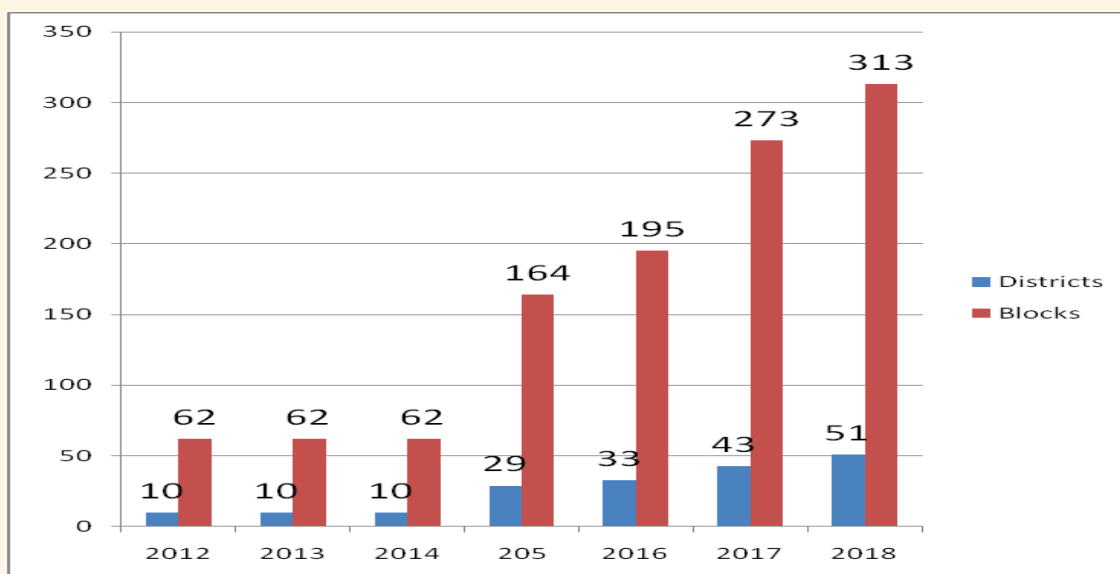
मुख्य बिन्दु :

- संकुल (Cluster) आधार पर क्रियान्वयन।
- ग्रामीण निर्धन परिवारों तक मिशन की पहुंच सुनिश्चित कर उन्हें स्व-सहायता समूह एवं उनके परिसंघों के रूप में संगठित किया जाना।
- संघो/परिसंघों की वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि एवं विशेष ध्यान।
- बेरोजगार युवाओं की क्षमता एवं कौशल निर्माण कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण निर्धन परिवारों को सामाजिक आर्थिक सहायक सेवाओं की उपलब्धि में सुधार के प्रयास किया जाना।
- ग्रामीण निर्धन परिवारों को निरंतर सहायता करना ताकि वे गरीबी से उबर जायें।

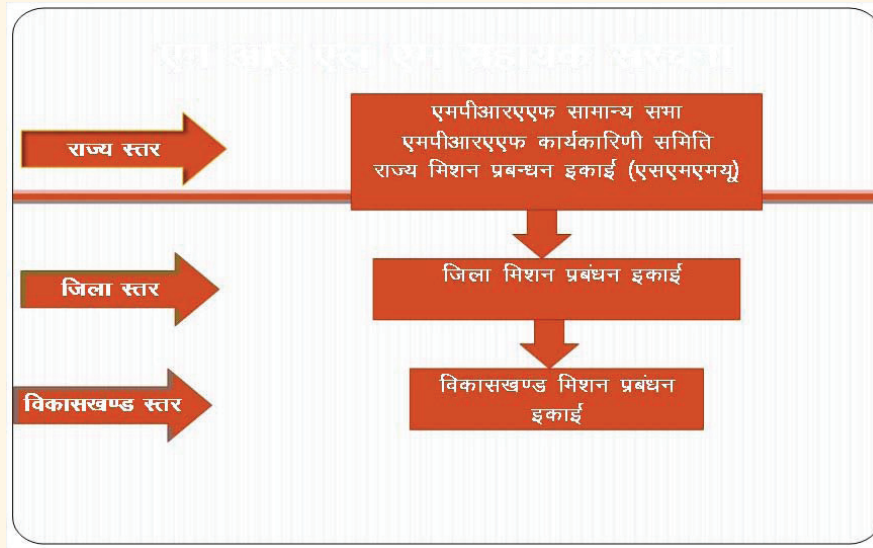
पात्रता :

- सहभागिता आधारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित अति गरीब एवं गरीब परिवार अथवा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC 2011) के अनुसार लक्षित परिवार।
- समूहों की ग्रेडिंग के पश्चात् चक्रीय निधि (RF) एवं सामुदायिक निवेश निधि (CIF) में पात्रता बजट की उपलब्धता के अनुरूप राशि प्रदान की जाती है।

कार्यक्षेत्र : वर्ष 18-19 में प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों में सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।



एन आर एल एम सहायक संरचना



मानव संसाधन संरचना :

राज्य स्तर : मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के 21 स्वीकृत पद हैं।

जिला स्तर : जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के 389 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 299 पद भरे हुए हैं।

विकासखंड स्तर : मिशन में विकासखंड स्तर पर मैदानी अमले में 1602 स्वीकृत पद के विरुद्ध 1413 पद भरे गए हैं।

विशेषतायें/मुख्य गतिविधियां :

- सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूह (SHG) के रूप में संगठित किया जाना।
- समूहों की आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय सामुदायिक परिसंघ – ग्राम संगठन (VO) एवं संकुल आधारित संगठन (CLF) का गठन कर उनको समुदाय सहयोग हेतु सशक्त करना।
- समुदाय सुदृढ़ीकरण एवं संवहनीय आजीविका उपलब्ध कराये जाने हेतु गतिविधि आधारित परिसंघ-उत्पादक समूह, उत्पादक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसायटी का गठन एवं सशक्तिकरण।
- वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाना।
- बैंकों से ऋण प्राप्त कर समूह के सदस्य आजीविका गतिविधियों का संचालन करते हैं।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं को बाजार की आवश्यकतानुसार कौशल विकास कर संवहनीय रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

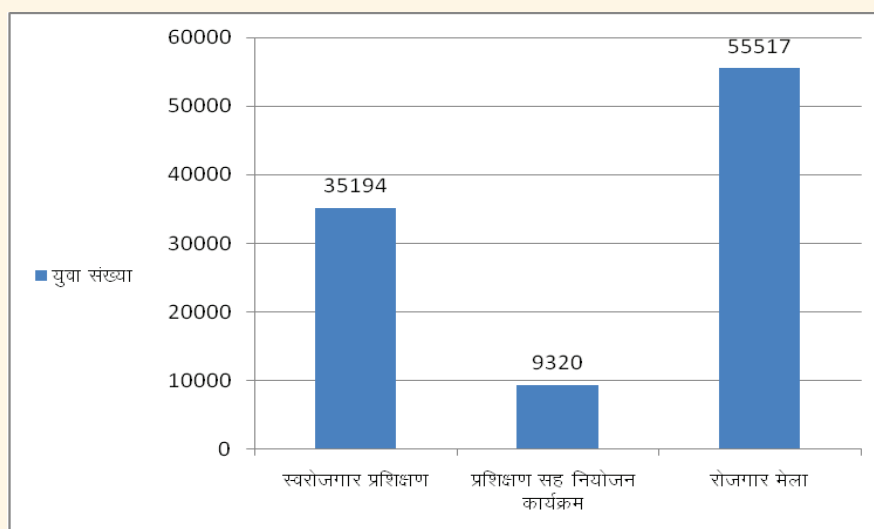
उपलब्धि वर्ष 2018-19 (मार्च 2019 तक)

वित्त वर्ष 2018-19 में माह मार्च 19 तक की प्रगति :-

- अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 5,30,468 परिवारों को 47,945 महिला स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- 4,310 ग्राम संगठन बनाए गए हैं, जिनमें 32,754 स्व-सहायता समूहों की सदस्यता है।
- 145 संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) बनाए गए हैं।
- कम्यूनिटी मोबीलाइजेशन कार्य हेतु ग्राम स्तर पर 6,664 समुदाय स्त्रोत व्यक्ति (कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन-सी.आर.पी.) का चिन्हांकन व प्रशिक्षण किया गया।

- कुल 16,935 स्व-सहायता समूहों को रु. 20.86 करोड़ की चक्रीय निधि की राशि प्रदाय की गई है।
- वित्त वर्ष 2018-19 में माह मार्च 2019 तक कुल 3,308 स्व-सहायता समूहों को रु. 23.79 करोड़ का सामुदायिक निवेश निधि की राशि प्रदाय की गई है।
- 38,283 समूहों को बैंकों से रु. 270.52 करोड़ का ऋण प्रदाय किया गया।
- 1,00,031 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं 689 रोजगार मेला तथा आरसेटी के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। डीडीयूजीकेवाय अंतर्गत 9320 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम (युवा संख्या)



मुख्य आजीविका गतिविधियां :

- इस वित्तीय वर्ष में कुल 3,11,555 परिवारों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- 1,45,205 "आजीविका पोषण वाटिका" (Nutrition Garden) तैयार की गई हैं।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1,64,834 हितग्राहियों द्वारा वर्मी पिट/नाडेप बनाए गए हैं।
- 12,755 कृषकों को व्यवसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।
- 1,01,551 परिवारों द्वारा सूक्ष्म उद्यम गतिविधियां आरंभ/सुदृढ़ की गईं।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना :-

- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को उनका स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (ग्रामीण) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,791 प्रकरण राशि रु. 31.79 करोड़ के स्वीकृत हुये तथा 6,101 प्रकरण राशि रु. 28.67 करोड़ के वितरण किये गये।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ग्रामीण) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,745 प्रकरण राशि रु. 82.73 करोड़ के स्वीकृत हुये तथा 6,146 प्रकरण राशि रु. 77.30 करोड़ के वितरण किये गये हैं।

वित्तीय उपलब्धि :-

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में एनआरएलएम हेतु प्रावधानित राशि रु. 419.00 करोड़ के विरुद्ध राशि रुपये 139.69 करोड़ का आहरण शासन की ओर से प्राप्त हो चुका है। मिशन अंतर्गत प्रारंभिक शेष राशि सहित कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध राशि रुपये 242.62 करोड़ माह मार्च 2019 तक व्यय हुआ है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजना हेतु प्रावधानित राशि रु. 31.50 करोड़ है, जिसके विरुद्ध माह मार्च 2019 तक राशि रु. 31.50 करोड़ का आहरण शासन की ओर से प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार के अंतर्गत राशि रु. 29.30 करोड़ का व्यय हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि रु. 179.00 करोड़ है, जिसके विरुद्ध राशि रु. 63.33 करोड़ का आहरण शासन की ओर से प्राप्त हो चुका है। इसमें से राशि रुपये 52.02 करोड़ माह मार्च 2019 तक व्यय हुई है।

विशेष उपलब्धियां :-

- **सर्वशिक्षा अभियान के साथ अभिसरण** – 33 जिलों में सिलाई ईकाइयों की स्थापना की गयी है। जिससे 32,300 हितग्राहियों को सिलाई एवं बाजार से जोड़ा जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के साथ रु. 249 करोड़ के अभिसरण कर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों को स्व-सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा शाला गणवेश तैयार किया जाकर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **पोषण आहार (टेक होम राशन)**— स्व-सहायता समूहों के संगठनों द्वारा 7 संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रचलित है, जिनके माध्यम से 46 जिलों में आंगनबाड़ियों में पोषण आहार तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य का कुल वार्षिक टर्नओवर रु. 770 करोड़ होगा।

नवाचार/पहल :-

जैविक क्लस्टर निर्माण :

जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के 25 जिलों के 74 विकासखण्डों में 326 जैविक क्लस्टर का चिन्हांकन किया गया है। उक्त जैविक क्लस्टर में महिला कृषकों को जैविक खेती के प्रमाणीकरण से जोड़ा जा रहा है। प्रमाणीकरण के पश्चात् जैविक कृषि उपज को बाजार में जैविक फसल के रूप में बेचा जावेगा जिससे न केवल कृषकों को उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होगा, साथ ही जैविक उत्पादों को प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा।

सम्मान एवं सराहना :

भारत सरकार द्वारा **प्रारंभिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम (SVEP)** में उत्कृष्ट कार्य हेतु दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को वर्ष 2018 को पुरस्कृत किया गया है।



बैतूल जिले के शाहपुर में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रतिज्ञा महिला आजीविका हाईटेक सिलाई सेंटर का शुभारंभ करते हुए माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल।



प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— वाटरशेड विकास

परिचय :

वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वाटरशेड विकास के सिद्धांत के आधार पर जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग ने वर्ष 2009 से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) प्रारंभ किया था, जिसे जुलाई 2015 से “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” में समाहित कर “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—वाटरशेड विकास” नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बहुआयामी दृष्टिकोण नवीन जल स्रोतों के सृजन, जल के समुचित वितरण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग को समाहित कर अभिकल्पित किया गया है। “वाटरशेड विकास” की अवधारणा इस दृष्टिकोण की पूर्ति करती है। “वाटरशेड विकास” ऐसी योजना है जिसमें कम लागत से नवीन जल स्रोतों का सृजन किया जा सकता है। साथ ही जल का वितरण और संरचनाओं का प्रबंधन ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं किये जाने के कारण दक्षतापूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होता है।

उद्देश्य :

- वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा सिंचाई सामर्थ्य में विस्तार करना।
- पड़त भूमि को विकसित कर इसे उत्पादन हेतु उपयोग में लाना।
- उन्नत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों को अपनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।
- संसाधन-हीन ग्रामीणों की आजीविका उन्नयन हेतु आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन।

विशेषताएं :

प्रदेश में लगभग 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र गैर सिंचित है। इन क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भरता, असमय सूखा और भू-जल स्तर में गिरावट के कारण खेती कम उत्पाद का व्यवसाय होता है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल को सहेज कर सतही जल संग्रहण एवं भू-जल संवर्धन के द्वारा संरक्षित सिंचाई से और खेती संबंधी यथोचित आदानों एवं प्रौद्योगिकी के प्रदाय से खेती से होने वाली आय बढ़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में वाटरशेड विकास की योजना सिंचाई सामर्थ्य विकसित कर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी और इस प्रकार अपेक्षित ग्रामीण समृद्धता के लिए उपयोगी योजना है। योजना की रणनीति जन सहभागिता केन्द्रित है तथा कार्यप्रणाली सामुदायिक संगठन आधारित है। ग्राम स्तर पर कृषकों के उपयोगकर्ता दल, संसाधन हीन एवं गरीब ग्रामीणों के स्वसहायता समूहों और वाटरशेड समिति गठित कर उन्हें परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, जनित परिसम्पत्तियों के रखरखाव तथा अनुश्रवण संबंधी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं।

कार्यक्षेत्र व वित्तीय स्रोत :

योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कुल मिलाकर वर्तमान में 216 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का कुल स्वीकृत क्षेत्रफल 13.73 लाख हेक्टेयर तथा लागत रुपये 1647.05 करोड़ है। स्वीकृत परियोजनाओं की कार्य अवधि 5—7 वर्ष की है। योजना अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की लागत रु. 12000/— प्रति हेक्टेयर है। योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाती है।

किये जाने वाले कार्य :

- मिट्टी के संरक्षण हेतु कन्टूर ट्रेंच, मेढ़ बंधान, गली प्लग, लूज बोल्टर चेक आदि का निर्माण
- सतही जलसंग्रहण हेतु स्टापडेम, चेकडेम, नाला बंधान, तालाब, फार्म पौण्ड, डग आउट पौण्ड एवं बोरी बंधान आदि का निर्माण
- भू-जल संवर्धन हेतु परकोलेशन टैंक, कुण्डी कुइया, कुआं/नलकूप रिचार्ज, भूमिगत डाईक आदि का निर्माण
- वानस्पतिक आवरण में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण व घास विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन
- संसाधनहीन ग्रामीणों की आजीविका उन्नयन हेतु आयमूलक गतिविधियों का कार्यान्वयन
- कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए पेकेज ऑफ प्रेक्टिस को अपनाना।

भौतिक उपलब्धि :

1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :-

• कुल निर्मित जल संवर्धन संरचनाओं की संख्या	—	4083
• चेकडेम	—	2098
• फार्मपाण्ड	—	1444
• परकोलेशन टैंक	—	4
• तालाब एवं अन्य	—	537
• विकसित सिंचाई सामर्थ्य	—	15145 हेक्टेयर

वित्तीय उपलब्धि :

1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :-

(राशि रु. करोड़ में)

प्रारंभिक अवशेष	केन्द्रांश	राज्यांश एवं अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय प्रगति	अवशेष राशि
25.20	162.41	112.85	300.46	213.24	87.22

1	जिला	रतलाम	9	निर्माण वर्ष	2017-18
2	परियोजना क्रमांक	07	10	खसरा नं.	140
3	विकासखण्ड	पिपलौदा	11	लेटीट्यूड/लांगीट्यूड	23.32.361, 74.52.706
4	माइक्रोवाटरशेड कोड	5E2C1K6	12	जल संग्रहण क्षमता	17000 घन.मी.
5	ग्राम का नाम	नबावगंज	13	सिंचाई सामर्थ्य	11.33 हेक्टेयर
6	पंचायत का नाम	उम्मेदपुरा	14	लाभान्वित कृषकों की संख्या	13
7	संरचना का नाम	चैक डेम	15	सिंचित फसल का नाम	गेहूँ-मक्का
8	लागत	10.19			

संरचना का नाम	:	तालाब
जिला	:	रतलाम
परियोजना क्र-	:	IEMP-5 (2011-12)
निर्माण स्थल का खसरा क	:	199,2
विकास खण्ड	:	बाजना
ग्राम का नाम	:	रुपारेल
माइक्रोवाटरशेड कोड	:	5E2C4p3
लेटीट्यूड/लांगीट्यूड	:	N-23°16'47 " E-74°39'27"
जल ग्रहण क्षमता	:	8400 (घन मी. में)
सिंचाई सामर्थ्य	:	4.75 (हेक्टेर में)



बैतूल जिले की कढ़ाई ग्राम पंचायत में जनभागीदारी से संचालित तालाब जीर्णोद्धार कार्य में श्रमदान करते हुए माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004 से परिवर्तित मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के तहत दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मेनू अनुसार प्रदाय किया जा रहा है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासकीय एवं नोडल विभाग है स्वशासी संस्था म.प्र. 'मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद्' कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, नियंत्रण व अनुश्रवण करती है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त संसाधनों से किया जाता है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के तहत शिक्षा का लोकव्यापीकरण, शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में वृद्धि और उपस्थिति में निरंतरता सुनिश्चित करना तथा शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराना और उनके पोषण स्तर में सुधार करना भी है।

प्रदेश में कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1995 से हुई है।	(प्राथमिक शाला के लिए कच्चा खाद्यान्न)।
गर्म पका हुआ भोजन	जनवरी, 2004 से (केवल प्राथमिक शाला)
पिछड़े शैक्षणिक विकास खण्डों में प्रारम्भ समस्त	अक्टूबर, 2007 (माध्यमिक शाला)
माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम का विस्तार	वर्ष 2008 से।

राज्य स्तर से निम्नानुसार साप्ताहिक मेनू कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित हैं :-

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वैकल्पिक साप्ताहिक मेनू :

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	रोटी/चावल के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी
मंगलवार	पूरी/पुलाव के साथ खीर/हलवा और मूंगबड़ी व आलू टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी/चावल के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी
गुरुवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी
शुक्रवार	रोटी/चावल के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी
शनिवार	पराठा/पुलाव के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी

केन्द्रीयकृत रसोईघर का मेनू :

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	वेजीटेबल पुलाव तथा कढ़ी पकौड़ा।
मंगलवार	पूरी तथा छोले/मटर की सब्जी एवं खीर/हलवा।
बुधवार	जीरा राईस तथा मिक्स सब्जी एवं तुअर दाल।
गुरुवार	रोटी तथा सोया चंरस/मूंग या चना बड़ी एवं आलू की सब्जी तथा तुअर दाल।
शुक्रवार	खिचड़ी (मूंग की दाल के साथ) तथा आलू, मटर एवं टमाटर की सब्जी।
शनिवार	रोटी तथा ग्रीन मिक्स सब्जी एवं मिक्स दाल।

कार्यक्रम का लक्ष्य :

प्रदेश की 1.14 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में लगभग 75,301 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 2.31 लाख रसोईयों द्वारा मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य किया जा रहा है।

नाम	शालाएँ			विद्यार्थी (लाख में)		
	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल
मध्यप्रदेश	81966	31063	1,13,029	29.73	18.93	48.66

क्रमांक	शाला का स्तर	उर्जा का कैलोरी	प्रोटीन
1.	प्राथमिक	450	12-13 ग्राम
2.	माध्यमिक	700	20-21 ग्राम

भोजन के पोषण मानक :

संसाधन (दिनांक 01.12.2018 से प्रभावशील)

क्र.	शाला का स्तर	खाद्यान्न की मात्रा प्रति छात्र	भोजन पकाने की लागत राशि प्रति दिवस (राशि रुपये में)		कुल
			केन्द्रांश	राज्यांश	
	प्राथमिक	100 ग्राम	2.61	1.74	4.35
	माध्यमिक	150 ग्राम	3.91	2.60	6.51

- सभी लक्षित शालाओं में भोजन का सैंपल 24 घंटे रखा जाता है।

वर्ष 2018-19 के अनुसार लक्ष्य एवं प्रगति :-

(लाख में)

क्र	विभागीय गतिविधियां	वार्षिक प्रावधान		प्रगति दिनांक 31.03.2019 की स्थिति			
		भौतिक प्रावधान	वित्तीय प्रावधान	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य आवटन	जारी राशि
1	शालाओं की संख्या	1.14	00	1.14	1.13	00	00
2	विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	52.60	00	52.60	48.66	00	00
3	रसोईयों की संख्या (लाख में)	2.31	00	2.31	2.13	00	00
4	खाद्यान्न की मात्रा एवं लागत राशि (लाख में)	1.61 एमटी	3494.47	1.44 एमटी	1.41 एमटी	2956.81	2893.11
5	भोजन पकाने की लागत राशि	00	70037.52	00	00	62306.69	62295.58
6	रसोईयों का परिश्रमिक	2.23	36985.12	2.23	2.23	36345.04	34137.60
7	खाद्यान्न परिवहन की लागत राशि	00	1113.13	00	00	976.11	925.78
8	एमएमई की राशि	00	1107.17	00	00	1095.99	1095.99
9	रसोईघर सह भण्डार कक्ष	5300	6100.00	5300	00	6100.00	6086.45
10	बर्तन क्रय/रिप्लेसमेंट	00	951.40	00	00	00	00
	योग		119788.81			109780.64	107434.51

प्रदेश की 1.14 लाख (प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं) में वर्ष 2018-19 में 52.60 लाख बच्चों में से 48.66 लाख बच्चे लाभान्वित हुए जो कि 2019-20 का लक्ष्य रखा गया।

कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नानुसार है-

1. खाद्यान्न

2. खाद्यान्न की परिवहन राशि
3. भोजन पकाने की लागत राशि
4. रसोईयों का मानदेय
5. एमएमई (मॉनीटरिंग मैनेजमेंट एवं इवेल्युएशन)

- खाद्यान्न भारत सरकार से बीपीएल दरों पर चावल/गेहूं प्राप्त होता है।
- खाद्यान्न की परिवहन राशि 75 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
- रसोईयों को प्रतिमाह 01 अक्टूबर 2018 से मानदेय रु. 2000 उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है।
- कुल आवंटन का 1.8 प्रतिशत एमएमई मद के अंतर्गत प्राप्त होता है।

दूध प्रदाय योजना :

1. **उद्देश्य**— प्राथमिक शालाओं/आंगनवाड़ियों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अतिरिक्त न्यूट्रीएंट प्रदान कर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना एवं उपस्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि करना तथा छात्रों में शिक्षा के प्रति अपेक्षित रुचि एवं उत्साह पैदा करना।
2. **लक्ष्य**—मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदाय करवाने से उनके शारीरिक स्वास्थ्य/वजन में कुछ सुधार हुआ है, परन्तु आज इस भोजन से सभी जरूरी तत्व बच्चों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जो दूध में पाये जाते हैं। अतः प्रोटीन व कैलोरीज के रूप में जो गेप है वह दूध प्रदाय के माध्यम से दूर हो सके। योजना अंतर्गत बच्चों को प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को भोजन वितरण से लगभग दो-तीन घण्टे पूर्व मीठा, सुगंधित दूध 05 प्लेवरों (चाकलेट, स्ट्रॉबेरी, इलायची, वनीला, पाइनएपल) लक्षित प्राथमिक शाला हेतु 29.73 लाख बच्चे एवं आंगनवाड़ियों के 26.60 लाख बच्चों को प्रति बच्चे 10 ग्राम के मान से गुनगुने पानी में मिलाकर तरल दूध तैयार कर प्रदाय किया जाता है।
3. **वित्त पोषण**— दूध प्रदाय पर व्यय हो रही राशि का शत प्रतिशत प्रदाय राज्य बजट से किया जा रहा है। दूध पावडर की दर 241 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है।
4. **दूध का सेम्पल रखा जाना**— प्रत्येक शाला स्तर पर भोजन के सेम्पल की तरह ही दूध पावडर से तैयार दूध का सेम्पल रखे जाने के निर्देश हैं।
5. **मूल्यांकन**—दूध वितरण योजना के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु शाला स्तर पर प्रभारी शिक्षक, संकुल स्तर पर जन शिक्षक, खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व बीआरसी, जिला स्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, योजना के प्रभारी अधिकारी/टास्क मैनेजर/क्वालिटी मॉनीटर, संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त आयुक्त (विकास) एवं राज्य स्तर से परिषद् के अधिकारी समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण, अनुश्रवण करेंगे।
6. **परिवहन व्यवस्था**— दुग्ध संघ द्वारा दूध पावडर जिला व जनपद पंचायत की मांग पर सीधे विकासखंड स्तर तक प्रदाय किया जाता है। दूध पावडर की एक्सपायरी दिनांक दो माह निर्धारित है तथा इसका संग्रहण शाला में एयरटाइट डिब्बों में किया जाना है।

अभिनव प्रयास :

1. **मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पोर्टल** : मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु अगस्त 2017 से एमडीएम पोर्टल का निर्माण कर पोर्टल के माध्यम से खाना पकाने की लागत राशि स्व-सहायता समूहों एवं रसोईयों के मानदेय का भुगतान भी उनके बैंक खातों में सीधे राज्य स्तर से प्रदाय किया जा रहा है। खाद्यान्न का प्रदाय आदेश भी राज्य स्तर से सीधे स्व-सहायता समूहों को दिया जा रहा है।

2. **एल.पी.जी. गैस कनेक्शन व्यवस्था** : प्रदेश के लगभग 1.14 लाख स्कूलों में से लगभग 41041 स्कूलों में वर्तमान में रसोई गैस की उपलब्धता है। इसका और विस्तारीकरण किया जा रहा है। नीमच प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां शत प्रतिशत स्कूलों में रसोई गैस उपलब्ध है।
3. **पुरस्कार की व्यवस्था** : स्वच्छ किचिनशेड प्रतियोगिता के निर्देश जारी किये गये हैं। प्रत्येक जिले में तीन पुरस्कार 50000/- प्रथम 30,000/- द्वितीय व 20,000/- तृतीय पुरस्कार का प्रावधान है।



बालाघाट जिले में बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन करते हुए माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की पदीय संरचना एवं स्थिति

क्र.	पदनाम	नियुक्ति की प्रक्रिया
	राज्य स्तर	
1	राज्य समन्वयक	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदस्थापना
2	अतिरिक्त संचालक	प्रतिनियुक्ति
3	संयुक्त आयुक्त (आयोजना तथा क्रियान्वयन)	प्रतिनियुक्ति
4	संयुक्त आयुक्त (संसाधन प्रबंधन तथा अनुश्रवण)	प्रतिनियुक्ति
5	उपायुक्त	प्रतिनियुक्ति
6	सहायक संचालक (वित्त)	प्रतिनियुक्ति
7	सहायक उपायुक्त	प्रतिनियुक्ति
8	सहायक यंत्री	प्रतिनियुक्ति
9	उपयंत्री	प्रतिनियुक्ति
10	प्रोजेक्ट मैनेजर (चाइल्ड हेल्थ)	प्रतिनियुक्ति / संविदा
11	मीडिया ऑफीसर	प्रतिनियुक्ति / संविदा
12	लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति / संविदा
13	प्रोजेक्ट मैनेजर (मैनेजमेंट, मॉनीटरिंग और इवेल्यूशन)	संविदा
14	प्रोजेक्ट मैनेजर (न्यूट्रीशन)	संविदा
15	प्रोजेक्ट मैनेजर (जेण्डर इक्विटी एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट)	संविदा
16	क्वालिटी मॉनीटर	संविदा
17	लेखापाल	प्रतिनियुक्ति / संविदा
18	सिस्टम एनालिस्ट एवं एमआईएस मैनेजर	संविदा
19	कार्यक्रम सहायक	प्रतिनियुक्ति
20	शीघ्र लेखक	सीधी भर्ती / संविदा
21	ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर	सीधी भर्ती / संविदा
22	भृत्य	सीधी भर्ती / संविदा
	जिला स्तर	
23	टास्क मैनेजर	संविदा
24	क्वालिटी मॉनीटर	संविदा
25	कम्प्युटर ऑपरेटर	संविदा

म.प्र. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन

उद्देश्य :- योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामों के क्लस्टर में ऐसे कार्य करना है, जिससे शहरों के अनुरूप प्रौद्योगिकी, सुविधाएं, संवाएं विकसित हो सके।

कार्यक्षेत्र :- रूरबन मिशन के अंतर्गत तीन चरणों में 15 जिले के चयनित 19 संकुल, (11 जनजातीय तथा 08 गैर जनजातीय) के 164 ग्राम पंचायतों के 338 ग्रामों में कार्य किये जायेंगे।

प्रथम चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	क्लस्टर	श्रेणी	ग्राम पंचायत	जनसंख्या
1	भोपाल	फंदा	रातीबड़	गैर जनजातीय	13	26,460
2	भोपाल	भोपाल	गुनगा	गैर जनजातीय	13	29,072
3	इंदौर	इंदौर	नावदापंथ	गैर जनजातीय	07	25,592
4	इंदौर	महू	सिमरौल	गैर जनजातीय	05	30,800
5	छतरपुर	छतरपुर	अच्चठ	गैर जनजातीय	12	29,927
6	सिवनी	सिवनी	कान्हीवाड़ा	जनजातीय	07	17,902
7	छिन्दवाड़ा	तामिया	छेलाखाड़ी	जनजातीय	07	19,636
योग					64	

द्वितीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	क्लस्टर	श्रेणी	ग्राम पंचायत	जनसंख्या
1	ग्वालियर	घाटीगांव	मोहना	गैर जनजातीय	05	28,243
2	ग्वालियर	डबरा	चीमक	गैर जनजातीय	14	25,216
3	रीवा	हनुमना	गौरी	गैर जनजातीय	12	25,557
4	धार	धार	गुनावद	जनजातीय	14	26,473
5	झाबुआ	पेटलावद	मोहनकोट	जनजातीय	09	25,142
6	बैतूल	शाहपुर	देशावाड़ी	जनजातीय	07	22,000
योग					61	

तृतीय चरण

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	क्लस्टर	श्रेणी	ग्राम पंचायत	जनसंख्या
1	झाबुआ	मेघनगर	ग्वाली		05	18,248
2	खण्डवा	पंधाना	अरुद	जनजातीय	06	15,892
3	अनुपपूर	पुष्पराजगढ़	किर्गी	जनजातीय	09	16,695
4	सिंगरौली	देवसर	कुर्सा	जनजातीय	05	15,570
5	अलिराजपुर	अलिराजपुर	इंदर सिंह की चौकी	जनजातीय	07	16,291
6	मण्डला	बिछिया	रामनगर	जनजातीय	07	15,738
	कुल				39	

वित्तीय प्रगति :-

स. क्र.	रूरबन घटक	क्रियान्वयन एजेंसी	लिये गए ग्रामों की संख्या	भौतिक गतिविधियां	(वित्तीय) प्रगतिरत कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि (करोड़ में)	(वित्तीय) प्रगतिरत कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि (करोड़ में)
1	24 X 7 जलापूर्ति	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	78	77	36.781	11.05977
2	विद्यालयों का उन्नयन	ग्राम पंचायत एवं एस.एम.सी	99	452	17.009	7.992332
3	सार्वजनिक परिवहन	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	21	22	3.725	0.644818
4	विशेष सामाजिक अधोसंरचना	ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	55	64	9.1075	4.12771
5	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	10	20	3.6852	1.40577
6	विलेज स्ट्रीट एवं ड्रेन्स	ग्राम पंचायत	57	117	13.015	4.922504
7	कृषि प्रसंस्करण	ग्राम पंचायत एवं राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन	8	16	41.93	0.42893
8	विलेज स्ट्रीट लाइट	ग्राम पंचायत एवं म0प्र0 विद्युत वितरण कंपनी	60	61	8.96305	1.1651441
9	अन्य	जिला ई-पंचायत समिति			0.61	0.18252
कुल योग			388	829	134.82575	31.9294981

किये जाने वाले कार्य :- रूरबन मिशन के तहत विभिन्न कार्य जैसे पाइप द्वारा जलापूर्ति का प्रावधान, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा भण्डारण और वेयर हाउसिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालय/उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस कनेक्शन, डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने/ई-ग्राम कनेक्टिविटी के लिये सिटीजन सर्विस सेंटर जैसे कार्य प्राथमिकता या सामुदायिक मांग के आधार पर किये जा रहे हैं।



भोपाल हाट

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत भोपाल हाट का निर्माण वर्ष 2005 में पूर्व में संचालित एसजीएसवाय योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत किया गया है। जिसका पंजीयन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन् 1973 क्र. 44) के अधीन दि. 18/9/2006 को पंजीकृत क्र. 01/01/01/16830/06 के अंतर्गत है। वर्तमान में यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में समाहित की गई है।

भोपाल हाट की परिकल्पना के मुख्य स्वरूप में भोपाल हाट का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं सीधे बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती जा रही है एवं समूहों को सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है। भोपाल हाट में आयोजित मेलों के माध्यम से स्व-सहायता समूह उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं।

भोपाल हाट के नियमित मेलों के आयोजन हेतु वार्षिक कैलेंडर का निर्धारण किया जाता है। जिसमें प्रतिमाह 15 से 20 दिन के मेले आयोजित किये जाते हैं एवं प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रयोजित रीजनल सरस मेले (वर्ष में दो बार) का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रदेश के साथ-साथ देश के सभी प्रांतों के स्व-सहायता समूह भाग लेते हैं।

भोपाल हाट के संचालन हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से एकमुश्त 75.00 लाख रुपये प्राप्त होने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में रु. 60.00 लाख एवं वर्ष 2015-16 में रु. 60.00 लाख प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त एम्पोरिया से प्राप्त राशि/एटीएम से प्राप्त किराया राशि/फूड जोन से प्राप्त किराया राशि/अन्य विभागों को भोपाल हाट मेले हेतु उपलब्ध कराने से प्राप्त किराया राशि आदि से भोपाल हाट में आयोजित किये जाने वाले मेलों का संचालन एवं भोपाल हाट का रखरखाव किया जाता है।

वर्तमान में भोपाल हाट का संचालन, संचालक ग्रामीण रोजगार पदेन प्रबंध संचालक, भोपाल हाट विपणन समिति के माध्यम से किया जा रहा है। भोपाल हाट कार्यालय में उपायुक्त स्थापना पदेन उपायुक्त भोपाल हाट, तथा प्रभारी भोपाल हाट एवं विकास आयुक्त कार्यालय के लेखापाल के माध्यम से भोपाल हाट विपणन समिति के खातों का रखरखाव एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर/भृत्य/माली की सेवाएँ ली जा रही हैं। संचालन हेतु विभागीय मेलों के अतिरिक्त रिक्त समय में अन्य विभागों के मेले भी भोपाल हाट विपणन समिति में निर्धारित किराया दर के आधार पर उपलब्ध कराया जाकर मेले आयोजित किये जाते हैं।

वर्ष 2018-19 में विभागीय एवं अन्य विभागों को मेला आयोजन हेतु उपलब्ध कराये गये भोपाल हाट में आयोजित कराये गये मेलों का विवरण निम्नानुसार है :-

विभागीय मेले :

मेले का नाम	अवधि	राष्ट्रीय / क्षेत्रीय	भाग लेने वाले प्रांतों की संख्या	म.प्र. के जिलों की संख्या	भाग लेने वाले समूहों की संख्या
प्रथम रीजनल सरस मेला	17 से 29 मई 2018 (13 दिवस)	राष्ट्रीय मेला	18	29	182
अषाढ़ मेला	14 से 27 अगस्त 2018 (11 दिवस)	क्षेत्रीय मेला	—	28	45
भाद्र मेला	7 से 16 सितम्बर 2018 (10 दिवस)	क्षेत्रीय मेला	—	17	47
द्वितीय रीजनल सरस मेला	4 से 16 जनवरी 2019 (13 दिवस)	राष्ट्रीय मेला	21	31	189

अन्य विभागों के मेले :

मेले का नाम	विभाग का नाम	अवधि	मेला अवधि
हुनर हाट	अल्प संख्यक विभाग	29/3/18 से 4/4/18	(7 दिवस)
63वाँ पुरस्कार वितरण मेला	रेल्वे	10/4/18 से 17/4/18	(8 दिवस)
कौशल तकनीकी रोजगार मेला	जिला पंचायत भोपाल	31/7/18 से 1/8/18	(2 दिवस)
नाबार्ड प्रदर्शनी	नाबार्ड	25/9/18 से 3/10/18	(9 दिवस)
राष्ट्रीय खादी उत्सव	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	11/10/18 से 23/10/18	(13 दिवस)
नेशनल एक्सपो	हस्तशिल्प विकास निगम	3/12/18 से 19/12/18	(16 दिवस)
आदि शिल्प महोत्सव	ट्रायफेक	20/12/18 से 31/12/18	(12 दिवस)
विश्व उपभोक्ता दिवस	खाद्य विभाग	15/3/18	(1 दिवस)

उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार भोपाल हाट परिसर में 4 विभागीय मेलों एवं 8 अन्य विभागों द्वारा आयोजित मेलों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है।



महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान आधारताल, जबलपुर

विकास के इस दौर में निरंतर हो रहे परिवर्तनों के कारण प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया हो गई है। समय-समय पर प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों के द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को नवीन सूचनाओं से अद्यतन कराने की आवश्यकता है। इसी अनुक्रम में संस्थान को त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन का दायित्व भी सौंपा गया है।

पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से भारत शासन के द्वारा प्रदेश में वर्ष 1987 में “राज्य ग्रामीण विकास संस्थान” की स्थापना की गई। आचार्य विनोबा भावे द्वारा देय नाम “मध्यप्रदेश की संस्कारधानी” जबलपुर में पूर्व से ही पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित था, जो कि भारत शासन द्वारा 1967 में राज्य शासन को हस्तांतरित किया गया था। यह केन्द्र तत्समय पंचायतराज एवं सामुदायिक विकास से जुड़े अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण दायित्व का निर्वाह करता था। विद्यमान अधोसंरचना एवं व्यवस्थाओं का त्वरित उपयोग करने की दृष्टि से राज्य शासन ने इस केन्द्र का ही 1987 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में उन्नयन किया एवं यह संस्थान पूरे प्रदेश के लिए पंचायतराज के पदाधिकारियों एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक चिन्हित संस्थान के रूप में कार्य करने लगा।

प्रशिक्षण संस्थाओं का मुख्य दायित्व उपलब्ध मानव संसाधन को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर उत्कृष्ट एवं लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध कार्य संस्कृति निर्मित करने की दिशा में प्रयास करने का होता है तथा प्रतिनिधियों को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में निखार लाने हेतु संचालित गतिविधियों का निर्माण करना होता है। अतः शासन द्वारा यह अनुभव किया गया कि प्रशिक्षण संस्थाओं को कार्य करने के लिए स्वायत्तता देना आवश्यक है। इस दृष्टि से 1996 में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्तशासी बनाया गया एवं महात्मा गांधी के 125 वें जन्म वर्ष पर इस संस्थान का नामकरण महात्मा गाँधी के नाम पर किया गया। वर्ष 2016 में भारत शासन के निर्देशानुसार संस्थान का नाम परिवर्तित कर “महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान” किया गया।

स्वायत्तशासी व्यवस्था के अंतर्गत संस्था का नियंत्रण माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित “शासक मंडल” के द्वारा किया जाता है। शासक मंडल में ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, महिला बाल विकास आदि विभिन्न विभागों के सचिवों, पंचायतराज संस्थाओं के जिला एवं जनपद स्तर के जन प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाओं में से विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में मनोनयन का प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थान की गतिविधियों को अकादमिक के साथ-साथ मैदानी वास्तविकताओं को जोड़कर प्रशिक्षण को यथार्थपरक बनाया जा सके। संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए मार्गदर्शन नियंत्रण, एवं पर्यवेक्षण हेतु “कार्यकारिणी समिति” गठित है, जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग हैं। संस्थान के संचालक, कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव हैं।

प्रशासनिक संरचना :—

संस्थान के नवीन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु व कार्यालयीन कार्य संचालन, प्रशिक्षण शोध व अनुसंधान की गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व संचालक का होता है, जो कि संस्था प्रमुख के रूप में कार्य करता है। संचालक की सहायता के लिए संयुक्त संचालक, उपसंचालक, प्रशासनिक अधिकारी

लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय पद सृजित हैं। संस्थान में शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम
	(1) प्रशासनिक
1	संचालक
2	अतिरिक्त संचालक
3	संयुक्त संचालक
4	उप संचालक
5	प्रशासनिक अधिकारी
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)
7	अधीक्षक
	(2) प्रशिक्षण
8	प्रोफेसर रूरल प्लानिंग / मैनेजमेंट
9	अनुदेशक
10	अनुसंधान सहायक
11	संकाय सदस्य (भारत शासन कोर फैकल्टी)
	(3) सहयोगी कार्मिक
12	लिपिक वर्गीय
13	अलिपिक वर्गीय
14	रसोईया / भृत्य / माली / दफ्तरी / चौकीदार / फर्राश
15	वाहन चालक
16	सफाई कर्मी

संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संरचना को युक्तियुक्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रशिक्षण – अधोसंरचना :-

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, म.प्र. का नवीन प्रशासनिक भवन 1987 में निर्मित किया गया। इसके पश्चात् प्रशासनिक भवन का विस्तार करते हुए ग्रंथालय भवन 3 प्रशिक्षण कक्ष एवं कम्प्यूटर लैब निर्मित कराया गया। इस प्रकार वर्तमान में संस्थान में कुल 6 व्याख्यान कक्ष एवं एक संगोष्ठी कक्ष उपलब्ध है। संस्थान के प्रशिक्षण कक्षों में दृश्य श्रव्य उपकरण लगाए गए हैं। संस्थान के ऑडिटोरियम को वातानुकूलित करके इसे और उत्तम बनाया गया है। जिससे ऑडिटोरियम का उपयोग गर्मियों में भी सुगमता से किया जा रहा है। सभी आवश्यक संसाधनों से युक्त ऑडिटोरियम में 110 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है।

आवास :-

संस्थान में प्रतिभागियों के रुकने के लिए संस्कार छात्रावास है, जिसमें 32 कक्ष एवं 4 कक्षों की डॉरमेटरी है। संस्कार छात्रावास में सुविधाजनक रूप से 100 व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था है। इसके

अतिरिक्त एक पुराना छात्रावास हैं जिसमें 16 कक्ष हैं, जिसमें 32 व्यक्तियों की आवास की व्यवस्था है। इस प्रकार संस्थान में एक समय में सुविधाजनक रूप से 132 व्यक्तियों की आवास की व्यवस्था है। संस्थान में अतिथियों के आवास के लिए 10 कक्षों का सुसज्जित अतिथि गृह है। वर्तमान में 38 कमरों एवं 2 हाल का नवीन छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, जिसमें लगभग 76 प्रशिक्षार्थियों के आवास की व्यवस्था हो सकेगी।

“करमेता परिसर भाग— 2” का निर्माण :-

संस्थान के परिसर में अधोसंरचनाओं की अधिकता तथा संस्थान की भविष्य में बढ़ती क्षमतावर्धन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि आवश्यक अधोसंरचनायें अन्य परिसर का चयन कर वहां विकसित की जावे। इसी अनुक्रम में वर्तमान परिसर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर शासन द्वारा जबलपुर के “करमेता परिसर भाग— 2” के लिए आवंटित भूमि पर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अधोसंरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है।

परिवहन :-

परिवहन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्षेत्र में भ्रमण के लिए एवं संस्थान के प्रतिभागियों के आवागमन एवं क्षेत्रीय भ्रमण के लिए संस्थान के पास वर्तमान में 1 स्कार्पियो, 1 बोलेरो, 1 टाटा मैजिक उपलब्ध है। इनका उपयोग अतिथि वक्ताओं के आवागमन, दूरस्थ प्रशिक्षणों एवं संस्थान की अन्य परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परिवहन व्यवस्था के लिए किराये पर भी वाहन लिये जाते हैं।

प्रशिक्षण के लिए संकाय :-

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक संरचना में प्रशिक्षण के लिए 2 प्रोफेसर, 2 अनुसंधान सहायक एवं 2 अनुदेशक के पद सृजित किये गए हैं। भारत शासन द्वारा प्रशिक्षण में सहयोग, विशेषज्ञता एवं उत्कृष्टता के लिए पंचायत राज, ग्रामीण विकास वॉटरशेड प्रबंधन आदि विषयों के लिए दसवीं योजना हेतु 7 संकाय सदस्य शत प्रतिशत अनुदान पर स्वीकृत हैं। इनकी पूर्ति संविदा, प्रतिनियुक्ति अथवा कन्सल्टेंसी के आधार पर की जाती है। भारत शासन के इन पदों के विरुद्ध 2 व्यक्ति कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान में महिला बाल विकास की दो मध्यस्तरीय इकाईयां कार्यरत थीं जिसके वेतन भत्तों का भुगतान महिला एवं बाल विकास द्वारा किया जाता था। इन इकाईयों में प्रत्येक में 3 इस प्रकार कुल 6 संकाय सदस्य कार्यरत थे। इनमें से अक्टूबर, 2005 में एक इकाई समाप्त कर दी गई। शेष एक इकाई में अभी 3 संकाय सदस्य कार्यरत हैं। आर.जी.पी.एस.ए योजनांतर्गत संस्थान में दो कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स, 2 संकाय सदस्य एवं 1 लेखापाल कार्य कर रहे हैं तथा मनरेगा योजनांतर्गत संस्थान में एक संकाय सदस्य कार्यरत हैं।

पुस्तकालय :-

प्रशिक्षार्थियों एवं संकाय सदस्यों के ज्ञान एवं जानकारी को समृद्ध करने एवं अद्यतन रखने की दृष्टि से किसी भी संस्थान में पुस्तकालय अनिवार्य अंग होता है। इस दृष्टि से संस्थान में पुस्तकालय का एक अलग खंड निर्मित है। यद्यपि यह खंड बढ़ती हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है किन्तु संस्थान में उपलब्ध सीमित स्थान में ही वाचनालय एवं पुस्तकालय की व्यवस्था की गई। पुस्तकालय में वर्तमान में लगभग 15870 पुस्तकें विभिन्न विषयों यथा— ग्रामीण विकास, पंचायत एवं समाज कल्याण, सामुदायिक विकास, प्रबंधन, जेण्डर एवं साहित्य की है। संस्थान के ग्रंथालय को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु एनआईसी दिल्ली द्वारा विकसित ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर प्राप्त कर पुस्तकों को कम्प्यूटर में फीड कर बार कोडिंग का कार्य कराया गया। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में 8 दैनिक समाचार पत्र, 2 साप्ताहिक समाचार पत्र, 13

जर्नल व 23 साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक पत्र-पत्रिकाएं भी प्रतिमाह मंगाई जाती हैं। संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के अतिरिक्त अध्येताओं एवं शोध कर्ताओं के लिए शुल्क के साथ पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि पुस्तकालय में संग्रहित ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

कम्प्यूटर एवं मल्टीमीडिया :-

संस्थान में कम्प्यूटर विषय पर बेसिक एवं विभिन्न एप्लीकेशन आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए पृथक से कम्प्यूटर लैब है, जिसमें 20 कम्प्यूटर लगाए गए हैं। सभी कम्प्यूटर को LAN से जोड़ा गया है। कम्प्यूटर्स का उपयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के साथ-साथ संकाय सदस्यों द्वारा पाठ्य सामग्री बनाने एवं प्रस्तुतीकरण के लिए किया जाता है। कम्प्यूटर लैब को और अधिक आधुनिक बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। संस्थान में लीज लाइन इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थान के कम्प्यूटर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑनलाइन यू पी एस स्थापित कराये जा रहे हैं। संस्थान परिसर में वाय फाई की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के आधुनिकीकरण के अंतर्गत 5 केयान (K-YAN) प्रोजेक्टर प्रशिक्षण कक्षाओं में स्थापित की गई हैं। प्रोजेक्टर में कम्प्यूटर साउंड बाक्स के साथ साथ इलेक्ट्रानिक पेन की सुविधा भी है, जिससे स्क्रीन पर प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक द्वारा लिखा जा सकता है एवं लिखे हुए टेक्स्ट को सेव भी किया जा सकता है। संस्थान के डाटा को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से शासक मंडल के निर्णयानुसार आधुनिक ऑनलाइन इन्वरटर स्थापित कराए गए हैं।

संस्थान वित्त पोषण :-

स्वायत्तशासी होने के उपरांत संस्थान को राज्य शासन से एकमुश्त अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2018-19 में राज्य शासन द्वारा 392.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया। कुल आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत शासन द्वारा की जाती है। संस्थान के लिए 7 संकाय सदस्यों के वेतन की शत प्रतिशत पूर्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2018-19 में भारत शासन को प्रस्तावित अनुदान राशि रु. 442.95 लाख है। जिसके विरुद्ध भारत शासन द्वारा प्रदत्त राशि रु. 45.16 लाख है। अनुदान के अतिरिक्त संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं आवश्यक अधोसंरचना को विभिन्न संस्थाओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराकर भी राशि अर्जित करता है। जिससे संस्थान के संधारण संबंधी उन व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है जिनका प्रावधान राज्य शासन के अनुदान में नहीं होता। इस प्रकार अर्जित राशि से संस्थान द्वारा आपातकालीन आकस्मिकताओं के लिए संस्थान की कार्पस निधि भी बनाई गई है।

ईटीसी वित्त पोषण :-

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों का भी राज्य शासन व भारत शासन से वित्त पोषण की व्यवस्था है। राज्य शासन से वर्ष 2018-19 में 400.00 लाख स्वीकृत किया गया है। भारत शासन से रु. 20.00 लाख प्रति केन्द्र के मान से निश्चित अनुदान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अधोसंरचना के उपयोग के माध्यम से भी कुछ राशि अर्जित करते हैं जिसका उपयोग अधोसंरचना के विकास एवं संधारण आदि के लिए किया जाता है।

संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्र अपनी अधोसंरचना के विकास के लिए पूरी तरह से भारत शासन की सहायता पर निर्भर है। अनावर्ती व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाती है। अनावर्ती व्यय के अंतर्गत संस्थान की अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

क्षेत्रीय संरचनाएं :-

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान को संपूर्ण प्रदेश का उत्तरदायित्व दिया गया है। संपूर्ण प्रदेश के जिला, जनपद एवं मैदानी स्तर के

अधिकारियों का प्रशिक्षण एक केन्द्रीकृत व्यवस्था से संभव नहीं था, अतः प्रदेश के 6 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों — भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सिवनी, उज्जैन एवं नौगांव (जिला छतरपुर) का नियंत्रण एवं समन्वय, पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व संस्थान को दिया गया है। इन क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा जनपद सदस्यों, ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मैदानी अमले का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक प्रशिक्षण केन्द्र, का भौगोलिक क्षेत्र अनुमानतः 50-60 जनपदों तक विस्तृत है, इन जनपद पंचायतों के अंतर्गत पंचायत राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्र पर है।

इन सभी 6 केन्द्रों के अपने स्वतंत्र परिसर हैं। जिनमें प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण कक्ष एवं छात्रावास की सुविधाएं, भारत शासन के सहयोग से निर्मित की गयी हैं। प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं नौगांव में कर्मचारियों के लिए आवास गृह भी उपलब्ध हैं। सिवनी प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासगृहों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

प्रशिक्षण गतिविधियां :-

प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण :-

प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण अंतर्गत प्रदेश में मॉडल आवास निर्माण कि लिए राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण प्रगतिरत है, प्रदेश में कुल 45,000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जाना है। इस प्रशिक्षण में वर्तमान में कुल 21,796 राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित है। इस प्रशिक्षण में सफल होने वाले राजमिस्त्रियों को सीएसडीसीआई, नई दिल्ली द्वारा एल-4 लेवल का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश द्वारा वर्ष 2017-18 में राजमिस्त्री सर्टीफिकेशन कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश को “प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण” में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

सबकी योजना सबका विकास :-

भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा “सबकी योजना सबका विकास” अंतर्गत वर्ष 2019-20 की प्रत्येक ग्राम पंचायत की “ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)” तैयार करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें प्रदेश के कुल 52 जिलों में आजीविका मिशन अंतर्गत 33 सघन एवं 18 असघन क्षेत्रों में जीपीडीपी “सबकी योजना सबका विकास” योजना तैयार करने हेतु मिशन मोड में प्रशिक्षण संचालित किया गया जिसमें राज्य, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 22,960 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। पंचायतराज संस्थाओं—स्वसहायता समूहों का अभिसरण (कन्वरजेंस), सहभागिता से “ग्राम पंचायत विकास योजना” (जीपीडीपी) तैयार की जा रही है।

नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का क्षमता प्रशिक्षण :-

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, जबलपुर द्वारा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) नई दिल्ली के सौजन्य से प्रदेश के 49 जिलों में 17 दिसम्बर 2018 से 02 जनवरी 2019 की अवधि में संस्थान एवं सभी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ऑफ कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर कुल 1,613 महिला जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। जिसमें महिलाओं के अधिकार एवं दायित्व की जानकारी प्रदान की गई।

एमडीएम अंतर्गत डाटा फीडिंग सिस्टम विषय पर प्रशिक्षण :-

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान में मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत डाटा फीडिंग सिस्टम विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें जनपद पंचायत स्तरीय डाटा एण्ट्री

ऑपरेटरों ने भाग लिया इसमें कुल 136 प्रतिभागी प्रशिक्षित हुए। इस प्रशिक्षण में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत जानकारी की डाटा प्रविष्टि विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सोशल ऑडिट एण्ड सोशल अकाउंटबिलिटी विषय पर जिला स्तरीय स्रोत व्यक्तियों का सर्टिफिकेशन कोर्स :-

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, जबलपुर में 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई के तकनीकी मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें 44 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रतिभागियों को टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण शासन के द्वारा संचालित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु बहुत उपयोगी होगा।

सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर पंचायतराज क्रियान्वयकों का क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण :-

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से संस्थान में सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर पंचायतराज क्रियान्वयकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें 50 प्रतिभागी उपस्थित हुये। यह प्रशिक्षण पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारी व सामाजिक एवं निःशक्तजन कल्याण व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा, क्षेत्र, आवश्यकता, ओल्ड एज केयर, सीनियर सिटीजन की देखरेख, विकास संबंधी अधिनियम, नशा एवं रोकथाम, ओल्ड एज होम, नशा मुक्ति उपचार केन्द्र की कार्यप्रणाली, मीडिया व पंचायतराज संस्थाओं की सामाजिक सुरक्षा संबंधित भूमिका की जानकारी दी गई।

Regional ToT on Strategy for improving Maternal and Young Child Nutrition :-

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा 8 से 12 अक्टूबर 2018 तक 5 दिवसीय Improving Maternal and Young Child Nutrition विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के संकाय सदस्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के शासकीय सेवकों ने भाग लिया। उक्त प्रशिक्षण में किशोरी बालिकाओं के पोषण, शिशुओं के पोषण एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर जानकारी प्रदान की गई।

Regional training programme on Geo-spatial technologies for planning and management on PMGSY :-

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, जबलपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, हैदराबाद के द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। जिसमें मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के उपयंत्री/सहायक यंत्री, कुल 23 प्रतिभागी उपस्थित हुये। जिसमें जियो इन्फरमेटिक्स एप्लीकेशन, हैंड होल्डिंग ऑन जीपीएस सिस्टम, डाटा एनालिसिस, वर्किंग विथ लेआउट परमिशन आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।

सांसद आदर्श ग्राम योजना :-

सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं प्रभारी अधिकारियों का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सत्र दिनांक 27 एवं 28 जुलाई 2018 की अवधि में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिये ग्राम का समग्र

विकास के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें व्यक्तित्व विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास तथा पर्यावरण विकास एवं बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा व सुशासन के विषयों की जानकारी प्रदान की गई।

वर्कशॉप ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एण्ड वेलफेयर :-

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एण्ड वेलफेयर विषय पर "सेन्टर फॉर कंज्यूमर स्टेडीज, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण दिनांक 17-18 सितम्बर 2018 को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण 40 प्रतिभागी (पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, संकाय सदस्य) सम्मिलित हुये। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एण्ड इम्पावरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन-लॉ एण्ड पालिसी, फाइनैसियल सर्विसेस, इन्श्योरेंस, टेलीकाम, फल सेफ्टी, लीगल मेट्रोलॉजी, ई-कामर्स एण्ड सायबर फ्राड्स, कंज्यूमर रीड्रेयल एजेंसी की कार्यपद्धति विषयों पर जानकारी दी गई।

स्टेट लेवल मास्टर रिसोर्स परसन का सर्टीफिकेशन प्रोग्राम वर्ष 2017-18 :-

पंचायत राज पदाधिकारियों के प्रशिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Transforming India Through Strengthening PRIs by Continuous Training and E-enablement" राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद (NIRD&PR) द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए अभिनव रणनीति तैयार की गई।

संस्थान में तीन सर्टीफिकेशन प्रोग्राम आयोजित कर 100 स्टेट लेवल मास्टर रिसोर्स परसन का सर्टीफिकेशन करा दिया गया है। ये सभी रिसोर्स परसन संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों के संकाय सदस्य, सेवानिवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व पंचायतराज पदाधिकारी की श्रेणी के हैं।

जेण्डर संवेदी दृष्टिकोण :-

संस्थान एवं ईटीसी कार्यालय में कार्य करने वाले लोगों में "जेण्डर संवेदी दृष्टिकोण" लाने के लिए संस्थान में प्रशिक्षण आयोजित किये गये। महिला सशक्तीकरण गतिविधियों से जुड़ी "जागोरी संस्था" नई दिल्ली एवं "आनंदी" संस्था गुजरात के विषय विशेषज्ञों के सहयोग से संस्थान में दिनांक 28-29 जून 2018 को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें 42 प्रतिभागी प्रशिक्षित हुये। "यूएन-वूमेन" नई दिल्ली से जेण्डर विषय पर प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। संस्थान में "यूएन-वूमेन" नई दिल्ली द्वारा एक कन्सलटेंट श्रीमती वीना महोर की सेवाएं दी गई।

जी.पी.डी.पी. मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण:-

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 2777 मास्टर ट्रेनर्स (जनपद पंचायत एवं लाइन डिपार्टमेंट के फील्ड अधिकारी) 1024 मास्टर ट्रेनर्स मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व कार्यक्रम के मेन्टर, 811, पंचायत पदाधिकारी 76, अन्य 137 (कुल 1024) 1918 मास्टर ट्रेनर्स (सी.आर.पी.) मध्यप्रदेश के 33 आजीविका मिशन सघन जिलों के 187 जनपद पंचायतों के 1918 सी.आर.पी. को प्रशिक्षित किया गया।

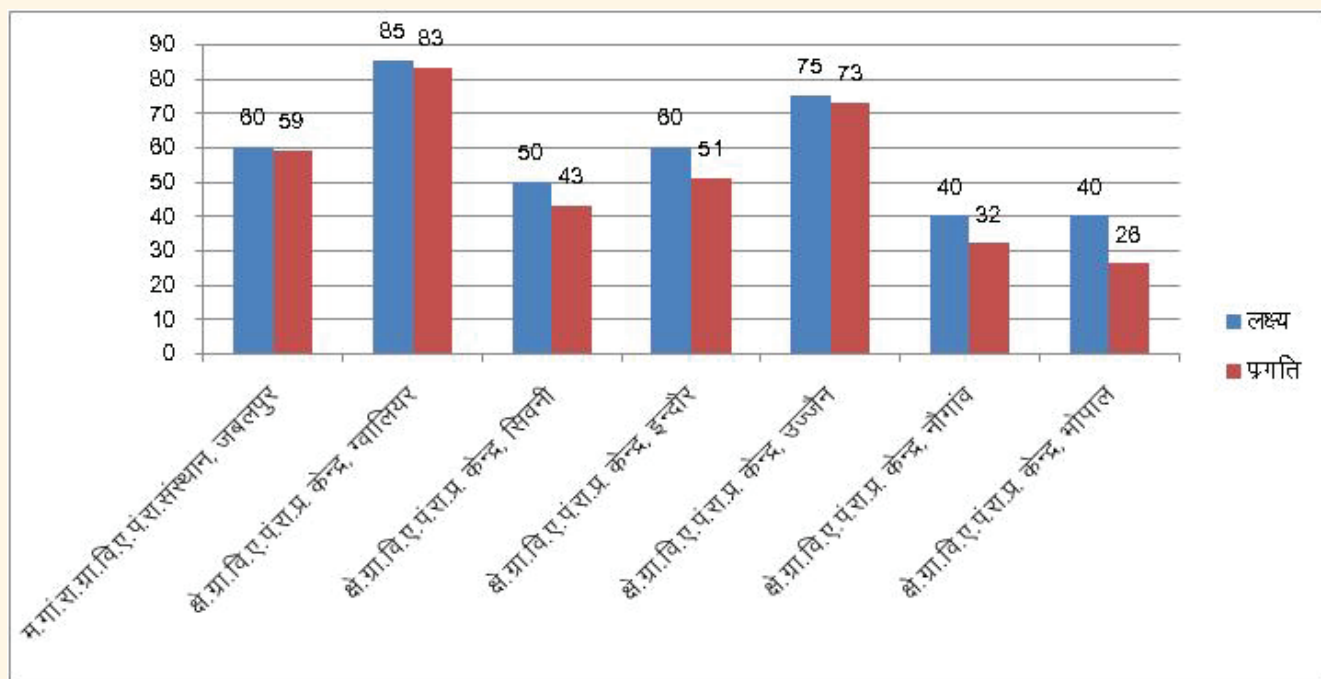
वर्ष 2018-19 में आयोजित प्रशिक्षण :-

संस्थान द्वारा वर्ष 2018-19 में माह मार्च 2019 तक 3626 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें 164755 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी तरह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 308 सत्र आयोजित कर 8330 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। सत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

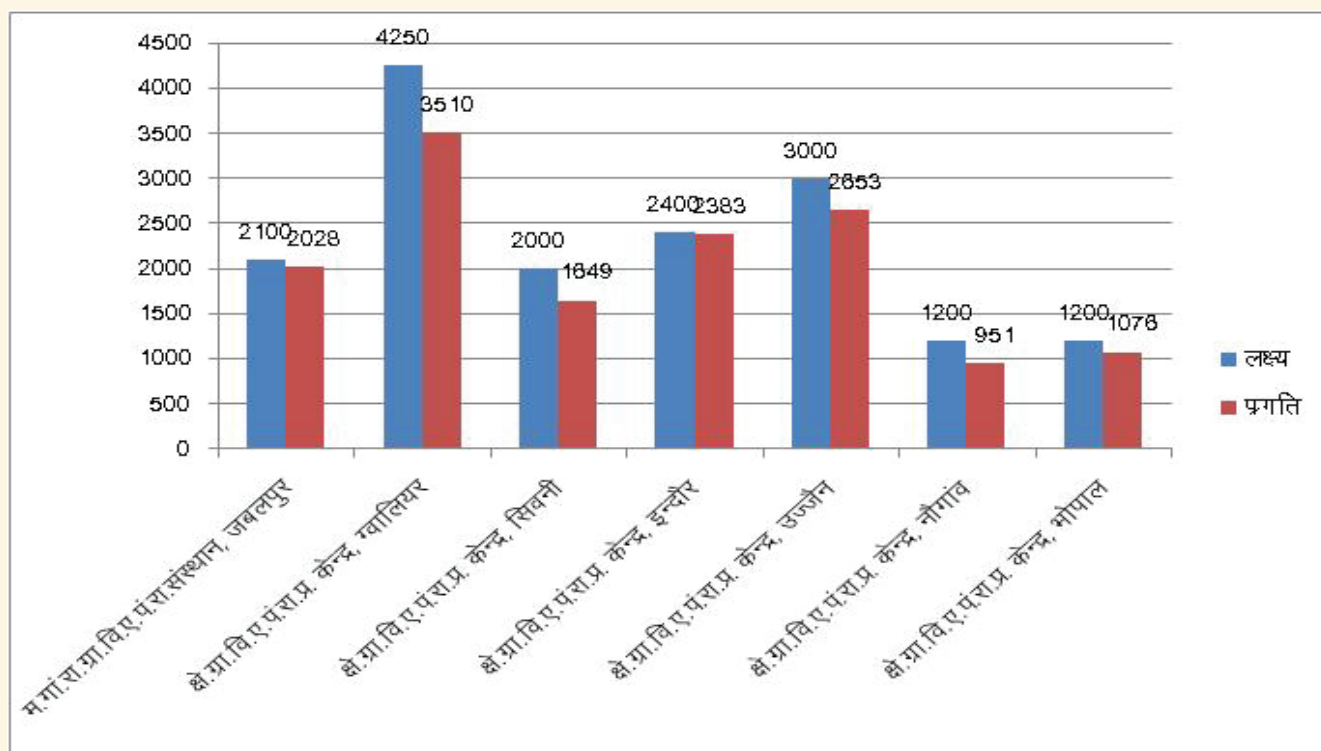
क्र.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सूजित प्रशिक्षण दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण द्वितीय चरण (ऑफ कैम्पस)	97	3395	45	96	3276	147420
2	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण तृतीय चरण (ऑफ कैम्पस)	305	10675	45	290	10060	452700
3	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण चतुर्थ चरण प्रगतिरत (ऑफ कैम्पस)	277	9695	45	247	8460	380700
4	पेसा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा मोबलाइजर प्रशिक्षण	18	900	3	15	618	1854
5	सबकी योजना सबका विकास जीपीडीपी राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	35	1	1	34	34
6	सबकी योजना सबका विकास जीपीडीपी जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	110	2	1	110	220
7	सबकी योजना सबका विकास जीपीडीपी ग्राम पंचायत फेसिलिटेटर का प्रशिक्षण (ऑफ कैम्पस)	570	22816	2	570	22816	45632
8	मूलभूत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (सरपंच एवं पंच) (ऑफ कैम्पस)	2571	128559	3	2355	117791	353373
9	आरजीएसए अंतर्गत जीपीडीपी विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	1	50	1	1	40	40
10	आरजीएसए अंतर्गत जीपीडीपी विषय पर जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	4	197	1	4	162	162
11	नवनिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण (ऑफ कैम्पस निपसिड)	9	405	3	9	324	972
12	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत डाटा फीडिंग सिस्टम विषय पर प्रशिक्षण	4	200	3	4	136	408

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सृजित प्रशिक्षण दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8
13	स्वसहायता समूह के संगठन एवं बैंकों का जुड़ाव	3	150	5	3	109	545
14	समाजिक अंकेक्षण एवं जवाबदेहिता विषय पर सर्टिफिकेशन कोर्स (मनरेगा)	1	44	30	1	44	1320
15	सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर पंचायत राज क्रियान्वयकों का क्षमतावृद्धि प्रशिक्षण	2	60	3	2	50	150
16	"नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम" विषय पर पंचायत राज क्रियान्वयकों की 1 दिवसीय कार्यशाला	2	80	1	2	67	67
17	(MLTC) पर्यवेक्षकों का प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण	5	98	7	5	98	686
18	(MLTC) पर्यवेक्षकों का मूलभूत प्रशिक्षण	8	177	32	8	177	5664
19	Regional ToT on Strategies for Improving Maternal and Young Child Nutrition	1	23	5	1	23	115
20	एडवांस एम.एस. आफिस एवं इंटरनेट	3	60	5	3	28	140
21	मल्टीमीडिया एवं पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन	1	20	4	1	6	24
22	Regional Training Programme on "Per Drop more Crop" under PMKSY	1	25	5	1	25	125
23	Regional Training Programme on "Geo-Spatial Technologies for Planning and Management of PMGSY "	1	25	5	1	23	115
24	सांसद आदर्श ग्राम योजना	1	34	2	1	24	48
25	वर्कशॉप ऑन कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एन्ड वेलफेयर	1	40	2	1	40	80
26	परिसर	3	214	—	3	214	518
	योग	3891	178087	—	3626	164755	1393112

संस्थावार प्रशिक्षण सत्रों का प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह मार्च 2019 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण सत्रों का विवरण



संस्थावार प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह मार्च 2019 तक प्रशिक्षित किए गए प्रतिभागियों का विवरण



प्रयास का एक दशक :-

संस्थान अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग मार्गदर्शन एवं संरक्षण देकर सक्रिय बनाने की दिशा में प्रयासरत है। जिनके फलस्वरूप संस्थान की गतिविधियों में विस्तार एवं वृद्धि हुई है। वर्तमान में संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान द्वारा किए गए प्रयास निम्न सारणी में परिलक्षित होते हैं -

वर्ष	संस्थान		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	
	सत्र	प्रतिभागी	सत्र	प्रतिभागी
2006-07	274	10688	787	51498
2007-08	259	9658	1061	56952
2008-09	1580	99999	1022	50003
2009-10	2583	153861	1035	38184
2010-11	245	9211	1233	47045
2011-12	2184	299165	1194	57759
2012-13	5229	238020	1093	51771
2013-14	8927	371747	752	32199
2014-15	440	17083	301	13167
2015-16	249	7026	263	11024
2016-17	80	2479	425	15582
2017-18	360	10968	197	7262
2018-19	3626	164755	308	8330

शोध और अध्ययन :-

संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्रों में पदस्थ संकाय सदस्यों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे- मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) , मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि पर शोध कार्य किया जा रहा है।

पाठ्य सामग्री का सृजन एवं प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा अब तक स्व-सहायता समूह, पंचायत राज, ग्राम पंचायत विकास योजना, बाल उत्प्रेरण, प्रशिक्षण प्रबंधन एवं तकनीक, विकेन्द्रित नियोजन, पंचायती राज व्यवस्था अध्ययन, महिला एवं बाल विकास और जेंडर एवं प्रजनन स्वास्थ्य, रोजगार गारंटी योजना से संबंधित लगभग 85 पुस्तकों का प्रकाशन अब तक किया गया है।

मासिक पत्रिका "पहल का प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा मासिक ई-पत्रिका "पहल" का प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन किया जा रहा है। पंचायतों के श्रेष्ठ अनुकरणीय कार्य, नवाचार, सफलता की कहानियां, वर्तमान गतिविधियां एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के संबंध में आलेख प्रकाशित किये जाते हैं। संस्थान में होने वाली प्रशिक्षण, बैठकें, सेमीनार, कार्यशालाओं संबंधी जानकारी का भी उल्लेख पत्रिका में किया जाता है।

ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन बिना किसी व्यय के किया जाता है तथा भविष्य में पंचायत दर्पण पोर्टल से इसे लिंक किया जायेगा, जिससे पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी लाभान्वित हो सकें।

भविष्य की परिकल्पना :-

संस्थान को मध्यप्रदेश तथा राष्ट्र स्तर पर स्थापित किए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की गतिविधि के संचालन में उत्तरोत्तर अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। संस्थान ग्रामीण विकास तथा पंचायत के क्षेत्र में कार्यक्रमों का अनुश्रवण कर योजनाओं के क्रियान्वयन में शासन को सहयोग करने के लिए भी कार्य कर रही है। योजनाओं से जुड़े विषयों के ऊपर संस्थान द्वारा शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। जिनके निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक परिवर्तन के सुझाव शासन की ओर भेजे जा सकेंगे।

संस्थान द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों से निरंतर संपर्क कर प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के परिणाम भी इस वर्ष में परिलक्षित हुए हैं। आशा है आगामी वर्ष में भी संस्थान प्रशिक्षण के साथ साथ शोध और अनुसंधान की दिशा में भी इन प्रयासों के आधार पर और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेगा।



पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल जबलपुर में महात्मा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान परिसर में छात्रावास का लोकार्पण करते हुए.

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान

परिचय :

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, भोपाल म.प्र. शासन ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जल एवं भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में एक राज्यस्तरीय शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है जो म.प्र. सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत दिनांक 31.08.1985 को क्र. 15463 पर पंजीकृत है। संस्थान का सम्पूर्ण क्षेत्र कलियासोत बांध के दायें तट की पहाड़ी पर कुल 89 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित है।

उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :

- (1) विज्ञान एवं तकनीकी का प्रचार प्रसार तथा तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन करना।
- (2) सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, भूमि विकास एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं विविध पहलुओं पर प्रयोग संचालित करना तथा समान उद्देश्यों वाले संगठनों से समन्वय करना।
- (3) सिंचाई प्रबंधन योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों एवं लाभार्थियों के प्रशिक्षण संचालित करना।
- (4) ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन योजनाओं से संबंधित सामाजिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
- (5) ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों में संलग्न कर्मचारियों के लिए विशेष क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- (6) सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का अंकेक्षण एवं मूल्यांकन।
- (7) सिंचाई प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों में शासन एवं स्थानीय निकाय व अन्य संगठनों को सलाहकारिता सेवा प्रदाय करना।
- (8) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, शोध, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग और प्रभावों का अंकेक्षण तथा मूल्यांकन करना।

1. शासी निकाय (Governing Body)

- | | |
|--|--------------|
| ● मुख्य सचिव | — अध्यक्ष |
| ● अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | — सदस्य |
| ● कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. | — सदस्य |
| ● अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | — सदस्य |
| ● अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग | — सदस्य |
| ● अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग | — सदस्य |
| ● प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | — सदस्य |
| ● प्रमुख सचिव, उद्यानिकी विभाग | — सदस्य |
| ● प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन विभाग | — सदस्य |
| ● संचालक, वाल्मी | — सदस्य सचिव |

2. कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) :

- | | |
|--|-----------|
| ● अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | — अध्यक्ष |
| ● प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग | — सदस्य |

● सचिव, वित्त विभाग	— सदस्य
● प्रमुख सचिव/सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	— सदस्य
● मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	— सदस्य
● संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन/मुख्य कार्यपालन अधिकारी—एस.एल.एन.ए.—एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम	— सदस्य
● मुख्य कार्यपालन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	— सदस्य
● परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनायें जल संसाधन विभाग	— सदस्य
● प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	— सदस्य
● आयुक्त, सैन्य क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग	— सदस्य
● संचालक, उद्यानिकी	— सदस्य
● संचालक, मत्स्य पालन	— सदस्य
● संचालक, वाल्मी	— सदस्य सचिव

मानव संसाधन संरचना

1. नियमित स्थापना :

क्रमांक	पदनाम
1.	संचालक
2.	प्रशासकीय अधिकारी
3.	लायब्रेरियन
4.	उपायुक्त
5.	लेखाधिकारी
6.	सहायक यंत्री
7.	अनुभाग अधिकारी
8.	उपयंत्री
9.	सहायक मानचित्रकार
10.	कम्प्यूटर ऑप./प्रोग्राम असिस्टेंट
11.	प्रेक्षक
12.	केटरिंग मैनेजर
13.	तकनीकी सहायक
14.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक
15.	ग्राफिक आर्टिस्ट
16.	प्रयोगशाला तकनीशियन
17.	समयपाल
18.	कुक
19.	वाहन चालक
20.	वरिष्ठ कार्यालय सहायक
21.	सहायक वर्ग-2
22.	वरिष्ठ लेखा लिपिक
23.	शीघ्रलेखक-2

24.	शीघ्रलेखक-3
25.	सहायक वर्ग-3
26.	केटलॉग इन्डेक्स क्लासीफायर
27.	इलेक्ट्रिकल वायरमेन
28.	पंप अटेंडेंट
29.	दफ्तरी
30.	वाटरमेन
31.	भृत्य
32.	सफाईकर्मी

उपयंत्रों के पदों में से 02 उपयंत्रों प्रतिनियुक्ति पर संस्थान से बाहर पदस्थ हैं। "सहायक वर्ग - तीन का 01 सहायक प्रतिनियुक्ति पर संस्थान से बाहर पदस्थ है।

क्रमांक	पदनाम
33.	डीन
34.	प्राध्यापक
35.	सह-प्राध्यापक
36.	सहायक प्राध्यापक
37.	शोध सहभागी
38.	इंटरन

2. स्कूल संरचना :-

भौतिक उपलब्धियां

कक्षागत प्रशिक्षण : संस्थान के गठन उपरान्त पहली बार कक्षागत प्रशिक्षणों में कारगर वृद्धि हुई है, विवरण निम्नानुसार है :-

स.क.	वर्ष	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल मानवदिवस
1	2014-15	72	3166	18545
2	2015-16	134	3403	24979
3	2016-17	59	2078	12002
4	2017-18	121	5435	27115
5	2018-19	150	9315	42558

वित्तीय उपलब्धियां

संस्थान के वित्तीय स्रोत एवं उनके विरुद्ध व्यय का विगत पांच वर्ष का विवरण निम्नानुसार है :-

(लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	प्राप्तियां	व्यय
2014-15	सहायता अनुदान	400.00	497.10
	प्रशिक्षण शुल्क	189.50	113.20
	योग	589.50	610.30
2015-16	सहायता अनुदान	400.00	464.00

	प्रशिक्षण शुल्क	242.00	214.00
	योग	642.00	678.00
2016-17	सहायता अनुदान	800.00	802.00
	प्रशिक्षण शुल्क	232.00	202.00
	योग	1032.00	1004.00
2017-18	सहायता अनुदान	800.00	805.00
	प्रशिक्षण शुल्क	114.00	80.00
	योग	914.00	885.00
2018-19	सहायता अनुदान	880.00	911.47
	प्रशिक्षण शुल्क	1419.00	315.34
	योग	2299.00	1232.81

प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण शुल्क की प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

संस्थान की उपलब्धियां एवं नवाचार

1. प्रशिक्षण के क्षेत्र में :

● तनाव रहित प्रशिक्षण :

संस्थान द्वारा विगत कई वर्षों से लघु एवं दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में यह अनुभव किया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी व प्रशासनिक प्रकृति के व्याख्यानो को निरन्तर समावेश होना प्रतिभागियों को तनावग्रस्त कर एक बोझिल वातावरण निर्मित करता है जिससे प्रतिभागियों में आनन्द व उत्साह की कमी होने लगती है। प्रतिभागियों को एक स्वस्थ, उत्साहवर्धक एवं आनन्दपूर्ण वातावरण में प्रशिक्षण दिया जावे एवं प्रतिभागियों के मध्य मजबूत संबंध निर्मित हो पाये, इस हेतु संस्थान द्वारा प्रशिक्षण अवधि में सहभागिता आधारित मूल्यांकन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, खेलकूद गतिविधियां एवं समूह प्रस्तुतिकरण व रोल-प्ले आदि नवाचारों को सम्मिलित किया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

● इंटर्नशिप कार्यक्रम :

संस्थान द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं हेतु अनिवार्य इंटर्नशिप कार्यक्रम 11 जून, 2018 से 10 जुलाई 2018 की अवधि में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, लक्ष्मीनारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एवं ओरिन्टल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 21 छात्र/छात्राओं द्वारा विभिन्न विषयों पर फील्डवर्क एवं प्रायोगिक कार्य किये गये। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संस्थान की विभिन्न गतिविधियों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

● भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा की-रिसोर्स सेंटर (KRC) के रूप में वाल्मी का चयन :

संस्थान द्वारा क्रियान्वित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स एवं प्रतिभागियों का फीडबैक भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ओर प्रेषित किया गया तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतिकरण किया गया।

वाल्मी भोपाल के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं रिपोर्टिंग के आधार पर भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा म.प्र. वाल्मी का अगले पांच वर्षों के लिए की-रिसोर्स सेंटर (KRC) के रूप में चयन किया गया है।

- **थर्डपार्टी कॉन्करंट मूल्यांकन कार्य :**

संस्थान द्वारा जल संसाधन विभाग की कैडवम परियोजनाओं का थर्डपार्टी कॉन्करंट मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में मार्च 2019 तक 5 परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह परियोजनायें सगड़ जिला विदिशा, संजय सागर बाह जिला विदिशा, माही जिला धार, बरियापुर जिला छतरपुर एवं सिंध फेज-2 जिला शिवपुरी हैं।

द्वितीय चरण में जल संसाधन विभाग की 5 कैडवम परियोजनाओं का थर्डपार्टी कॉन्करंट मूल्यांकन का कार्य प्रगतिरत है। यह परियोजनाएँ सिंहपुर जिला छतरपुर, महुअर जिला शिवपुरी, महान जिला सीधी, पेंच जिला सिवनी एवं बाणसागर जिला शहडोल है। इन मूल्यांकन कार्यों की रिपोर्ट जल संसाधन विभाग के माध्यम से भारत शासन को प्रेषित की जायेगी।

- **प्रदेश में वाटरशेड परियोजनाओं का मूल्यांकन :-**

मध्यप्रदेश में राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन द्वारा भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2008 में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) के अंतर्गत विभिन्न वाटरशेड विकास परियोजनाओं के विकास का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया। राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन द्वारा प्रदेश में सन् 2009-10 से सन् 2013-14 की अवधि में स्वीकृत 331 वाटरशेड परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया। राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन ने उक्त परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) भोपाल से नवम्बर – 2018 में अनुरोध किया गया। प्रारंभिक विचार विमर्श के पश्चात RGMWM एवं WALMI के मध्य दिनांक 29 जनवरी 2019 को एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के समस्त जिलों की कुल 331 परियोजनाओं के न्यूनतम 30% क्षेत्र का मूल्यांकन कर स्वीकृत समय सीमा में सभी परियोजनाओं की प्रत्येक जिलों की एवं सम्पूर्ण प्रदेश की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित किया जाना है। इस कार्य के लिए RGMWM द्वारा तय राशि वाल्मी को भुगतान की जाएगी।

मूल्यांकन कार्यों के सफल निष्पादन हेतु दो वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को परामर्शी के रूप में एवं अन्य कर्मचारियों को नियोजित किया गया। साक्षात्कार द्वारा चयनित 13 सिविल इंजीनियर/कृषि इंजीनियर एवं जवाहर नेहरू कृषि विश्व विद्यालय से 4 माह की इंटर्नशिप के लिए वाल्मी में आए कृषि आभियांत्रिकी के अंतिम वर्ष के 30 विद्यार्थियों को 2 सप्ताह का वाटरशेड विशेषज्ञों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया जाकर मूल्यांकन कार्य के लिए योग्य बनाया गया।

सभी जिलों के वाटरशेड नोडल अधिकारियों से वाटरशेड परियोजनाओं एवं माइक्रोवाटरशेड की जानकारी प्राप्त कर एवं प्रत्येक क्षेत्र का भौतिक सत्यापन कर जानकारी एकत्रित करने के लिए WORK PHASE एवं PREPARATORY PHASE के लिए प्रपत्रों की रचना की गई। परियोजनाओं एवं माइक्रोवाटरशेड का मूल्यांकन के लिए चयन पूर्णतः क्रमहीनतः विधि (random approach) द्वारा किया गया एवं 2 से 4 मूल्यांकनकर्ताओं के समूह बनाकर उन्हें 23 जिलों की 115 परियोजनाओं का भौतिक मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए वेबपेज की रचना की जा रही है एवं समय समय पर बैठकों में विचार विमर्श कर मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

- **राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों हेतु मानक बैंच मार्क निर्धारण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला :**

दिनांक 24-25 अप्रैल, 2018 को राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों हेतु मानक बैंच मार्क निर्धारण विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विभिन्न प्रदेशों के 112 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के अकादमिक मानकों, अधोसंरचनात्मक मानकों, प्रबंधन व प्रक्रियात्मक मानकों तथा अन्तर्संस्थान लिंकेज पर चर्चा हुई।

- **बेसिक हाइड्रोलॉजी विषय पर कार्यशाला :**

संस्थान द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के सहयोग से बेसिक हाइड्रोलॉजी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23 से 27 जुलाई 2018 की अवधि में किया गया जिसमें कुल 29 प्रतिभागियों/प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

- **ग्राउण्डवाटर मॉडलिंग विषय पर कार्यशाला :**

वाल्मी एवं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ग्राउण्डवाटर मॉडलिंग विषय पर एक कार्यशाला दिनांक 4 से 6 सितम्बर 2018 की अवधि में आयोजित की गई जिसमें 21 प्रतिभागियों/प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

- **नेहरू युवा केन्द्र के अन्तर्राज्यीय कार्यक्रम एवं मेला**

- **वतन को जानो**

कश्मीर के युवाओं के लिये 'वतन को जानो' विषय पर कश्मीरी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दिनांक 01.12.2018 से 06.12.2018 को वाल्मी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूल, बड़गाम एवं पुलवामा जिलों के 128 युवाओं ने भाग लिया। एक सप्ताह के इस कार्यक्रम में परिचय, कार्यक्रमों की रूपरेखा, बौद्धिक सत्र, भाषा संस्कृति, खानपान, रहन सहन, स्वयं की पहचान, भ्रमण (सांची एवं ताजुल मस्जिद), राष्ट्र निर्माण विषय पर व्याख्यान, पैनल डिस्कशन, फूड फेस्टिवल, हस्तशिल्प मेला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वतन को जानो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में सहभागिता एवं भागीदारी सुनिश्चित कराना है। यह कार्यक्रम कश्मीर घाटी के संवेदनशील जिलों के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना है।

- **एक भारत – श्रेष्ठ भारत**

एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम 2018 का आयोजन वाल्मी में दिनांक 07.12.2019 से 21.12.2019 तक आयोजित किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, नागालैंड से 39 एवं मध्यप्रदेश के 61 युवाओं ने सहभागिता की। प्रतिभागियों को विभिन्न विषय जैसे राष्ट्रीय एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, संकल्प से सिद्धि, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, गांधी दर्शन एवं गांधी-150, भाषा, कला एवं संस्कृति तथा सम सामयिक विषयों पर परिचर्चा एवं भारत सरकार द्वारा चल रहे प्लेगशिप योजनाओं को समझने से बौद्धिक एवं विमर्श सत्र आयोजित किये गये। देश में स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थाओं से परिचित कराने के उद्देश्य प्रतिभागियों को यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर व बौद्ध जगत की तीर्थ स्थली सांची स्तूप (रायसेन), संत हिरदाराम महाविद्यालय, शौर्य स्मारक भोपाल, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को संजोए हुये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, प्रसिद्ध शिव मंदिर भोजपुर, लेक व्यू एवं न्यू मार्केट का भ्रमण कराया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोनों राज्यों के युवाओं ने लोकनृत्य, गायन एवं नाटक को प्रस्तुत कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। ये कार्यक्रम नेहरू युवा संगठन भोपाल हेतु वाल्मी द्वारा आयोजित किये गये।

- **पंचायती राज सम्मेलन में संस्थान की प्रदर्शनी**

दिनांक 23 फरवरी, 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में संस्थान की ओर से एक प्रदर्शनी

लगायी गई जिसमें संस्थान की विविध गतिविधियों को दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी में संस्थान के उद्देश्य, विजन, मिशन, गतवर्ष की प्रगति तथा विभिन्न नवाचार जैसे—नैनो वाटरशेड, जैविक बागड़, वाटर हार्वेस्टिंग एवं जल प्रबंधन इत्यादि की जानकारी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संस्थान के प्रयासों की सराहना की गई।

● अधोसंरचना विकास

- संस्थान में उपलब्ध 22 से 50 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमतायुक्त विविध व्याख्यान कक्षों को अत्याधुनिक दृश्य—श्रव्य उपकरणों से सुसज्जित कराया गया है तथा सभी व्याख्यान कक्ष वातानुकूलित कराये गये हैं।
- पुराने छात्रावास का रिनोवेशन कराया गया है जिसमें वाटरप्रूफिंग, व्हाईटवाश, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्नानगृह का विस्तार तथा अत्याधुनिक सेनेटरी फिटिंग्स से सुसज्जित करना, खुले क्षेत्रों को कव्हर करना आदि कार्य सम्मिलित हैं।
- नवीन छात्रावास भवन के समस्त 24 कक्षों को वातानुकूलित किया जा चुका है।
- भोज परिसर क्रमांक-1 (छात्रावास) में 50 नये पलंग गद्दों आदि की व्यवस्था की गई है।
- भोजनालय का भी रिनोवेशन कराया गया है। सम्पूर्ण क्षेत्र में विविध स्थानों पर वाटरकूलर्स आर.ओ. सहित स्थापित कराये गये हैं।
- सोलर वाटर हीटर के माध्यम से गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है। जिससे विद्युत व्यय को भी नियंत्रित किया गया है।
- संस्थान के पुस्तकालय को वातानुकूलित कराया गया है।

2. स्वच्छता तथा हरियाली के क्षेत्र में :

● स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

संस्थान परिसर की साफ—सफाई व्यवस्था आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से करायी जा रही है। परिसर में विभिन्न स्थानों पर सूखे एवं गीले कचरा हेतु पृथक—पृथक डस्टबिन रखवाये गये हैं।

● अपशिष्ट पदार्थों का वैज्ञानिक निष्पादन :

संस्थान की अलग—अलग इकाइयों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा एवं इसके प्रकार का आंकलन किया गया एवं तदनुसार अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति अनुकूल तकनीक अपनाई गई।

➤ भोजनालय से प्राप्त अपशिष्ट प्रबंधन :

संस्थान की मेस द्वारा प्रति वर्ष 30000 प्रशिक्षणार्थियों के भोजन व्यवस्था की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप काफी मात्रा में जैविक अपशिष्ट जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाद्य पदार्थ इत्यादि प्राप्त होता है। इस जैविक अपशिष्ट के निष्पादन हेतु मेस परिसर में जैविक खाद निर्माण की निम्न विधियां विकसित की गई हैं :—

➤ केज वर्मीकम्पोस्ट :

फलों एवं सब्जियों के छिलके तथा नमक विहीन अपशिष्ट पदार्थों से वर्मीकम्पोस्ट बनाने हेतु वर्मी केज लगाया गया, जिसमें *Eisenia Foetida* प्रजाति के केंचुओं द्वारा वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है।

➤ चारचक्रीय विधि :

मेस परिसर से प्राप्त होने वाला जैविक अपशिष्ट एक साथ प्राप्त न होकर प्रतिदिन अलग-अलग मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसे अपशिष्ट से खाद बनाने हेतु मेस परिसर में ईट/कांक्रीट की चार चक्रीय कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट निर्मित की गई। इस विधि में केंचुओं द्वारा 4 कम्पार्टमेंट्स में चक्रीय आधार पर जैविक खाद निर्मित की जाती है अर्थात् प्रतिदिन प्राप्त होने वाले अपशिष्ट से पहले एक कम्पार्टमेंट भरा जाता है तदोपरान्त इसी तरह द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कम्पार्टमेंट भरे जाते हैं। चतुर्थ कम्पार्टमेंट जब तक पूर्ण रूप से भरता है, प्रथम कम्पार्टमेंट में जैविक खाद बन चुकी होती है एवं खाद निकालकर उसे फिर से भरना प्रारम्भ किया जाता है।

➤ नॉडेप विधि :

मेस से प्राप्त होने वाले सूखे कचरे, नमक युक्त अपशिष्ट एवं आसपास के क्षेत्र से नींदा सफाई से प्राप्त जंगली घांस इत्यादि से खाद प्राप्त करने हेतु मेस परिसर में ही नाडेप इकाई स्थापित की गई, जिसमें हर 4 महीने में लगभग 2 टन जैविक खाद प्राप्त हो रहा है।

➤ कम्पोस्ट मेकिंग मशीन :

संस्थान परिसर के अन्य क्षेत्रों एवं प्रदर्शन प्रक्षेत्र से प्राप्त होने वाले कचरे जिसमें मुख्य रूप से नींदा, जंगली घास, वृक्षों की कटाई-छटाई से प्राप्त कचरा इत्यादि सूखी प्रकृति का कचरा सम्मिलित रहता है के निष्पादन हेतु भोज परिसर में कम्पोस्ट मेकिंग मशीन स्थापित की गई है। इस मशीन से प्रति दिन 20 किलो जैविक खाद प्राप्त किया जा रहा है। इसी तरह वाल्मी आवासीय परिसर तथा अन्य स्थानों पर सूखे एवं गीले कचरे हेतु पृथक-पृथक डस्टबिन रखवाये गये हैं, जिन्हें साफ सफाई हेतु आउटसोर्स की गई एजेंसी द्वारा खाद निर्माण संयंत्रों पर लाकर पृथक्कीरण किया जाता है एवं खाद बनाई जाती है।

● वृक्षारोपण कार्य :

संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण अन्तर्गत हिलटॉप क्षेत्र में विविध प्रकार के फलदार वृक्षों तथा वन प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है इसके अतिरिक्त हिलटॉप पर ही छात्रावास क्षेत्र में पाम व अशोक के पौधे रोपित किये गये हैं। संस्थान के प्रदर्शन प्रक्षेत्र में भी वाल्मी स्टॉफ एवं प्रतिभागियों द्वारा ड्रमस्टिक (मुनगा), नीम, आंवला तथा अन्य देशी पौधे सघन रूप से रोपित किये गये हैं।

● फलोद्यानों का जीर्णोद्धार :

संस्थान के उद्यानिकी विषयक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के दीर्घकालिक प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को व्यावहारिक अभ्यास प्रदाय कराने के उद्देश्य से प्रतिभागियों को विभिन्न प्रजातियों जैसे आम, आंवला, चीकू, काजू इत्यादि के जीर्ण क्षीर्ण पेड़ आवंटित किये गये एवं उन्हें इन वृक्षों के जीर्णोद्धार की तकनीक व आवश्यक सामग्री जैसे खाद, दवाईयां, उपकरण, सिंचाई जल इत्यादि उपलब्ध कराये गये तथा प्रत्येक प्रतिभागी को आवंटित वृक्ष के जीर्णोद्धार का टास्क (कार्य) सौंपा गया, जिसे प्रतिभागियों द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया। इस नवाचार से प्रतिभागियों में उन्हें आवंटित वृक्ष के प्रति न सिर्फ जुड़ाव देखने को मिला अपितु छात्रावास में रहते हुये खाली समय का उनके द्वारा सकारात्मक उपयोग किया गया। प्रशिक्षण उपरान्त संस्थान के स्टाफ द्वारा इन पौधों की देखरेख की जा रही है। कई प्रतिभागियों द्वारा उन्हें आवंटित किये गये वृक्षों की जानकारी प्राप्त करने हेतु दूरभाष पर संस्थान से सम्पर्क किया जाता है, जो नवाचार की सफलता परिलक्षित करता है।

- **वर्षा जल संचयन :**

संस्थान में नवनिर्मित नलकूपों एवं पुराने नलकूपों के पुनर्भरण हेतु छात्रावास एवं अन्य अधोसंरचनाओं की छत से वर्षा जल एकत्रित कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से जल संचयन किया जा रहा है जिससे ग्रीष्मकाल में नलकूप के माध्यम से सतत जलापूर्ति सम्भव होगी। संस्थान में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भी इस तकनीक के व्यावहारिक ज्ञान से अवगत कराकर इसे अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

- **जलग्रहण क्षेत्र विकास अवधारणा आधारित कार्यों से जल उपलब्धता :**

वाल्मी के प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर भी नवीन नलकूप का खनन किया गया तथा नवीन एवं पुराने (सूख चुके) नलकूपों को वर्षा जल से Recharge (पुनर्भरण) किये जाने हेतु पुरानी जलग्रहण संरचनाओं का सुधार कार्य तथा नई संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसके अन्तर्गत लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स, ब्रशवुड श्रृंखला, खुले पत्थरों की संरचनाओं का निर्माण, कंटूर ट्रैन्च व कंटूर बण्ड आदि का निर्माण कराया गया है। जल एवं भूमि संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से भू-जलस्तर में वृद्धि एवं मृदाक्षरण पर नियंत्रण हुआ है एवं इसके सकारात्मक फलदायी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

- **कचरा निष्पादन तकनीकी पर कार्यशाला :**

वाल्मी, भोपाल द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) के तहत जन-जन तक अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकी के प्रचार-प्रसार हेतु स्वच्छता पखवाड़े के अन्तर्गत दिनांक 29 सितम्बर, 2018 को “कचरा निष्पादन तकनीक” विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न महाविद्यालयों से आये छात्र-छात्राओं ने कचरा प्रबंधन की तकनीकी सीखी एवं श्रमदान कर बरसात में रोपित किये गये पौधों की निंदाई-गुड़ाई से प्राप्त कचरे को जैविक खाद में परिणित किया जाने का कार्य किया गया। कार्यशाला में घरेलू जैविक कचरे से खाद बनाने की तकनीक भी बताई गई। कार्यशाला में संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भी भाग लेकर श्रमदान किया गया।

- **वृक्षारोपण तकनीक पर कार्यशाला :**

प्रदेश के युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने एवं उनके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा का संदेश जन-जन तक प्रसारित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 27 जुलाई, 2018 को संस्थान के प्रदर्शन प्रक्षेत्र एवं वाल्मी हिल कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण पर “तकनीक आधारित कार्यशाला” आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सम्मिलित प्रतिभागियों को वृक्षारोपण की सरल व ऑर्गेनिक तकनीक का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान दिया गया तथा प्रदर्शन प्रक्षेत्र में 4000 देशी प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण भी कराया गया।

प्रदर्शन प्रक्षेत्र विकास की गतिविधियां – नवाचार एवं नवीन विकास

मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल के प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर बंजर एवं पड़त भूमि के समग्र विकास की योजना बनाकर विभिन्न कार्य नवाचार एवं नवीन विकास के माध्यम से संपादित किये गये हैं। बंजर एवं पड़त भूमि का विकास कर पर्यावरण के सुधार, जल संग्रहण क्षेत्र का विकास, मधुमक्खी पालन, ठोस एवं तरल कचरे का निष्पादन कर पुनः उपयोग में लाने एवं भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। इन कार्यों से भूमि का समुचित उपयोग कर कृषकगण अपनी आय में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।

प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

- **नवाचार एवं नवीन विकास :**

सघन वनीकरण तकनीक के क्रियान्वयन के समय संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया गया एवं वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त वाल्मी के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नवाचार एवं नवीन विकास के माध्यम से Contour पर Strip Plantation किया गया, जिसमें 42 स्थानीय वन प्रजातियों का चयन किया गया है। यह तकनीक पूर्ण रूप से जैविक हैं एवं इसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है। सघन वनीकरण कार्य में स्थानीय संसाधनों का उपयोग भी किया गया।

सघन वनीकरण 630 वर्गमीटर क्षेत्र में 30 मीटर x 3 मीटर क्षेत्र की 6 कंटूर पर स्ट्रिप प्लांटेशन में बताई गई विधियों का इस्तेमाल कर किया गया एवं एक कंटूर स्ट्रिप में सिर्फ वर्मीकम्पोस्ट का इस्तेमाल किया गया। इसका उद्देश्य वर्मी कम्पोस्ट द्वारा रोपित सघन वनीकरण द्वारा रोपित वन प्रजाति के पौधों का तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रायोगिक तौर पर किया गया।

वर्तमान में सघन वनीकरण कार्य माह नवम्बर, 2018 में पूर्ण हुआ है एवं पौधों के बढ़वार की रीडिंग प्रति सप्ताह पंजिका में दर्ज की जा रही है, जिससे वर्मीकम्पोस्ट एवं नवाचार में अंतर को दर्ज कर अध्ययन हेतु उपयोग किया जा सके।

- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Liquid Waste Management) :**

तरल एवं ठोस कचरे को पुनः उपयोग में लाने हेतु विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया जिससे भूजल संवर्धन, गीले कचरे से बायो जैविक खाद का निर्माण किया जा सकता है। जिससे कचरा निष्पादन आसानी से किया जा सकेगा एवं कचरे से निर्मित खाद का उपयोग पुनः किया जा सकता है। कार्य प्रगति पर है।

- **सघन वनीकरण परियोजना (Afforestation) :**

अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री इकबाल सिंह बैंस के मार्गदर्शन में संस्थान के प्रदर्शन प्रक्षेत्र में 125 वर्गमी. क्षेत्र में "Afforestt" संस्था बैंगलूर की सहायता से सघन वनीकरण का पायलेट प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया गया। जापान की "मियावाकी तकनीक" पर आधारित इस सघन वनीकरण पायलेट प्रोजेक्ट में 60 से.मी. दूरी पर 32 स्थानीय वन प्रजातियों के विभिन्न पौधों का रोपण (3 पौधे प्रति वर्गमीटर) विशेष रूप से तैयार की गई भूमि पर किया गया। प्रारम्भिक मृदा सर्वेक्षण एवं जांच उपरान्त भूमि को बगास, धान के भूसे, जीवामृत, घानामृत, फार्म यार्ड मेन्यूर इत्यादि से 1 मीटर गहराई तक उपचारित किया गया। इसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है।

- **जैविक बागड़ :**

संस्थान के प्रदर्शन प्रक्षेत्र के आसपास विभिन्न कॉलोनियों एवं झुग्गी बस्ती की बसाहट से तथा मवेशियों की निर्बाध आवाजाही से प्रक्षेत्र में विकसित किये गये विभिन्न तकनीकी संसाधनों को क्षति पहुंच रही थी। ऐसे अवांछनीय प्रवेश को रोकने की दृष्टि से प्रक्षेत्र के चारों ओर बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, किन्तु कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा बाउंड्रीवाल को क्षति पहुंचा कर प्रक्षेत्र में प्रवेश कर लिया जाता था एवं मवेशियों को भी प्रक्षेत्र में छोड़ दिया जाता था।

इन दशाओं में संस्थान द्वारा वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में Live Fencing (जैविक बागड़) लगाये जाने की पहल की गई। Live Fencing हेतु बोगन विलिया (Bougain Villea) प्रजाति के पौधे बहुत कम दूरी पर (30 से.मी.) 3-4 कतार में प्रक्षेत्र में सीमा पर जहां बाउंड्रीवाल नहीं है, लगाये गये हैं। बोगन विलिया प्रजाति के पौधों की जल एवं पोषक तत्वों की आवश्यकता अत्यन्त अल्प होती है एवं इसे मवेशियों

द्वारा भी चारे के रूप में उपयोग में नहीं खाया जाता। सघन रूप से रोपित यह जैविक बागड़ प्रदर्शन प्रक्षेत्र में इसके जहरीले कांटों से अवांछनीय प्रवेश रोकने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हो रही है एवं इसके विभिन्न रंगों के फूल प्रक्षेत्र सीमा को सुन्दरता प्रदाय कर रहे हैं।

- **मधुमक्खी पालन :**

प्रदर्शन प्रक्षेत्र के लगभग 700 वर्गमीटर क्षेत्र में मधुमक्खी पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिससे मधुमक्खी पालन संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। मधुमक्खी पालन संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रारम्भ किया गया है, जिसमें स्कूली छात्रों द्वारा भी भ्रमण कर प्रक्रिया का अवलोकन किया जा रहा है।

- **वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण :**

प्रदर्शन प्रक्षेत्र में वर्षा जल निकास व्यवस्था अपूर्ण होने से क्षेत्र का अपवाहित जल (Runoff water) विभिन्न क्षेत्रों से अव्यवस्थित रूप से बहकर मिट्टी का कटाव कर रहा था। इस समस्या के निराकरण हेतु क्लवर्ट के माध्यम से चैनल (नाले) निर्माण कर अंतिम छोर पर सम्पूर्ण जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिक टैंक का निर्माण किया गया। इससे न सिर्फ भूजल रिचार्ज होगा अपितु संग्रहित जल में मछली पालन एवं मुर्गीपालन जैसी गतिविधियां प्रशिक्षुओं के लिये संचालित की जा सकेंगी, जो कि अत्यन्त उपयोगी होंगी।

- **विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जल साक्षरता पर संगोष्ठी :**

दिनांक 27 मार्च, 2019 को विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जल साक्षरता पर 01 संगोष्ठी का आयोजन प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर किया गया जिसमें वाल्मी के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा भाग लिया गया। विशेषज्ञों द्वारा जल संरक्षण की विभिन्न विधियों पर व्याख्यान प्रस्तुत किये गये। इस अवसर पर लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं एस.एल.डब्ल्यू.एम. पार्क का लोकार्पण**

माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2019 को प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर संचालित विभिन्न गतिविधियां जैसे सघन वनीकरण, नवाचार एवं नवीन विकास, एस.एल.डब्ल्यू.एम. पार्क, मधुमक्खी पालन सह प्रशिक्षण केन्द्र, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक एवं निर्मित विभिन्न वाटरशेड गतिविधियों का अवलोकन किया गया।

माननीय मंत्री जी द्वारा इस अवसर पर प्रदर्शन प्रक्षेत्र की बाउंड्रीवॉल का भूमिपूजन तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पार्क का लोकार्पण किया गया।

- **बाउंड्रीवॉल का निर्माण :**

प्रक्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये लगभग 1600 मीटर की बाउंड्रीवॉल का निर्माण शुरू किया गया है, जिसकी लागत 93.94 लाख है।

- **स्वच्छता पुरस्कार :**

संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वच्छता पुरस्कार दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है।

स्व-स्वच्छता पुरस्कार : स्वयं की स्वच्छता, रहन सहन एवं प्रस्तुतीकरण पर आधारित पुरस्कार।

स्वस्थाने स्वच्छता पुरस्कार : संस्थान के उस अधिकारी/कर्मचारी को पुरस्कृत किया जावेगा जो स्वयं के कार्यालय में बैठने के स्थल/कक्ष को स्वच्छ रखता है।

सामुहिक स्वच्छता पुरस्कार : संस्थान के विभिन्न प्रकोष्ठों/इकाइयों को पुरस्कृत किया जाना प्रावधानित है जिन्होंने अपने प्रकोष्ठ/इकाई को स्वच्छ रखा है एवं कुशल कार्यालयीन प्रबंधन कर रहे हैं।

26 जनवरी, 2019 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में स्व-स्वच्छता पुरस्कार श्रेणी के अन्तर्गत संस्थान के 06 कर्मचारियों को उपहार एवं प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया :-

अन्य नवाचार व पहल

● पत्रिकाओं एवं शोधपत्र का प्रकाशन

- संस्थान की विविध गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु “इला अमृतम्” पत्रिका का प्रकाशन कार्य प्रारम्भ किया गया है। अभी तक इसके दो संस्करण प्रकाशित किये जा चुके हैं, प्रथम संस्करण में माह सितम्बर 2018 तक की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया था, जिसकी पृष्ठभूमि “तनाव रहित प्रशिक्षण” पर आधारित थी। “इला अमृतम्” के द्वितीय संस्करण में माह अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 तक की गतिविधियां सम्मिलित की गईं एवं इसकी पृष्ठभूमि “स्वच्छ वाल्मी-हरित वाल्मी” रखी गई।
- संस्थान द्वारा दिनांक 24-25 अप्रैल 2018 को राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों हेतु मानक बेंचमार्क निर्धारण विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें 16 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस कार्यशाला की अनुशंसाओं सम्मिलित करते हुए एक प्रतिवेदन पुस्तिका प्रकाशित की गई।
- संस्थान द्वारा आयोजित बेंचमार्किंग कार्यशाला की अनुशंसाओं के आधार पर संस्थान द्वारा International journal of advances in agricultural science and technology में Is Quality in Capacity Building and Training Institution Development Matters the Most? Setting Benchmarking Process and Benchmark Standards for Training Institutions – WALMI Bhopal a Case in Point विषय पर एक शोधपत्र प्रकाशित किया गया।

● सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन का संस्थापन

संस्थान में विभिन्न प्रशिक्षणों में महिला प्रतिभागियों की भी भागीदारी होती है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं की आवास व्यवस्था भी संस्थान के छात्रावास में रहती है। अतः महिला प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा हेतु संस्थान के छात्रावास में दो स्थानों पर सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित करायी गई हैं।

● संस्थान के अमले का क्षमतावर्धन

संस्थान के कर्मचारियों के क्षमतावर्धन हेतु कर्मचारियों के दल गठित कर गुजरात वाल्मी (आणंद) एवं कर्नाटक वाल्मी (धारवाड़) का भ्रमण कराया गया जिसके अन्तर्गत कृषि, सिंचाई की उन्नत तकनीकों का ज्ञान तथा उसका व्यवहारिक अवलोकन किया गया साथ ही कार्यालय की विविध प्रणालियों की जानकारी प्राप्त की गई।

संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं

संस्थान के चहुँमुखी विकास के लिये प्रशिक्षणार्थियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारु संचालन हेतु मानक सुविधाओं का आंकलन किया गया। इन मानकों अनुसार संस्थान में सर्वसुविधायुक्त अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है जो निम्नानुसार है :-

- संस्थान में भोज परिसर क्रमांक-1, क्रमांक-2 एवं क्रमांक-3 छात्रावास भवन हैं जिनमें कुल 198 प्रशिक्षणार्थियों की आवासीय सुविधा उपलब्ध है।
- संस्थान में वर्तमान में 30 से 50 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमतायुक्त 08 व्याख्यान कक्ष, 170 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त ऑडिटोरियम, 60 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल, 25 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त मीटिंग हॉल उपलब्ध हैं।

- संस्थान में संगणक प्रयोगशाला, मृदाविज्ञान प्रयोगशाला, मौसम विज्ञान वेधशाला उपलब्ध हैं साथ ही 22 हेक्टेयर का कृषि प्रदर्शन प्रक्षेत्र को भी क्रियाशील कराया जा रहा है।
- संस्थान का एक सर्वसुविधायुक्त पुस्तकालय भी है जिसमें उच्च कोटि का साहित्य, तकनीकी पुस्तकें तथा नियतकालिक पत्रिकायें समाचार पत्र आदि उपलब्ध हैं।
- संस्थान में शासन के विभिन्न विभागों के अधिकाधिक प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराये जा सकें, इस हेतु अस्थाई आवासीय सुविधाओं का भी विकास किया गया है। इसके अन्तर्गत आवश्यक अधोसंरचनाओं को विकसित किया गया है।

विशिष्ट अतिथियों का आगमन

खेल-कूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :

संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिये जाने के साथ-साथ उनके शारीरिक व मानसिक विकास हेतु खेलकूद, योग, कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित कराये जाते हैं।

वर्तमान में पदस्थ अधिकारियों की सूची

1. श्रीमती उर्मिला शुक्ला	आई.ए.एस.	संचालक
2. श्री विकास अवस्थी		अपर संचालक एवं प्रशासकीय अधिकारी
3. श्री व्ही.के. भट्ट		सह-प्राध्यापक, जल संसाधन प्रबंध एवं अभियांत्रिकी
4. डॉ आर. ठाकुर		सह-प्राध्यापक, कृषि
5. श्री उमेश शर्मा		उपायुक्त
6. श्री सुमित जैन		लेखाधिकारी
7. श्री संजय श्रीवास्तव		अनुभाग अधिकारी (प्रभारी)

.....







भेल दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों तथा स्व-सहायता समूह सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यशाला में समूह सदस्यों के उत्पादों का अवलोकन करते हुए।



भेल दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों तथा स्व-सहायता समूह सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यशाला में पंचायत राज प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन